छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

नवम् सत्र

सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

(पौष 07, शक सम्वत् 1942)

[अंक 05]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

(पौष-07, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन के नेता भी नहीं हैं और संसदीय कार्यमंत्री भी उपस्थित नहीं हैं ।

समय :

11:00 बजे

<u>निधन का उल्लेख</u>

<u>श्री झितरूराम बघेल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य ।</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री झितरूराम बघेल का दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 को निधन हो गया है ।

श्री झितरूराम बघेल का जन्म 1 सितम्बर, 1940 को ग्राम-मूली, जिला-बस्तर में हुआ था । उन्होंने कृषि स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी । प्रारंभ में उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया । वे प्रथम बार सन् 1972 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर बकावंड (बस्तर) निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए, तदन्तर वे सन् 1985, 1993 तथा 1998 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर ही जगदलपुर निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उन्होंने अविभाजित मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री के पद का दायित्व भी संभाला । नवम्बर, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे । उनकी बागवानी, खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष अभिरूचि थी । वे अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिये सदैव तत्पर रहे ।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री झितरूराम बघेल जी का जन्म 1 सितम्बर, 1940 को ग्राम-मूली, जिला-बस्तर में हुआ था । वे कृषि स्नातक थे, लोकप्रिय थे और जनता की भलाई के लिये सदैव कार्य करते रहे थे । मैं सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित हुआ कि श्री झितरूराम बघेल जी जिनका जन्म उस समय हुआ वह तो ठीक है लेकिन जिनकी शिक्षा-दीक्षा वास्तविक में आज के समय में यह हम लोगों के लिये कि उस समय भी कृषि स्नातक जिस प्रकार की उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। सामान्य परिवार में जन्म हुआ और उनकी जो अभिरूचि रही है कि समाज की सेवा में, चूंकि कृषक परिवार में जन्म हुआ और उसके बाद में बकावंड से विधायक के रूप में पहली बार चुनकर के आये फिर जगदलपुर से लगातार निर्वाचित होकर आये । वे न केवल विधायक रहे बल्कि अविभाजित मध्यप्रदेश में उनको मंत्री के रूप में भी दायित्व निर्वहन का अवसर मिला और मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया । ऐसे हमारे आदिवासी वनांचल प्रदेश से चुनकर आये हुए जिनकी रूचि उस समाज के लिये रही है, क्षेत्र के लिये और पूरे बस्तर के लिये जिन्होंने उनके विकास में अपना योगदान दिया है । उनका निश्चित रूप में आज हमारे बीच में नहीं रहना, एक प्रदेश के लिये अपूरणीय क्षति है और मैं उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दें ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री झितरूराम बघेल जी बस्तर के बहुत बड़े नेता थे । वे अनेक पदों पर मध्यप्रदेश में भी मंत्री थे और मुझे जब श्री लखमा जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनसे मिलने और उनके साथ प्रचार करने का अवसर मिला था । श्री लखेश्वर बघेल जी भी साथ में थे, वे बहुत ही मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दिसम्बर का महीना बहुत दुर्भाग्यजनक है, इतना मनहूस महीना साबित हो रहा है कि सदन में 5-6 दिन के सत्र में हमको 3 बार श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता । एक बेहद लोकप्रिय नेता जो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिये हमेशा काम करते रहे, बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत हंसमुख व्यक्ति थे । ऐसे व्यक्ति का चले जाना हम सबके लिए बहुत ही दुखदायी है । यह छत्तीसगढ़ की अपूरणीय क्षति है । उपाध्यक्ष महोदय, इस दिसम्बर के महीने का 2-3 दिन अभी और बाकी है । भगवान करे कि सब सुरक्षित निकल जाएं । क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस दिसम्बर के महीने में बहुत से लोग दिवंगत हो गए, बहुत से लोग बीमार पड़े हुए हैं । जो बीमार हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ करे और इस प्रकार की कोई घटना न घटे और आदरणीय झितरूराम बघेल जी के चरणों में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं । भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषक परिवार में जन्म लेने वाले झितरूराम बघेल जी की रूचि कृषि और उद्यानिकी में रही और वे कृषि में स्नातक भी थे । वे बहुत ही हसमुख व्यक्ति रहे, हम लोग मध्यप्रदेश में मंत्री के रूप में बैठा करते थे । वे लगातार

बस्तर के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रहे । आदिवासियों का उत्थान किस प्रकार हो, हमेशा इसी विषय में चर्चा करते रहे । हम लोग उन्हें बहुत ही मिलनसार और हसमुख व्यक्ति के रूप में जानते हैं और इसी रूप में उनका चेहरा हम लोगों को दिख रहा है । मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति दे, ओम शांति ।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झितरूराम बघेल जी बस्तर के जानेमाने आदिवासी नेता थे । हमेशा समाज के विकास के लिए आगे आकर कुछ करने की उनमें ललक थी । वे मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे । वे हमेशा अपनी कर्म पर विश्वास करते थे । मध्यप्रदेश शासन में उन्होंने आबकारी मंत्री के तौर पर भी काम किया और जब विधान सभा चुनाव होने थे, उस समय वे घर पर ही थे और जब मीडिया के साथियों ने वहां पहुंचकर पूछा कि सारे नेता टिकट के लिए भोपाल और दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कर्म पर विश्वास करता हूं और अगर मैंने क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया है तो हाईकमान मुझे टिकट देगा । उनका व्यक्तित्व विराट था, वे सोचते थे कि अगर मैंने जनता के लिए कुछ किया है तो मुझे टिकट जरूर मिलेगी । समाज के ऐसे व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में जगह दे और दुख की इस घड़ी में परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद् ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वर्गीय झितरूराम बघेल जी का निधन हम सबके लिए दुखदायी है । आदरणीय बघेल साहब एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरकर आए । विधायक के रूप में उन्होंने एक बेहतर बस्तर बनाने का काम किया । वे मध्यप्रदेश में मंत्री के पद पर भी रहे । वे काफी मिलनसार, हंसमुख व्यक्तिव के धनी व्यक्ति थे । आदरणीय बघेल जी में एक खासियत थे, जब मैं पिछली बार उनसे मिला तो उन्होनें मुझसे कहा था कि तुम्हें बस्तर की आवाज़ बनकर उभरकर आना है । वहां के आदिवासियों की सेवा करनी है। वे खासकर बस्तर के आदिवासियों के प्रति काफी गंभीर थे । उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी और अपूरणीय क्षति है । ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं उन्हें अपनी और बस्तरवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं ।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री झितरूराम बघेल हमारी विधान सभा के और हमारे घर के नजदीक थे, सजातीय थे । उनके जाने से हमारे बस्तर ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, पूरे प्रदेश को दुख पहुंचा है । उनका नेतृत्व बस्तर और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा था । उनके जाने से दुख पहुंचा है । इनका जन्म 1 सितंबर, 1940 को जिला बस्तर के एक छोटे से गांव मूली में किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा बस्तर में और हायर सेकेण्डरी की शिक्षा जगदलपुर में

हुई थी। वे विद्वार्थी जीवन से ही बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। 1957-58 में भारत सेवक समाज में सोवियत संघ के तात्कालिक राष्ट्रपति के भारत आगमन पर देश में हुए उनके स्वागत कार्यक्रम में बस्तर के लोक नृत्य में सम्मिलित हुए थे। वे लोक नृत्य में पारंगत थे और वे बचपन से ही खेल-कूद में काफी रूचि रखते थे। वे एक काफी अच्छे धावक होने के साथ-साथ बालीबॉल के भी पारंगत खिलाड़ी थे। सन् 1962-63 में बकावंड के छोटे से गांव में स्नातक शिक्षा के बाद वे सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और सन् 1971 तक वे शिक्षक पद पर कार्यरत रहे। सन् 1971 के बाद त्याग पत्र देकर वे सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सन् 1972 में विधान सभा चुनाव में विधान सभा क्षेत्र बकावंड कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़कर विजय श्री प्राप्त किये। उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र में कुल चार बार क्रमश: 1972, 1985, 1993, 1998 में विधायक बनकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था तथा अविभाजित मध्यप्रदेश के समय 1998 में श्री दिग्विजय जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में उन्होंने आबकारी मंत्री के रूप में अपने दायित्व का बखूबी निर्वाह किया था। वर्ष 1975 से 1977 तक वे जिला युवा कांग्रेस के संयोजक भी रहे हैं और वर्ष 1977-78 में वे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में तात्कालिक केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध उन्होंने जेल भरो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभायी थी। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में नवगठित कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए दिये गये निर्णय तथा किसानों के कर्ज माफी 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से काफी खुश थे। मुझे बताया गया कि इसके लिए स्वयं किसानों के चहेते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी से भेंट कर आभार जताना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उन्हें झितरू दादा के नाम से बस्तर में पुकारा जाता था। उनके सरल स्वभाव से जुड़ी इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि इतने वर्षों तक विधायक व मंत्री रहते हुए इस प्रकार की..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जीवन में पहली बार अपने 20 साल के इतिहास ऐसा condolence देख रहा हूं। मुझे बोलना नहीं चाहिए। आप इसे टेबल करवा दीजिए। में और मुझे यह संसदीय प्रक्रिया में समझ में आता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- जल्दी करिएगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- तो इनकी मृत्यु से बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत ही क्षति हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय चन्द्राकर जी, वे उनके क्षेत्र के नेता हैं। वरिष्ठ विधायक रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- आप हर बात को लेकर आपत्ति करते हैं। कम से कम ऐसे अवसर पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर चीज पर टीका पढ़ी करने की आपकी आदत बन गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं, सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन दो मिनट का मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय :- दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिये स्थगित।

(11.17 से 11.23 तक कार्यवाही स्थगित रही।)

समय :

11:23 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक बालक/बालिका छात्रावास में कार्यरत रसोईयों को प्रदत्त मानदेय</u>

1. (*क्र. 626) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में संचालित प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास में संविदा के पद पर कितने रसोईया कार्यरत हैं ? लॉकडाउन के बाद कितने रसोईया को कार्य पर रखा गया है और कितने को निकाल दिया गया है ? निकले जाने का क्या कारण है ? (ख) क्या कार्यरत रसोईया के मानदेय में कटौती की गयी है ? यदि किया गया है तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जांजगीर चांपा जिले में विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास में संविदा के पद पर कोई भी रसोईया कार्यरत नही है. अतः लॉकडाउन के बाद किसी रसोइया को कार्य पर रखने या निकाले जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) जांजगीर-चांपा में विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास में संविदा के पद पर कोई भी रसोइया कार्यरत नही है. अतः मानदेय में कटौत्री का प्रश्न ही नहीं है.

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि जांजगीर-चांपा जिले में संचालित प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास में संविदा के पद पर कितने रसाईया कार्यरत् हैं और लॉकडाउन के बाद कितने रसोईयों को कार्य पर रखा गया है और कितने को निकाल दिया गया है ? इससे संबंधित मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आदिमजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत हमारे जिले के छात्रावासों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के

पद पर रसोईया और स्वीपर के लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत् थे, लेकिन लॉक डाऊन के बाद इनको कार्य से निकाल दिया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो रसोइया और स्वीपर हैं, उनके उपर उनका पूरा परिवार आश्रित था, लेकिन लगभग 8 महीने से इनको किसी तरह की कोई राशि नहीं दी गई है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है । उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके खाने के भी लाले पड़ रहे हैं । छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि लॉक डाऊन में हर कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, वे वेतन से वंचित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन्हें वेतन उपलब्ध कराई जाये, जिससे उनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आदिमजाति कल्याण विभाग में जो सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं-लहरे और बाबू (लिपिक) के पद पर कायस्त नामक कर्मचारी पदस्थ हैं । ये दोनों अधिकारी-कर्मचारी ने विभाग को बदनाम कर दिया है, वे हर काम में पैसों की मांग करते हैं और जो पैसे देते हैं, उन्हीं का काम करते हैं और जो पैसा नहीं देते हैं, उनका कार्य नहीं करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या से निवेदन है कि वे प्रश्न करें ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही है, इसी से संबंधित है । जो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि होती है, उसमें भी 40-50 प्रतिशत की मांग करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभी स्तर में पैसा खा रहे हैं, यह प्रश्न है । पैसा खाना मना करेंगे क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिए ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति प्राधिकरण का जो निधि होती है, उसमें भी ये लोग सरपंच, सचिवों से पैसे की मांग करते हैं और तब तक राशि जारी नहीं करते, जब तक इनके पैसे की मांग पूरी नहीं हो जाती।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए न ।

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और पूरा सदन उसकी निंदा करता है । बहुत गंभीर मामला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बहुत गंभीर मामला है । हर प्रश्न में पैसा मांगने का ही सवाल है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय चंदेल जी और चन्द्राकर जी, आप लोग तो बैठिए । बंजारे जी, आप प्रश्न करिए न ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि उन अधिकारी-कर्मचारी को मेरे जिले से तत्काल हटा दिया

जाये और जो हमारे रसाईया कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहन राशि मतलब उनकी जो राशि है, जिसके कारण वे आर्थिक तंगी से जुझ रहे हैं, उनको राशि प्रदान की जाये । आप इसी सदन में घोषणा कर दें, ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न संविदा कर्मचारियों का था। अभी वहां पर कोई संविदा कर्मचारी नहीं है। माननीय सदस्या का प्रश्न है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, चूंकि लॉकडाउन के समय में आश्रम और छात्रावास बंद है और जब काम की जरूरत पड़ती है तो उसमें दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, उसको कलेक्टर दर पर रखते हैं। चूंकि अभी बंद है, इसलिए इस चीज को रखा जाना संभव नहीं है। बाकी उनकी जो भी शिकायतें हैं, मैं उसकी जांच करा लूंगा, उनकी क्या शिकायतें हैं, सबका अलग अलग है, प्राधिकरण के अलग अध्यक्ष रहते हैं, कुल मिलाकर चूंकि अभी लॉकडाउन है, कोविड के कारण आश्रम और छात्रावास बंद है, इसलिए उसमें जो भी रसोईयां हो, चाहे पानी पिलाने वाले हों, चाहे भृत्य हों, उनको भी जो दैनिक वेतन में रखते हैं, उनको अभी नहीं रखा गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, उन्होंने कार्यवाही की मांग की है और कर्मचारियों का नाम लिया है। पहली बार निर्वाचित सदस्य हैं और पूरी सदन की जानकारी में आया है। अच्छी बात तो यह होगी की आप कार्यवाही की घोषणा कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय, आप बैठिये।

श्रीमती इंदू बंजारे :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने उनकी एक-एक बातों को रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूं कि इस सदन में आप घोषणा करें कि उनके उपर कार्यवाही करें, उनको मेरे जिले से तत्काल हटाया जाये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी ने कहा है मैं उसकी संपूर्ण जांच करा लूंगा और जांच कराने के बाद जो आवश्यक कार्यवाही हो सकती है, उसमें कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- विधायक की उपस्थिति में जांच करायेंगे क्या ? माननीय उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण मामला है, एक अधिकारी के खिलाफ विधायक जो हैं, विधानसभा में प्रश्न कर रही है और उसमें समुचित कार्यवाही नहीं हो रही है। आप जांच कराने का आश्वासन दे रहे हैं तो विधायक की उपस्थिति में जांच करायेंगे क्या?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- विधायक की उपस्थिति में जा के जांच करा लेंगे।

विद्यामितानों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्ति

2. (*क्र. 814) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधीः क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि विद्यामितानों को अतिथि शिक्षक के रूप में रखा गया है? यदि हां, तो पिछले व इस वित्तीय वर्ष में कुल कितने विद्यामितानों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई ? (ख) क्या यह सही है, कि प्रदेश में 14,500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है ? इसमें से कितने शिक्षकों को नियुक्ति आदेश दिये गये हैं और कितनों ने पदभार ग्रहण कर लिया है? क्या इन शिक्षकों की नियुक्ति पश्चात अतिथि शिक्षक/विद्यामितान के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 में 1832 विद्यामितानों को शाला में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने का आदेश जारी किया गया है. नियुक्ति नहीं दी गई है. (ख) प्रदेश में 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है. नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गए हैं, अतः पदभार ग्रहण करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. जी नहीं, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधे-सीधे बिना कुछ किये प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, किन-किन जिलों में कितने-कितने.....।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- उपाध्यक्ष जी, ये सीधे-सीधे बिना कुछ किये क्या होता है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं बताता हूं। इन विद्या मितानिनों के बीच में सीधे-सीधे मैं यह प्रश्न कर रहा हूं कि पालथी मार करके, बैठ करके, चाय पी करके, लढ़िया करके उनको आश्वासन देते थे। माननीय मंत्री जी, इसीलिये मैं उन बातों को न करके, सीधे-सीधे प्रश्न कर रहा था।

श्री शिवरतन शर्मा :- और समझ में ना आये तो पुन्नू मामा से पूछ लेना।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कितने विद्या मितानिन शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें कब से वेतन नहीं मिला है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पहली बात तो यह है कि अभी कोई विद्या मितान है ही नहीं। उनको वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वा। कब से निर्धारित नहीं है, कब से ? उनको कब से नहीं मिला है ? किस रूप में मिला है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अभी तो कोई विद्या मितान है ही नहीं। उनको वेतन देने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अतिथि शिक्षक के रूप में होंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ये पूछिये ना।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप यह भी परिभाषित कर लीजिए, अलग-अलग प्रकार से परिभाषित कर लीजिये लेकिन वे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, उन्हें कितने दिनों से वेतन नहीं मिला, इसका उत्तर दे दें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्ष की एक व्यवस्था की गई थी। रिमोट एरिये में, शेड्यूल एरिये में आदिवासी क्षेत्र में जहां पर रिक्तियां हैं, वहां पर उन्हें पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जानी थी। यह एक शिक्षकीय व्यवस्था थी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस-किस जिले में..।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बात रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले सुन तो लीजिये। हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सीधे-सीधे बात कर रहे हैं न। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति शासन द्वारा नहीं की गई थी। यह एक व्यवस्था है, जिसके तहत रिमोट एरिये में जहां व्याख्याताओं के पद रिक्त थे, वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था वहां के शाला प्रबंधन और विकास समिति द्वारा की जानी थी। उसके लिए वरीयता थी कि कहां-कहां उन्हें नियुक्त करना है, उसके लिए अलग-अलग जिलो में जहां-जहां पद थे, वहां पर नियुक्त किया गया। यह था कि ये स्कूल में जाकर आफ लाईन पढ़ायेंगे, उनके लिए अलग से पंजी संधारित की जायेगी और शाला विकास समिति उसको सत्यापित करेगा उसके बाद जो भी वेतन, मानदेय था, वह दिया जायेगा। उस समय सभी जिलो को मिलाकर इनकी कुल संख्या 2220 थी। चूंकि लाकडाऊन के समय से स्कूल बंद हैं, मार्च महीने से स्कूल बंद हैं, इसलिए वहां आफ लाईन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस कारण उनको वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है।

श्री अमरजीत भगत :- दोनों में बहुत कॉम्पिटिशन है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप तीन प्रश्न कर चुके हैं। श्री अजय चन्द्राकर।

श्री अमरजीत भगत :- अजय चन्द्राकर जी को प्रश्न पूछने दीजिये नहीं तो उनके पेट में दर्द हो जायेगा। वे अपनी बात न कहे तो ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको एक बात बता दूं कि स्कूल शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा पर नियम 139 के तहत चर्चा होना था, जिसे आसंदी ने कहा था कि अगले सत्र में लेंगे। जब

आगे प्रश्नों को सुनेंगे तो देखेंगे आप देखेंगे कि प्रदेश में स्थिति कितनी खराब है, वह स्थिति सीतापुर में भी है।

श्री अमरजीत भगत :- देखिये, आप स्कूल की स्थिति खराब होने का बोल रहे हैं, तो आपके समय में 3 हजार स्कूल बंद कर दिए गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं शिक्षा बोला, स्कूल नहीं बोला। यह समय काटने का चक्कर है और कुछ नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- ये उसी सरकार के मंत्री रहे हैं, जिनके समय पूरे प्रदेश में 3 हजार स्कूल बंद कर दिए गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिये हैं, मैं उसी में दो प्रश्न एक साथ पूछ लेता हूं। विद्यामितानिनों की व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का आदेश जारी किया गया। माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि शासन द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि आफ लाईन स्कूल चलेगी तो उस समय जितना पढ़ायेंगे, उसका वेतन देंगे। फिर शाला विकास समिति उसको प्रमाणित करेगी, तब वेतन दिया जायेगा। माननीय सदस्य का प्रश्न था कि कौन-कौन से जिले में कैसे-कैसे इसको नियुक्त किया जायेगा, इसमें उत्तर दिया गया है। इसमें मेरा प्रश्न यह है कि व्यवस्था होने तक कार्य आदेश जारी किया गया है तो कार्य आदेश किसने कब जारी किया, कितने शिक्षकों का जारी किया गया ? अब तक उनको कितनी अवधि का कितना वेतन प्राप्त है और कितना वेतन प्राप्त नहीं है, यह पहला प्रश्न, यह बिलकुल सीधा-सीधा प्रश्न है। इसी में मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 14 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। 14,580 किन-किन पदों पर, सहायक शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, प्रिसिंपल हैं, किन पदों पर नियुक्ति की जा रही है और यह प्रक्रिया कहां पर है और कब तक नियुक्ति आदेश जारी होगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक एक अंतरिम व्यवस्था है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंटेड प्रश्न है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना विस्तृत किए हैं तो आप पूरा उत्तर सुन लीजिए। वह जितना पेज है सब पढ़कर बतायेंगे तब आपको पूरा उत्तर मिलेगा। (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी की ओर मुखातिब होकर) भैय्या, पूरा पढ़ना।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई नियमानुसार नियुक्ति, पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे और चयनित होने के उपरांत वह जहां पर स्कूल होगा वहां कार्य करेंगे। इसके जो आदेश जारी हुए हैं ये आदेश

24.06.2019 को जारी किए गए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा आप सुनेंगे तब ना। पूरा आप सुनते नहीं हैं, बीच में ही खड़े हो जाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सब के सब व्यवसथा देते हैं भाई। आप इस्तीफा देकर इधर आ जाओ ना।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हर बात पर खड़े होते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है। वह पूरा उत्तर दे रहे हैं सुनियेगा तब ना। डॉक्टर साहब पूरा पढ़िए जब तक वह बेहोश न हो जाएं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि ये आदेश 24.06.2019 को जारी हुए थे और यह सभी जिलों के लिए है इसमें यह था कि जब तक नई नियुक्ति नहीं की जायेगी तब तक वह अपने स्कूलों में काम करेंगे। आपने प्रश्न पूछा कि जो 14580 पदों पर भर्ती हो रही है वह कितने और कहां पर भर्ती हो रही है तो इसमें व्याख्याता के 3177, शिक्षक 5441, सहायक शिक्षक 4000, शिक्षक(अंग्रेजी माध्यम) 456, सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) 306, सहायक शिक्षक (विज्ञान)1200 । इस प्रकार से 14580 नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है। आपके समय में तो सब कर्मी थे, अब हमारे यहां कोई कर्मी नहीं है। हम जब ये भर्ती कर रहे हैं तो नियमित भर्ती कर रहे हैं। आप लोग तो केवल काम टालने के लिए भर्ती करते थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपके द्वारा संयुक्त रूप से दो प्रश्न किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सुन लीजिए। आपको अनुमति देना होगा तो दीजिएगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों के प्रश्न का भी ध्यान रखा जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे दुखद बात तो यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के निर्देश पर माननीय उस तरफ के लोग व्यवस्था देते हैं। आसंदी व्यवस्था नहीं देती। हम लोगों को उधर के लोग व्यवस्था देते हैं यह इस सदन में दुखद बात है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे भी दुखद बात यह है कि संवेदना व्यक्त करते समय भी सदन में टोका टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें आप मेरी निंदा कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रश्न में जो उत्तर आया है आप उसको पढ़ लीजिए। आसंदी कई बार उत्तर को पढ़ती है मैंने देखा है कि व्यवस्था होने तक अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य

करने का आदेश दिया गया है। मैंने ये पूछा है कि व्यवस्था तो अभी हुई नहीं है, आपने ऑफलाईन का उल्लेख किया। जिस दिन से नियुक्ति हुई है ऑफलाईन क्लासेस में उन अतिथि शिक्षकों को कितना पैसा देना था और कितना पैसा उनको दिया गया है या नहीं दिया गया है? और कौन कौन से जिले का नाम तो अब तक नहीं बताये। दूसरा मैंने संख्य नहीं पूछी थी। मैंने मेरे समय में क्या था यह नहीं पूछा है। ये राजनीतिक उत्तर से मतलब नहीं है। मैंने ये पूछा कि 14580 का पद विज्ञापित हुए 2 साल से ज्यादा हो गए और इतने शिक्षकों की भर्ती हो रही इस बात के विज्ञापन में उनके तनख्वाह से ज्यादा पैसे खर्च हो गये हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शिक्षक भर्ती रूकी कहां पर है और कब तक उनके नियुक्ति आदेश जारी होंगे? संख्या नहीं पूछा हूं क्योंकि संख्या तो उत्तर में है।

उपाध्यक्ष महोदय :- कब तक नियुक्ति होगी यह बता दीजिएगा?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने संख्या पूछा था कि किन-किन पदों पर कितनी-कितनी भर्ती हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर बार ये प्रश्न बदल देते हैं। पूछते कुछ हैं और जब उत्तर आता है तो अगली बार बोलते हैं कि नहीं मैंने तो यह पूछा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। हम विपक्षी समवेत स्वर में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं, उनके कोर मेनेजमेंट की प्रशंसा करते हैं, उनका उत्तर आने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप लोग बैठिए। चंद्राकर जी, आप बैठिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोर आपत्ति है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि.।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं शिवरतन जी, मैं आपको प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा। आप बैठिए। भगत जी आप बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसंदी से व्यवस्था आये कि हर मंत्री इसकी व्यवस्था कर दे। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बताईये कि उन्होंने पहली बार संख्या पूछी। कितनी-कितनी संख्या का (व्यवधान) आप प्रश्न निकलवाकर देख लीजिए, इन्होंने संख्या पूछी थी।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री, भगत जी आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अमरजीत भगत जी ने कहा (व्यवधान) इसको विलोपित किया जाये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीनियर मंत्री हैं, वह जवाब दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए। श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रश्न को नहीं पूछना है तो बोल दीजिए। हम प्रश्न नहीं पूछेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं पूछेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रश्न नहीं पूछेंगे।। आप व्यवस्था दे दीजिए कि इस प्रश्न को नहीं पूछना है तो हम नहीं पूछेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- वयवस्था यह है कि आपने कहां-कहां, कितनी नियुक्ति, कौन-कौन से पद में किये हैं और कितने पद हैं, आपने यह पूछा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि आपने अपने उत्तर में कहा कि प्रदेश में 14580 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं। मुझे मंत्री जी यह बता दें कि 14580 पदों की भर्ती के लिए सबसे पहले विज्ञापन कब निकला ? कब इनका वेरिफिकेशन कराया गया ? और वेरिफिकेशन कराने के बाद इनका नियुक्ति आदेश जारी क्यों नहीं किया गया ? विलंब के कारण क्या है, माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 14580 नियमित शिक्षकों की भर्ती करनी थी और उसका विज्ञापन 9 मार्च, 2019 को जारी किया था और उसके बाद व्याख्याता की जो परीक्षा 14.07.2019 हुई, उनके परीक्षा परिणाम 1.10.2019 को आए। उसके बाद जो निरंतर उसकी जो सत्यापन होता है उसके बारे में यहां निरंतर कार्यवाही होती रही।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप उत्तर सुनिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में बहुत स्पष्ट कहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आप पहले उत्तर तो सुन लीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आपने प्रश्न में कहा कि विज्ञापन निकला।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी, अपना उत्तर पढ़ लें, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। माननीय बृहस्पत सिंह जी खड़े हो जाते हैं। व्यवस्था देने का काम आसंदी का है। ऐसे कोई व्यवस्था नहीं दे सकता।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सुनना नहीं चाहते क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, आप बैठिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह प्रश्न किया कि जो 14580 शिक्षकों की नियमित नियुक्ति हो रही है, उनका विज्ञापन कब जारी हुआ ? आपने ऐसा पूछा था मैंने

उसको बता दिया कि दिनांक 9 मार्च, 2019 को इसका विज्ञापन निकला था, फिर उसमें फार्म भरे गए, उसके बाद उसकी परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद परिणाम आए, यहां पर उसके बाद जो सत्यापन की कार्यवाही शुरू हुई थी। सभी लोगों को यहां पर बुलाना था। उसी समय आपका कोविड-19 आ गया। इस कारण से जो प्रक्रिया थी वह धीमी जरूर हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि जो सभी जितने आए हैं उनका सत्यापन करेंगे और जितना जल्दी हो सकता, इनकी नियमित नियुक्ति की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री मोहन मरकाम।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1.10.2019 को इसका रिजल्ट आ गया। एक बार वेरिफिकेशन हो चुका और वेरिफिकेशन के पश्चात् 14580 पदों पर भर्ती नहीं दी जा रही है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,नहीं। विज्ञापन जारी हुआ था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया को लेट कर रही है। एक तरफ यह कहते हैं कि आपके समय शिक्षक भर्ती नहीं की जाती थी। हम शिक्षक भर्ती कर रहे हैं और जानबूझकर इसको रोका जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। श्री मोहन मरकाम जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मंत्री जी, मैंने पिछले सत्र में यह प्रश्न लगाया था आसंदी के द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि जिनको निकाला गया है, उनको रखने का भी हो और परीक्षण कराने की बात थी और जो लोग काम कर रहे हैं उनको नियमित वेतन मिले। लगभग 65 दिनों से विद्यामितान अतिथि शिक्षक धरने में बैठे हुए हैं। सरकार में आने के पहले आप लोगों ने लिखकर दिया है कि हम उनको रेग्युलर करेंगे। अब वे रेग्युलर की मांग कर रहे हैं। और इसके पहले इन्होंने उनकी तनख्वाह बंद कर दी है।मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जिनको नियुक्त किया, जब तक की उसकी व्यवस्था न हो जाए, नियुक्ति न हो जाए ऐसे लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है और जिनको आपने निकाला है उनको नौकरी में रखेंगे और उनकी तनख्वाह कब तक जारी करेंगे ? यह मेरा पहला प्रश्न है । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक बार 14000 लोगों का सत्यापन हो चुका है। पिछली बार जब अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किये तो इनके द्वारा लाठी चार्ज करायी गयी और लाठी चार्ज कराने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद में ये आदेश जारी हो जायेगा, लेकिन उसके बाद फिर जारी नहीं हुआ। उनका आदेश कब तक जारी हो जायेगा और उनको तनख्वाह कब तक दी जायेगी? उनकी जब तक रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति न हो, उनको संधारण करने की बात कही गई थी, उनको भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी, कृपया यह बताने का कष्ट करें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा था कि अतिथि

शिक्षकों की जो अंतरिम व्यवस्था है, उसमें जहां-जहां रिमोट एरिया में व्याख्याता की जगह खाली है, वहां पर जब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाती है, तब तक वहां पर काम करेंगे। इस बीच में कोरोना आ गया। कोरोनाकाल में हमारे पूरे स्कूल बंद हैं और वहां ऑफलाईन स्कूल संचालित नहीं हैं। उसमें भी नियम में यही था कि जब वहां पढ़ायेंगे, उनके लिए अलग से रजिस्टर संधारित होगा, वहां पर शाला विकास समिति उसको चेक करेगी, उसमें उसकी उपस्थिति दर्ज की जायेगी। उनको 18000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मानदेय होता है, वह दिया जायेगा। वह आदेश था। लेकिन जब नियमित भर्ती होगी, तब इनकी सेवायें अपने आप समाप्त हो जायेंगी, ऐसा आदेश किया गया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- उनको तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे? जिनको नियुक्ति आदेश जारी हुआ है, उनको तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जब संस्थायें बंद हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली सरकार है, जब खुद वेकेन्सी निकाले हैं.. (व्यवधान) .. उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है।.. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी, बैठिये। उसका पर्याप्त उत्तर आ चुका है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है, आसंदी से आदेशित करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार सत्यापन हो गया, दूसरे बार सत्यापन हो गया। मंत्री जी से केवल इतना पूछ रहे हैं कि आप तारीख बता दीजिए कि उनका आदेश कब जारी होगा? एक समय-सीमा बता दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- वह समय सीमा बता दें कि कब आदेश जारी होगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तेरा शासन, मेरा शासन गिना रहे हैं।.. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं कि पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुका है। मोहन मरकाम जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- विद्यामितान आंदोलन कर रहे हैं.. (व्यवधान) .. आदेश नहीं दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। आप स्थिति को स्पष्ट करिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तारीख बताने को तैयार नहीं हैं, 14000 विद्यामितान, अतिथि शिक्षक देख रहे हैं, वह आपको माफ नहीं करेंगे, माननीय मंत्री का उत्तर नहीं आने के कारण हम बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11:46 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में।

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

मंडल संयोजक के पद पर चयन हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा

3. (*क्र. 802) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मण्डल संयोजक के पद पर चयन हेतु वर्तमान विभागीय परीक्षा के पूर्व विगत विभागीय परीक्षा कब आयोजित की गई? कितने अभ्यर्थी शामिल हुए कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ? उक्त पद पर विभागीय भर्ती हेतु चयन के लिए क्या नियम निर्देश प्रचलन में थे ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार उक्त अवधि में क्या भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया? यदि हां, तो कब और संशोधन का आधार क्या था?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत मण्डल संयोजक के पद पर चयन हेतु वर्तमान विभागीय परीक्षा के पूर्व विगत विभागीय परीक्षा दिनांक 31-05-2012 एवं 22-11-2012 को आयोजित की गई. जिसमें क्रमशः 93 एवं 27 अभ्यर्थी शामिल हुए तथा क्रमशः 27 एवं 09 अभ्यर्थियों का चयन हुआ. उक्त पद पर विभागीय भर्ती हेतु चयन के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम 2011 प्रचलन में थे. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मंडल संयोजक के पद पर चयन हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा के संबंध में प्रश्न किया था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर में विरोधाभास है। क्रमांक 802 में अलग जानकारी है और क्रमांक 803 भी मेरा ही प्रश्न है, दोनों प्रश्नों की उत्तर में दी गई जानकारी में अंतर है। मैंने प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा था कि मंडल संयोजक के पद पर चयन हेतु विभागीय परीक्षा के लिए क्या नियम निर्देश प्रचलन में थे? क्या भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया था? माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार भर्ती नियम 2011 प्रचलन में थे

तथा नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी ने मेरे अतारांकित प्रश्न क्रमांक 803 में में यह माना है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियक 2011 में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर 2018 द्वारा शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि दोनों उत्तर में क्या सही है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडल संयोजक की पदोन्नति के लिए जो आदेश पहले जारी हुआ था, भर्ती नियम 2011 में स्नातक या समकक्ष उन अभ्यर्थियों को अधिमान्य किया जायेगा जिनके पास मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद 22 सतिबर 2018 में इसके लयि जो अमेंडमेंट कयिा गया इसमें जो भर्ती नियम होना था उसमें भी वही था कि मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के स्नातक में उपाधि, मानवविज्ञान सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष धारक के अभ्यर्थियों को उसमें प्राथमिकता दी जायेगी । पूर्व परीक्षा में भी इसी प्रकार था और अभी भी इसमें जो किया गया है वह भी यानी उसमें प्रायोरिटी थी, यह जो विषय हैं इसमें अनिवार्य कर दिया गया है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 22 सितंबर, 2018 द्वारा मण्डल संयोजक के विभागीय भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हता में क्या संशोधन किया गया और शैक्षणिक अर्हता में आधार क्या था ? शैक्षणिक अर्हता में मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के स्नातक को वांछित किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में भी अन्य विषयों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो दूसरे लोगों का सीधा-सीधा उसमें हक मारा जाता है तो इन विषयों में छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध ही नहीं है वहीं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" व लिपिकीय के पद पर कार्यरत अधिकांश कर्मचारी विभिन्न विषयों में स्नातक की उपाधि सहित उस शैक्षणिक योग्यता यथा बी.ई., बी.टेक. रखते हैं तो उन्हें परीक्षा से वंचित किये जाने का क्या औचित्य है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में मण्डल संयोजक के विभागीय भर्ती के लिये आवेदन मंगवाये गये थे जिसमें स्नातक स्तर की योग्यता रखने वाले 451 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था किंतु शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता के कारण लगभग 75 प्रतिशत अभ्यर्थी अपात्र हो गये हैं जो उनके साथ अन्याय हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर यह जो 451 आवेदन किये हैं, यदि उनके साथ न्याय हो, काम्पीडिशन हो तो आखिर बाकी लोग भी उसमें क्वालिफाई करें, जिसका होना, नहीं होना तो बाद की बात है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी परीक्षा में बैठने की पात्रता दी जाये, यह मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो मण्डल संयोजक होता है । विभागीय कामों में उनके जो दायित्व रहते हैं, परीक्षण करने का, योजनाओं को संचालित करने का तो विभाग द्वारा जो अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये जो योजनाएं चलायी जा रही हैं उनके मनोभाव और सबका आंकलन करने के लिये मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की योग्यता रखना आवश्यक है और संयोजक का जो कार्य अब रह गया है क्योंकि पहले ट्राईबल में भी जो स्कूल थे, वे सभी शिक्षा विभाग में आ गए हैं तो संयोजक का तात्पर्य समाज के साथ समन्वय बनाकर विकास करना है और उसके लिये मानव विज्ञान और समाजशास्त्र का होना अनिवार्य है और पूर्व में भी जितने भर्ती हुए हैं उसमें भी चूंकि प्राथमिकता थी, अब उसको अनिवार्य कर दिया गया है और अभी जो प्रचलन में है वह पदौन्नति पर होगा । अभी पदौन्नति जो आपके "द" श्रेणी के अधीक्षक हैं और लिपिक जिनका कार्यकाल 5 वर्ष उसमें पूरा कर लिया गया है, ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया है और वे भी इसके समकक्ष जो डिग्रीधारी होंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के उनको ही उसमें लिया जायेगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 451 में विभागीय कर्मचारियों ने आवेदन किया था तो मेरा यह निवेदन है कि उनके साथ भी न्याय हो। मैं माननीय मंत्री जी से मण्डल संयोजक हेतु पूर्व में प्रचलित शैक्षणिक योग्यता को यथावत रखने के लिये नियमों में संशोधन होने तक 4827 दिनांक 16.10.2020 को विज्ञप्ति विभागीय परीक्षा स्थगित हेतु आश्वासन देना चाहेंगे । माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि सभी का ख्याल रहे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में यह परिवर्तन हो गया है । दिनांक 22 सितंबर, 2018 को तो उसमें हो गया है और उसी आधार पर उसमें चल रहा है । मैं उसमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बहुत गंभीर बात यह है कि आपके ट्राईबल डिपार्टमेंट में जितने लोग थे उनका शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है और जो ट्राईबल के लोग थे, अब उनको शिक्षा विभाग में जाने के कारण उनको मण्डल संयोजक की परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया गया है तो मेरा अनुरोध है कि मूल पदस्थापना उनका ट्राईबल था, आपने उसको शिक्षा विभाग में दे दिया है अब शिक्षा विभाग में जाने के बाद उनको ट्राईबल विभाग की परीक्षाओं में भी सम्मिलित नहीं होने दे रहे हैं । उनको सम्मिलित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है ।

श्री मोहन मरकाम :- उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है । उन्हें ट्रायबल विभाग से शिक्षा विभाग में भेजा गया है । उसमें गंभीर त्रुटि हुई है । इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि...।

उपाध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी, मंत्री जी बता रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मूल विभाग ट्रायबल था, ट्रायबल से शिक्षा विभाग में कर दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अगर उत्तर चाहिए तो आप बैठिये ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा मंडल संयोजक का दायित्व केवल विभागीय योजनाओं को संचालित करना है । उसको सब लोगों से मेल-मुलाकात करना रहता है, बातचीत करना रहता है । जो उसमें गाइडलाईन दी गई है, वही इसमें है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब नहीं आया । (व्यवधान) वे ट्रायबल विभाग में थे, आपने उन्हें शिक्षा विभाग में भेज दिया । जब ट्रायबल विभाग में मंडल संयोजक की भर्ती हो रही है, उससे वंचित कर रहे हैं । मेरा अनुरोध यह है कि उनको भी अनुमति दी जानी चाहिए । उनकी मूल पदस्थापना ट्रायबल में है । आपने शिक्षा विभाग में भेजा है । आपने बंटवारा करके शिक्षा विभाग में भेजा है और परीक्षा देने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- मेरा भी यही अनुरोध है कि आप उन्हें अनुमति दे दें । होना या नहीं होना, यह किस्मत की बात है लेकिन आपकी अनुमति मिलना चाहिए, उन्हें जो ट्रायबल विभाग से शिक्षा विभाग में आए हैं । आप उन्हें परीक्षा देने से भी वंचित कर रहे हैं । यह बहुत ही गंभीर त्रुटि है । आपके आदेश से ही वे ट्रायबल से शिक्षा विभाग में आए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, जवाब दे दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि भर्ती नियम 2011 में भी जो विषय आए हैं, 2018 में जो संशोधन किया गया है उसमें भी वही बात है । केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था रह गई है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी बात को नहीं समझ पा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, यह तो टाइमपास करने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सभी लोग मिलकर मंत्री जी से बात कर लीजिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, ये समय समाप्त करने की प्रक्रिया है । विपक्ष प्रश्न न कर पाए इसलिए आपके आदेशों का उल्लंघन हो रहा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- समय समाप्त करने की प्रक्रिया नहीं है । ट्रायबल विभाग के लोगों को आपने शिक्षा में भेजा है । शिक्षा विभाग में जाने के बाद उन्हें परीक्षा से वंचित कर रहे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- उपाध्यक्ष महोदय, पी.सी.सी. अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं तो मंत्री जी को भी एक लाईन में बोल देना चाहिए, उसमें उन्होंने 5 मिनट खराब कर दिया । एक बार तो अपने अध्यक्ष का कहना मान लीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह 2 मिनट या 5 मिनट का सवाल नहीं है नेताजी, हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है । उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिल रही है ।

भूमि व्यपवर्तन हेतु नियम/अधिकार

4. (*क्र. 790) श्री शिवरतन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) कराने हेतु राजस्व विभाग ने कौन-कौन से नियम बनाये हैं इस हेतु कौन-कौन से दस्तावेज तथा किस-किस विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तथा भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) हेतु कितने-कितने क्षेत्रफल का अधिकार किस-किस स्तर के अधिकारियों व शासन को है? (ख) बलौदाबाजार भाटापारा जिले के वर्तमान में किस-किस स्तर के किस-किस प्रयोजन के कितने-कितने भूमि व्यवपर्तन (डायवर्सन) के प्रकरण लंबित हैं लंबित होने के क्या कारण है तथा निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? (ग) पिछले 5 वर्षों में किये गये भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) क्या राजस्व विभाग के रिकार्ड में उन्हें चिन्हांकित कर दुरूस्त कर दिया गया है यदि नहीं, तो कितना शेष है और कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) भूमि व्यपवर्तन कराने हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के तहत छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 बनाया गया है. नियम 2-क एवं 4 के तहत आवेदन के साथ बी-1, खसरा, नक्शा, ले-आउट आदि दस्तावेज संलग्न किये जाते हैं तथा नियम 5 एवं 6 के तहत स्थानीय निकाय, नगर निवेश के साथ-साथ अन्य विभाग का अभिमत लिया जाता है. व्यपवर्तन (डायवर्सन) की अनुज्ञा हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है. (ख) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में वर्तमान में निम्नानुसार प्रकरण लंबित है :—

अनुविभाग का नाम	आवासीय प्रयोजन	व्यावसायिक प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजन
बलौदा बाजार	92	29	12
भाटापारा	73	15	13
सिमगा	23	08	09
कसडोल	05	08	00
बिलाईगढ़	62	20	02

योग	255	80	36

अनुविभाग बलौदाबाजार के 45 प्रकरण समय-सीमा के बाहर है. उपरोक्त सभी प्रकरणों का नियमों के तहत त्वरित निराकरण किया जा रहा है. (ग) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत व्यपवर्तित भूमि का पृथक से बी-1 तैयार कर संधारण किया जा रहा है. वर्तमान में आदेश उपरांत हल्का पटवारी से रिकार्ड दुरूस्त कराया जा रहा है. रिकार्ड दुरूस्ती हेतु प्रकरण शेष नहीं है.

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने डायवर्सन के लिए लिखा है कि खसरा, नक्शा, लेआउट आदि दस्तावेज संलग्न किये जाते हैं । मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि राजस्व विभाग ने 13 दिसम्बर, 2013 को एक परिपत्र जारी किया है, उस परिपत्र में लिखा गया है कि यदि कृषि भूमि विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में है और कोई व्यक्ति ऐसी भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन करना चाहता है तो ऐसे व्यपवर्तन के लिए केवल इस आशय की लिखित सूचना देना ही पर्याप्त होगा । पृथक से कोई दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है । वहीं कलेक्टर महासमुंद ने 2015 में एक पत्र जारी किया है, जिसमें डायवर्सन के लिए जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उसमें नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है कि 20 बिंदुओं की जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है यह ठीक नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या डायवर्सन के लिए यह जो पत्र जारी किये गए, इन्हें आधार माना जाएगा या इसके अतिरिक्त कोई पत्र शासन ने जारी किया है, यह बता दें ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल में डायवर्सन के लिए जो व्यवस्था थी, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हम लोगों ने व्यवस्था में परिवर्तन किया और इसमें सरलीकरण किया गया है । आपको जानकारी देना चाहता हूं पहले मंत्रालय तक डायवर्सन के केस आते थे । जो भू-राजस्व संहिता 1959 के ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, समय कम है । आप केवल यह बता दीजिए मैंने जिन पत्रों का उल्लेख किया इसके बाद डायवर्सन के लिए आपने कोई और परिपत्र जारी किया है क्या ? अगर परिपत्र जारी किया है तो हमें उपलब्ध करा दीजिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हमारी सरकार आने के बाद जो व्यवस्था दी गई है उसमें डायवर्सन को सरल किया गया है । जो एस.डी.एम. को पहले अधिकार होता था। वही अधिकार एस.डी.एम.को ही वापस अधिकार दिया गया है । लोगों को कलेक्टोरेट और मंत्रालय आने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, डायवर्सन को कठिन कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, डायवर्सन को कठिन कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। डायवर्सन कराने के बाद..।

श्री भूपेश बघेल :- प्रश्नकाल समाप्त हो गया भाई। प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

पटल पर रखता हूं ।

(2) खान और खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम, 1957 की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 27 मई, 2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 3 जून, 2020

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26 जून, 2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 27 मई, 2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 3 जून, 2020

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26 जून, 2020

पटल पर रखता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:02 बजे

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

(4) पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 तक)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 तक) पटल पर रखता हूं ।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं ।

(6) अधिसूचना क्रमांक एफ 19-32/2011/25-2, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ नियम, 2020

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 111 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 19-32/2011/25-2, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ नियम 2020 पटल पर रखता हूं ।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 पटल पर रखता हूं ।

(8) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक वित्तीय वर्ष 2017-18

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-18 पटल पर रखता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- लेकिन कवासी लखमा जी का रोल तो मोहम्मद अकबर जी निभाते थे। आप कब से आ गये ? दो बार हो गया।

सभापति महोदय :- अब नियम 183 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- शून्यकाल की सूचनाएं ले लीजिए।

पृच्छा

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो नौकरी में हैं, उनकी तनख्वाह एकदम कम है, वह भी नहीं मिल रहा है। वे सब आंदोलनरत हैं। शिक्षकों की भर्ती भी कम हुई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष में थे तो 60 हजार शिक्षकों की भर्ती के पद खाली हैं । अभी सिर्फ 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हुई है, वह भी पूरी तरह से नहीं हो रही है । 47 प्रकार के संघ अपनी-अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत् हैं, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस भर्ती संघ, उपनिरीक्षक समकक्ष संघ, संघर्षशील प्रेरक संघ, विद्या मितानीन संघ, सी.ए.एफ. भर्ती संघ, एस.आई. भर्ती संघ, छत्तीसगढ़ दैनिक भोगी वन कर्मचारी संघ, स्कूल सफाई कर्मी संघ, छत्तीसगढ़ संयुक्त अधिनियम कर्मचारी संघ, प्रशिक्षित क्षेत्र, नेत्र सहायक संघ, आयुष चिकित्सक संघ, स्वच्छ भारत मिशन, दिव्यांग पुनर्वास, जन भागीदारी शिक्षक, स्वास्थ्य भारत मिशन, यातायात महासंघ, अप्रेंटिश छात्र संघ, अतिथि शिक्षक, स्टाफ नर्सिंग, मनरेगा रोजगार संघ,

विद्युत संविदा कर्मचारी संघ और वगैरह-वगैरह 47 प्रकार के लोग यहां पर सरकार की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से न तो इनकी बात सुनी जा रही है, न इनके वेतनमान बढ़ाने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है, न इनसे कोई अधिकारी बात कर रहा है, न भर्ती की प्रक्रिया जारी है । बेरोजगारी में बहुत रोष है और कुछ न हो तो न हो, 25 सौ रूपया उनको भत्ता देने तक का प्रावधान सरकार की ओर से नहीं किया गया है । इसके लिए हमने स्थगन लगाया है कि उनके बारे में विस्तृत चर्चा हो, ताकि सदन के माध्यम से सरकार स्थिति स्पष्ट कर सके । इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है । लूट, हत्या, डकैती की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं । यह घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके पीछे बड़ा कारण है कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ी है । जब इस नई सरकार का गठन हुआ तो इस सरकार ने युवाओं से बहुत बड़ी संख्या में वादा किया था कि हम इतने लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे, इनकी वेतन वृद्धि करेंगे, पर दो साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका, किसी युवा बेरोजगार को कहीं शासकीय नौकरी का अवसर नहीं मिला। कहीं किसी का नियमितिकरण नहीं हुआ, इसके चलते हर विभाग में चाहे पंचायत कर्मी हड़ताल में जा रहे हैं, पंचायत कर्मी हड़ताल में जा रहे हैं, विद्या मितानीन तनख्वाह के लिए भटक रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 48 हजार पुलिस कर्मियों के पद रिक्त हैं । यह सरकार विज्ञापन निकालती है । पूर्ववर्ती सरकार ने परीक्षा ली, वेरीफिकेशन किया, उनको भर्ती नहीं दी गई । इनके द्वारा फिर से विज्ञापन निकाले गए और उनकी परीक्षा लेने की तारीख इन्होंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में तय की है और उसकी पारदर्शिता के लिए उन्होंने टीम गठित करने की बात के लिए निविदा आमंत्रित की है, उसकी बीट 18 जनवरी को खुली है । यह सरकार पूरे प्रदेश में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसका सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों के 50 हजार पद रिक्त होने के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई । स्वयं मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या हो गई और एक सप्ताह में हत्यारे नहीं पकड़ाये जाते । इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है ? इस विषय पर हम लोगों का स्थगन है । इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आपकी वाणी, आपका वक्तव्य, आपका चरित्र, इसमें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ झलकता है । वे चंद नाम जो छत्तीसगढ़ के बनने के गवाह रहे, सदन में रहे, उनमें आप भी थे माननीय सभापति जी । बड़े-बड़े सपने दिखाए थे कि छत्तीसगढ़ कैसा होगा ? छत्तीसगढ़ कैसा होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि लोगों को, एक आम आदमी को अवसर मिलेगा और कौन सा अवसर मिलेगा ? हमारे पास जितने शिक्षित, अशिक्षित मानव संसाधन हैं, उनके

लायक यहां नियुक्तियां हैं, यह सरकार ने विभिन्न प्रश्नों में स्वीकार किया है । आज आपने सुना कि मार्च, 19 से अब तक 14,560 शिक्षकों की भर्ती चल रही है ।

सभापति महोदय :- विषय में आईए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, 48 हजार से ज्यादा पुलिस भर्ती के लोग ऐसे उखड़ू बैठे हैं । कब सीटी बजे तो कब हमारी भर्ती हो । माननीय उच्च न्यायालय ने तक हस्तक्षेप कर दिया, प्रक्रिया घोषित कर दी, परन्तु सरकार उन तारीखों का, उस डेड लाईन का भी पालन नहीं कर रही है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, क्रमोन्नति नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, बेरोजगारी भर्ती नहीं मिल रहा है । सार्वजनिक जीवन में जो राजनीतिक घोषणा-पत्र चुनाव में आने के लिए जारी किये गए थे, उसका औचित्य खतम हो गया, इस सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमने स्थगन दिया है, छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है । आप सारे काम रोककर इसमें चर्चा कराईए, यह आपसे आग्रह है । सभापति महोदय, आप भी छत्तीसगढ़ की उतनी ही ज्वलंत आवाज हैं, उतनी मजबूत आवाज हैं ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही ज्वलंत विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं । आज हर जिले में, हर ब्लॉक में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, धरने पर बैठे हैं । पटवारी धरने पर बैठे हैं। 48 हजार पुलिस कर्मी नौजवान बेरोजगार इंतजार में है कि कब हमारी भर्ती होगी ? वे गरीब बेरोजगार हैं और उनके हाथ में रोजगार नहीं है। इन्होंने चुनाव के पहले जो सपना दिखाया था, अब सारे लोगों का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये गंभीर विषय है, इस सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, सरकार ने जो वादा किया था। माननीय भूपेश बघेल जी, उस समय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, माननीय टी.एस. सिंहदेव राजा साहब उस समय घोषणा पत्र बनाये थे, लेकिन ये जनता के साथ घोर अन्याय है।

सभापति महोदय :- संक्षिप्त में पूरा करिये। श्री सौरभ सिंह जी।

श्री नारायण चंदेल :- ये घोर अन्याय है। इसलिए सरकार को इस पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसी कारण से माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब एक साल से मुंह नहीं खोल रहे हैं। आज भी हमने कहा कि अपने चेहरे का दीदार तो करवा दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- उससे शर्मनाक बात यह है कि पी.सी.सी. चीफ दुखी हैं, पी.सी.सी. चीफ को प्रश्न लगाने बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- लोगों को चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, उन्होंने स्थायी तौर पर ढक लिया है।

सभापति महोदय :- आप लोगों की बात आ गयी है। श्री सौरभ सिहं जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। किसी विभाग में नियुक्ति नहीं हो रही है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो और सभी कर्मचारी संगठन चाहे, वे सचिव हो, चाहे पटवारी हो, वे लोग आंदोलन पर बैठे हैं। नियमितीकरण की बात की गयी थी, अब नियमितीकरण में कोई कानूनी पेंच है तो वह भी बता दे कि नियमितीकरण में कानूनी पेंच है। उस समय नियमितीकरण में घोषणा कुछ और थी, कोई कानूनी पेंच होगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग अपने अधिकारों के उपर जाकर तहसीलदार, एस.डी.एम. के प्रकरण को सुन रहे हैं, कोंडागांव में यह प्रकरण आया है कि तहसीलदार ने शैलेन्द्र शुक्ला वलि रविशंकर शुक्ला निवासी केशकाल, आल मुकाम रायपुर के प्रकरण को एस.डी.एम. के विशेषाधिकार पर जाकर तहसीलदार इस प्रकरण को सुन रहे हैं। हमने इस पर स्थगन की मांग की है, कृपया इस पर चर्चा करायें।

श्री नारायण चंदेल :- आज कांग्रेस की स्थापना दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में इन सब बातों की घोषणा कर दें। आज शुभ दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, चुनाव के पूर्व जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा वोट लेने के लिये और वोट बैंक बनाने के लिये राजनीति की गयी, उसके बाद लोगों ने विश्वास किया, इनको वोट दिया, सरकार बन गयी, लोग इंतजार करते रहे, दो साल का समय भी व्यतीत हो गया, अब दो साल समय होने के बाद इस सरकार के प्रति लोगों का विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। अधिकारी, कर्मचारी, समयमान वेतन के लिये भटक रहे हैं। अनियमित कर्मचारी नियमित करने के लिये बैठे हुए हैं। आज सारे फेडरेशन के लोग धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, किसान जा रहे हैं, पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से इस सरकार ने चाहे मितानिन को आश्वासन दिया हो, अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का आश्वासन दिया हो, विद्या मितान अतिथि शिक्षक का दिया हो, इन्होंने बेरोजगारों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी ठगने का काम किया, इन्होंने महिलाओं को ठगने का काम किया, कुल मिलाकर सरकार ने ठगने का काम किया है। सरकार आने के बाद में जिस प्रकार से वातावरण की स्थिति, पूरे प्रदेश में अस्थिरता की स्थिति बन रही है, पूरे ऑफिसों में कामकाज बंद हो गये हैं, लोग सड़कों पर उतर गये हैं, ऐसे में किसान अभी कुछ दिनों तक उनके धान की खरीदी होगी, पता नहीं आगे होगी कि नहीं होगी। पिछली बार टोकनधारियों के लिये भी प्रदर्शन करना पड़ा, इनको लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी रकबा की जो कटौती हुई है उसके लिये जा रहे हैं तो पटवारी बोलते हैं कि हम धरने में बैठे हुए हैं। आप उनका धरना समाप्त करवाईये। उनकी मांगों को पूरा करवाईये। अतिथि शिक्षक जो बैठे हुए हैं, अतिथि शिक्षक 65 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, उनका धरना समाप्त करवाईये। आप लोगों ने स्टाम्प में लिख करके दिया था, आप बाद में भूल जाते हैं और भूलने के बाद में बोलते हैं कि हम कहां लिखे हुए हैं। आपके कागज को आईना दिखाते हैं। आपके दस्तखत को दिखाते हैं, आप

लोगों ने सुनहरा अक्षर में लिखा था। हम जैसे ही सरकार में आयेंगे, 10 दिन के अंदर में पूरा कर देंगे। दो साल पूरे हो गये और लोग यहां पर सड़कों में बैठे हुए हैं। सारे कार्य ठप्प हो गये हैं। सभापति महोदय, हम लोग चाहते हैं कि आज के सारे विषय को रोक करके इस पर चर्चा कराई जाये और विस्तार से हम तथ्यों के साथ बात को रखेंगे। इसलिए हम आपके सामने निवेदन कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आपकी सारी बातें आ गयी है। आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आप चर्चा करायेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। स्वस्थ चर्चा होगी, स्थिति स्पष्ट होगी। जो लोग धरने में बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन तक संदेश जायेगा। सरकार अपना पक्ष भी बोलेगी, इसलिए सभापति महोदय, चर्चा करा लीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- जो दिल्ली में धरने में बैठे हैं, उनकी बात करें न।

श्री धर्मजीत सिंह :- चर्चा कराने में क्या तकलीफ है ?यहां बेरोजागार लोगों की बात नहीं हो सकती, क्या आप यह कहना चाह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सरकार की तरफ से उत्तर आ जाये। आसंदी से निर्देश हो जाये। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर हम यहां सदन में बेरोजगारो की बात न करें तो कहां करे ? सदन में न करे तो कहां करे, आप यह बता दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपसे सरंक्षण नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा ?

सभापति महोदय :- आसंदी से व्यवस्था आ गई है, कृपया सहयोग करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, दो प्रश्न हैं। मेरा एक प्रश्न था कि बेरोजगारों की कितनी पंजीकृत संख्या है ? तो बजट सत्र में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 27 लाख संख्या है। अभी अजय चन्द्राकर जी के प्रश्नों के जवाब में 18 लाख संख्या आया है। आप जरा यह बता दें कि कहां-कहां 11 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया है ? यह सरकार आकड़ों में भी खेल करने लग गई है।

सभापति महोदय :- सारी बातों को सुन लिया है। व्यवस्था दे दिया है। कृपया सहयोग करें। कार्यवाही आगे बढ़ने दे, कृपया सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हम बेरोजगारों की ही तो बात कर रहे हैं। यह चिंता सिर्फ हमारी भी नहीं है, उधर की भी है।

सभापति महोदय :- व्यवस्था आ गई है, आपकी सूचना अग्राह्य कर दिया गया है। कृपया कार्यवाही आगे बढ़ाने में सहयोग करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां बेरोजगारों के बारे में चर्चा न करें कहां करें ?(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- फिर गांधी जी के पास जाना पड़ेगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति जी, सरकार ने वेकेन्सी जारी की, 14 हजार लोगों के सलेक्शन हो गए, सिर्फ आदेश जारी करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका परीक्षण करा लें, एक सप्ताह में परीक्षण हो जायेगा। हम एक सत्र से दूसरे सत्र में आ गये, लेकिन आज तक परीक्षण नहीं हुआ है। क्या इनकी नियुक्ति के लिए ऐसे अधिकारियों के पास प्रदर्शन करना पड़ेगा ? माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के लोग हालाकान और परेशान हैं। (व्यवधान) इसलिए यहां पर चर्चा कराया जाना आवश्यक है।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपकी सारी बातें सुन ली हैं और व्यवस्था दे दिया गया है। सूचना अग्राह्य कर दिया गया है अब आगे कार्यवाही बढ़ाने में सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- बेराजगारों की चर्चा यहां नहीं होगी तो कहां होगी ? सभापति जी, आप ही बताओ न। हम तो चर्चा के लिए तो बोल रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं सभा 5 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(12:18 से 12:30 बजे तक स्थगित रही)

समय :

12:30 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)**

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में 33 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक -22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम तीन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसक बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

पहले क्रमांक (1) से (3) तक की सूचनाएं ली जावेंगी।

(1) जिला राजनांदगांव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एवं नगर पंचायत छुईखदान क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जाना।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- जिला राजनांदगांव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एवं नगर पंचायत छुईखदान क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कालोनी तथा अनाधिकृत विकास एवं बिना विकास अनुज्ञा के अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग, नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एवं नगर पंचायत छुईखदान तथा राजस्व विभाग के अधिकारी इन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा जांच की कार्यवाही की गई है, किंतु दोषी व्यक्तियों, अवैध प्लाटिंग करने वालों एवं जमीन दलालों के विरूद्ध जांच के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा विगत 6 माह में 500 से अधिक अवैध प्लाटों की खरीदी-बिक्री हुई है, वहीं प्लॉट खरीदने वाले गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को पानी, बिजली एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं एवं नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्लाट खरीददारों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा वहीं अवैध प्लाटिंग कर बेचने वालों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं करने से नगर पालिक परिषद खैरागढ़ एवं नगर पंचायत छुईखदान क्षेत्र के नागरिकों में रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि जिला राजनांदगांव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एवं नगर पंचायत छुईखदान क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी तथा अनाधिकृत विकास एवं बिना विकास अनुज्ञा के अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है।

सही वस्तुस्थिति यह है कि जिला राजनांदगांव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एवं नगर पंचायत छुईखदान क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी तथा अनाधिकृत विकास एवं बिना विकास अनुज्ञा के अवैध प्लाटिंगकर्ताओं से संबंधित/अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत खैरागढ़ नगर पालिका परिषद अंतर्गत 147 अवैध प्लाटिंग एवं 10 अवैध विकासकर्ताओं को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्य के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं छुईखदान नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कुल 134 अवैध प्लाटिंग, 03 अवैध कालोनियों के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुईखदान के पत्र दिनांक 25.02.2020 के परिप्रेक्ष्य में

प्रश्नाधीन स्थल पर हो रहे अवैध विकास/निर्माण का राजस्व विभाग, नगर पंचायत तथा नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर नोटिस जारी किया गया है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ व छुईखदान, कार्यालय नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एवं कार्यालय नगर पंचायत छुईखदान द्वारा अवैध प्लाटिंग के संबंध में भूमि प्रबंधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यह भी सही नहीं है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों एवं जमीन दलालों के विरूद्ध जांच की कार्यवाही नहीं की गई है वरन् तथ्य यह है कि खैरागढ़ नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 10 अवैध कालोनियों के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर अवैध विकासकर्ताओं को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्य के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा छुईखदान नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत 03 अवैध कॉलोनियों/अवैध विकासकर्ताओं/स्थानों में सक्षम प्राधिकारी को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अवैध प्लाटिंग खरीदने वाले लोगों को पानी, बिजली एवं सड़क जैसी मूल सुविधायें नहीं मिल पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खैरागढ़ नगर पालिका परिषद एवं छुईखदान नगर पंचायत तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुईखदान द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भूमि प्रबंधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: उपरोक्त क्षेत्र के नागरिकों में किसी भी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त की स्थिति नहीं है।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना और निवेदन करना चाहूंगा। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में जब मैंने प्रथम शिकायत की थी तो माननीय मंत्री जी ने प्रभारी मंत्री की हैसियत से वहां पर बड़ी कार्यवाही करते हुए, राजस्व अधिकारियों को वहां से तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया था और वहां से राजस्व अधिकारियों को हटाया भी गया था। उससे कुछ राहत मिली है, लेकिन जो मुख्य विषय है कि जो खैरागढ़ में जो डी.एफ.ओ. ऑफिस के पीछे एक कॉलोनी बन रही है गायत्री नगर, श्रीराम नगर, विद्या नगर है और बायपास नगर में और छुई खदान में पेट्रोल पम्प के पीछे, ये 6 बड़ी कालोनियां ऐसी बन रही हैं जिसमें वहां पर लगभग 500 से अधिक लोगों ने मकान भी बना लिये हैं और लगभग 500 लोगों की रजिस्ट्रीयां हुई हैं न वहां पर सड़क है और न कोई प्रकार का विकास हुआ है और जिन लोगों ने अवैध प्लाट बेचे हैं उनको नोटिस नहीं मिल रहा है। नोटिस उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने केवल और केवल प्लाट खरीदे हैं, उनको मिल रहा है और जिन लोगों ने अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की है उसमें कुछ कवर्धा के भू माफिया हैं कुछ राजनांदगाव के भू माफिया हैं। मै माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि इसमें लगभग 750 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और अनाधिकृत रूप से सस्ते दरों पर प्लाट बेचकर निकल जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसमें

जांच करकर, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे ? जिसमें जो अवैध डेवलर्स हैं उनके खिलाफ में अवैध पेनाल्टी, आर्थिक पेनाल्टी और पुलिस कार्यवाही भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है उनकी जीवन भर की पूंजी चली गई है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे और इसमें किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, खैरागढ़ और छुईखदान इन दोनों स्थानों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, ऐसा कहना गलत है। कार्यवाही तो की गई है खैरागढ़ और छुईखदान में भी भूमि प्रबंधन के संबंद्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जहां तक जिन्होंने अवैध प्लाटिंग करने का काम किया है तो खैरागढ़ में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के द्वारा 10 लोगों को नोटिस जारी की गई है, लेकिन छुईखदान में अवैध प्लाट विक्रेताओं को नोटिस जारी नहीं किया गया है तो पूरे मामले में कुछ त्रुटि तो है इसलिए आपकी जो मंशा है उसके हिसाब से एडिशनल कलेक्टर लेवल के एक अधिकारी, एक महीने के भीतर इसकी जांच कर लेंगे और जांच करके रिपोर्ट देंगे और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही, सभी नियमों के अंतर्गत जो भी इससे संबंधित है, उसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितिकरण की कार्यवाही न होना।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में युवाओं के साथ उनकी मांगों को पूरा न कर तथा उनके लिए शासकीय नौकरी के अवसर उपलब्ध न करा कर उन्हें ठगा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 10 हजार संविदाकर्मी कार्यरत हैं और जिनके द्वारा लगातार नियमितीकरण की मांग की जा रही है, सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व इनके नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन इनके नियमितिकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अक्टूबर, 2020 में नियमितिकरण के संबंध में नियमों, तथ्यों के परीक्षण के लिए समिति बनाई गई थी, जिसको 07 दिवस के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु आज पर्यन्त न तो समिति की बैठक हुई और न ही समिति के द्वारा कोई अपनी अनुसंशा रखी गई है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को धोखे में रखा जा रहा है और उनकी मांगों को पूर्ण करने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वस्तुत: समिति के द्वारा तत्काल बैठक लेकर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करनी चाहिए और सरकार को इसमें शीघ्र निर्णय लेकर उनके नियमितिकरण के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा न होने के कारण युवाओं में भारी रोष व्याप्त है।

स्वास्थ्य मंत्री(श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, यह कथन सही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 10 हजार संविदाकर्मी कार्यरत हैं और जिनके द्वारा लगातार

नियमितिकरण की मांग की जा रही है। यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में युवाओं के साथ उनकी मांगों को पूरा न कर तथा उनके लिए शासकीय नौकरी के अवसर उपलब्ध न करा कर उन्हें ठगा जा रहा है तथा इनके नियमितिकरण के कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वास्तविकता यह है कि शासन से आदेश प्राप्त होते ही अक्टूबर, 2020 में नियमितिकरण के संबंध में नियमों, तथ्यों के परीक्षण के लिए तत्काल एक समिति बनाई गई है। किंतु यह सही नहीं है कि आज पर्यन्त न तो समिति की बैठक हुई ओर न ही समिति के द्वारा कोई अपनी अनुशंसा रखी गई है। वस्तुस्थिति यह है कि समिति की बैठक दो बार 10.11.2020 एवं 24.12.2020 में की गई तथा बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार कर निर्णय लिया गया।

अत: यह कथन सही नहीं है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को धोखे में रखा जा रहा है और उनकी मांगों को पूर्ण करने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वस्तुत: समिति की बैठक समयावधि में की जा चुकी है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों में किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया है कि यह सही नहीं है कि आज पर्यन्त तक न तो समिति की बैठक हुई और न ही समिति के द्वारा कोई अपनी अनुशंसा रखी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बैठके हुई हैं, कमेटी के द्वारा क्या अनुशंसा दी गई है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, बैठकें चल रही हैं, अनुशंसायें आ रही हैं, जो बातें आई होंगी, अभी समिति के समक्ष आई हैं। समिति की अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह मांग लंबे वर्षों से है और उनकी संख्या भी बड़ी है। इसमें विडंबना यह है कि एक साल के लिए नियुक्ति होती है, इनका रिनुअल होना चाहिए, वह समय पर नहीं होता, उनके 6 महीने के बाद में रिनुअल किये जाते हैं, उसमें से एक-दो लोगों को निकाल दिया जाता है। इस कोविड के संकट में वह लोग बड़े काम किये हैं। उसके बाद में जब यहां पर उनकी बात आती है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं समिति की अनुशंसायें कब तक आ जायेंगी, इसकी समय-सीमा बताने का कष्ट करें ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति, महोदय, एकदम एक्जेक्ट तारीख, समय-सीमा बताना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग स्वयं इच्छुक हैं। लेकिन जैसा आप स्वयं जान रहे हैं, आपने इस बात को रखा कि एन.एच.एम. के माध्यम से लगभग 10 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। वास्तव में जो पद स्वीकृत हैं, 14681 पद स्वीकृत हैं, इनमें 10,567 काम कर रहे हैं, 4114 पद अभी भी रिक्त हैं और इनमें भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 320 करोड़ 56 लाख 80 हजार का बजट है, यदि 14681 कर्मचारियों की भर्ती हो जाती है। इनमें हम कितना बढ़ा सकते हैं, कुछ राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है

जिसमें राज्यों ने नियमितिकरण इत्यादि की कार्यवाही की है। 4-5 राज्यों में ऐसा हुआ है। उनको भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इस बाबत् वहां का प्रस्ताव जायेगा। आप जान रहे हैं कि हमको दो जगह से राशि लेनी होगी। एक केन्द्र सरकार से 60 प्रतिशत और राज्य सरकार को अपने बजट से 40 प्रतिशत देने के लिए सहमति करनी होगी। हम बजट में इस प्रस्ताव को रखेंगे। अगर केन्द्र और राज्य सरकार की सहमति मिलती है तो नियमितिकरण की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, इसमें जो आयुष चिकित्सक के रूप में संविदा नियुक्ति हुई है, एक तो केन्द्र सरकार के द्वारा और एक राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और यह केन्द्र और राज्य की ओर से प्रतिमाह राशि दी जाती है, वह दोनों राशियों में अंतर है। काम एक ही है, अंतर केवल इतना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक नियुक्ति केन्द्र के द्वारा और एक राज्य के द्वारा की गई है। जो असमानता, विभिन्नता है, एक काम करना है, एक जगह पोस्टिंग है, केवल नियुक्ति आदेश जारी करने वाले हैं तो क्या यह असमानता को समाप्त करके दोनों को एक समान करके, एक समान वेतन देंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, मेरी जानकारी में विसंगतियों की मेरे को जानकारी नहीं है। अलग-अलग वेतन, अलग-अलग क्षेत्रों की परिस्थिति के अनुसार प्रोत्साहन राशि जरूर अलग से दी जाती है, वह राशियों का अंतर है। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि एक ही स्थान पर काम करने वालों के वेतन में अगर अंतर है, मैं इसको दिखवा लूंगा कि इसका क्या कारण है। अगर एक मद से ये हो रहा है तो सामान्य रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है, मैं इसको जरूर दिखवा लूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इस कोविड के समय में मैंने कहा कि उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। उस समय हम लोगों ने इस बात को उठाया भी था और आपसे आग्रह भी किया था कि उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। इस कार्य खंड में जो लोग काम किये हैं, उनको प्रोत्साहन राशि स्वरूप अभी तक राज्य सरकार के द्वारा कुछ प्रदान किया गया है और यदि हां तो कितना प्रदान किया गया है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, इसमें कोविड के नाम से प्रोत्साहन राशि दी गई हो यह जानकारी तो नहीं है लेकिन अलग-अलग माध्यमों से इनको काफी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है, इनकी सेवा भर्ती के लिये भी इनको अंक दिये जाते हैं, अपने अनुभव के अंक दिये जाते हैं । उदाहरण के लिये यदि सरकार के उपक्रम शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में, पदों में अगर ये काम कर रहे हैं तो प्रतिवर्ष का अनुभव इनको भर्ती के समय 02 अंक का बेनिफिट मिलता है और 5 साल तक अर्थात् 10 अंक और अगर एन.एच.एफ. में ये काम करते रहे हैं तो इनको प्रत्येक वर्ष का 03 अंक, एक तरह से यह मान सकते हैं कि हर 04 महीने का 01 अंक और 05 वर्ष के लिये 15 अंक

इनको भर्ती में मिलते हैं और यह भी देखा गया कि अभी जो नियमित भर्ती हुई इसमें काफी एन.एच.एम. की जो हमारी बहनें थीं और साथी थे इनको अवसर मिला है, भर्ती में ये आ गये हैं । जो शेष राशियां हैं वह या तो मेटरनिटी लीव का है, पेटरनिटी लीव का है । कोविड के नाम की कोई अलग से राशि दी गई है, इसकी जानकारी नहीं है लेकिन अगर उनकी मृत्यु उस दरमियान हुई है तो 05 लाख तक की राशि का जो प्रावधान है वह किया गया है और बैंकों से जो उनको इंश्योरेंस के माध्यम से अतिरिक्त राशि दी जा सकती है उसमें 30 लाख तक का प्रावधान है ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, उन्होंने ही विधानसभा चुनाव के पहले घोषणा पत्र तैयार किया था और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट था कि हमारी सरकार आते ही 10 दिनों में इनका नियमितीकरण किया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से एक तो यह जानना चाहूंगा कि इनका नियमितीकरण कब तक होगा ? उसका दिन, तिथि निश्चित रूप से बतायें । दूसरा मामला यह है कि इन्होंने बताया कि समिति बनी है तो समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ? समिति की बैठक कब-कब होती है ? अभी तक समिति की क्या–क्या अनुशंसा आयी है और एक निश्चित समयावधि और समिति का कार्यकाल कितना है, आप कृपया सदन के माध्यम से इससे हम लोगों का ज्ञानआवर्धन करा दें ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, यह कोई ज्यूडिशियल कमेटी नहीं है जिसका कि समय निर्धारित किया गया हो । यह एग्जीक्यूटिव प्रशासकीय कमेटी है, इसका समय निर्धारित नहीं होता लेकिन हमारी भी मंशा है कि इसको बजट के पहले यदि कोई ठोस सुझाव नहीं आते हैं तो हम बजट में रखेंगे क्या ? तो यह माना ही जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभाग की जब मंत्री की बैठक होगी तो हम अवश्य इस बात को रखेंगे । बजट को ही एक हमारी जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और यह आसान नहीं है, बगल में श्री अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वे तो सारी चीजें जानते हैं । 96 से ज्यादा, करीब 100 ऐसे अलग-अलग कार्यों में जुड़े हुए यह साथी हैं तो सभी का बनाना और सही जानकारी बजट के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना इसमें ही जो समय लग रहा है, वह लग रहा है वरना हमारी मंशा पूरी है कि हम इसको प्रस्ताव के रूप में तो रखेंगे ही ।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माने आपकी नहीं चल रही है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय राजा साहब, यह देखिए कोविड का काल है और कोविड के समय में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । ये बेचारे रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, मिशन के कार्यकर्ता गरीबों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं । हमें जो जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने

नियमितीकरण पर रोक लगायी है तो जब माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगायी है उसके बाद आपने कैसे चुनाव के घोषणा पत्र में इसको शामिल कर दिया कि हम इसका नियमितीकरण कर देंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, कोर्ट से अगर नियमितीकरण के संबंध में कोई रोक लगती है तो अभी तक मेरी जानकारी में आरक्षण को लेकर ही बातें हैं उसमें भी उन्होंने जो वर्ग है । जिसमें आरक्षण की बातें बीच में नहीं आती हैं, नियमितीकरण या दूसरी प्रक्रिया में हाईकोर्ट की कोई रोक नहीं लगी हुई है और नियमितीकरण के उनके जो भी प्रावधान होंगे वरना तो नियमितीकरण की मांग ही नहीं आती हैं । जो साथी हैं...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी ।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ सिंह । पर्याप्त प्रश्न हो गया न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि कोर्ट ने रोक लगायी । कोर्ट ने रोक लगायी और कोर्ट से रोक हटाने के लिये शासन स्तर पर क्या- क्या कार्यवाही की गयी ? आप यह बता दें कि वह स्टे वेकेट हो जाये इसके लिये शासन के स्तर पर क्या- क्या कार्यवाही की गयी ?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं कोर्ट से, माननीय सदस्य जी बोल रहे हैं कि कोर्ट से रोक लगी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह स्टे, वेकेट हो जाए, इसके लिए शासन के स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई यह बता दें आप । शासन ने इसके लिए कोई पहल की है क्या ।

श्री नारायण चंदेल :- शासन कोई समय सीमा बता दे कि कब तक नियमितीकरण हो जाएगा । सदन के माध्यम से उन कर्मचारियों को जानकारी मिल जाएगी ।

सभापति महोदय :- हो गया । काफी पूरक प्रश्न हो गए । माननीय सौरभ सिंह जी अपनी सूचना पढ़ें ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नियमितीकरण के लिए केन्द्र शासन से 60 प्रतिशत राशि मिलनी है । राज्य सरकार से 40 प्रतिशत दिया जाना है । दोनों की सहमति मिलेगी तो इसमें हो जाएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, ऐसा तो नहीं है कि जब मैं इधर आउंगा तब इस पर विचार करूंगा । ऐसी बात तो नहीं है ना ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अभी ढाई साल बचे हैं, बात बंद ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, मैं अपनी सूचना पढ़ने के पहले बोलना चाहता हूं कि 1996 से कोर्ट ने नियमितीकरण पर रोक लगाकर रखा है ।

सभापति महोदय :- आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़िये ।

(3) जिला कोरबा एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में स्थापित कल-कारखानों, उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण होना.

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला कोरबा एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में स्थापित विभिन्न कारखानों/उद्योगों मुख्यत: सीमेंट एवं पावर प्लांट से निकलने वाले धुंए, दूषित जल एवं अन्य अपशिष्टों से लगातार पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण नासा द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है । कोरबा परिवहन और औद्योगिक कलस्टर के सबसे खराब नाइट्रोजन ऑक्साइड का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है एवं मृदा व भूमिगत जल में भी दिन-प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है । शरद ऋतु में पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण और उस पर कोविड-19 संक्रमण स्थानीय निवासियों हेतु जानलेवा एवं खतरनाक बन चुका है । स्थापित कल-कारखानों/उद्योगों के नियमित निरीक्षण एवं जांच के साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक जांच नहीं होने एवं कल-कारखानों से निकलने वाले दूषित जल और अन्य अपशिष्ट के सुचारू प्रबंधन नहीं होने एवं कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल और अन्य अपशिष्ट के सुचारू प्रबंधन नहीं होने से आम जनमानस में शासन/प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिले में 11 ताप विद्युत संयंत्र स्थापित हैं तथा सीमावर्ती जिलों क्रमश: जांजगीर-चांपा जिले में 01 सीमेंट प्लांट एवं 07 ताप विद्युत संयंत्र, बिलासपुर जिले में 01 ताप विद्युत संयंत्र, रायगढ़ जिले में 01 सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई, 20 कोयला आधारित एवं 3 बायोमास आधारित ताप विद्युत संयंत्र, तथा सूरजपुर जिले में बायोमास आधारित 02 ताप विद्युत संयंत्र संचालित है । इन ताप विद्युत संयंत्रों में केप्टिव ताप विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित हैं । सभी संयंत्रों में आवश्यक जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की गई है तथा उद्योगों में परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति निरंतर बनाकर रखी जाती है ।

अत: यह कहना सही नहीं है कि जिला कोरबा एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में स्थापित विभिन्न कल-कारखानों/उद्योगों मुख्यत: सीमेंट एवं पावर प्लांट से निकलने वाले धुंए, जल एवं अन्य अपशिष्ट से लगातार पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है । कोरबा जिले में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के तहत 04 स्टेशन परपरिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन का कार्य किया जाता है । विगत माहों में किये गये नाईट्रोजन ऑक्साइड्स के मापन परिणाम निर्धारित मानकों से बहुत कम पाये गये हैं ।

यह भी सही नहीं है कि कोरबा परिवहन और औद्योगिक कलस्टर के सबसे खराब नाइट्रोजन ऑक्साइड का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है । अपितु सही यह है कि मृदा एवं भूमिगत जल में भी दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ने जैसी स्थिति नहीं है । कोरबा में वर्तमान में दिनांक 14.12.2020 से 20.12.2020 के मध्य वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषप्रद श्रेणी के अंतर्गत पाया गया है । अत: यह भी कहना सही नहीं है कि शरद ऋतु में पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण स्थानीय निवासियों हेतु जानलेवा एवं खतरनाक बने जैसी स्थिति नहीं है । छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सभी उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण में पायी गई कमियों में सुधार कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । साथ ही मंडल द्वारा कोरबा एवं रायगढ़ में नियमित परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच भी की जाती है । अत: यह कहना सही नहीं है कि उद्योगों की नियमित जांच एवं निरीक्षण तथा वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच नहीं की जाती है । उद्योगों द्वारा उत्पन्न दूषित जल एवं अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन की सतत् व्यवस्था की जाती है।

अत: उपरोक्त वस्तुस्थिति के प्रकाश में कारखानों से निकलने वाले दूषित जल और अन्य अपशिष्ट के सुचारू प्रबंधन नहीं होने से आम जनमानस में शासन प्रशासन के प्रति रोष की स्थिति नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, वह बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, मैं केवल कोरबा जिले की बात करूंगा । एयर पॉल्यूशन एक तरह का पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन दूसरे तरह का पॉल्यूशन, ट्रक से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, वाटर पॉल्यूशन तीसरे तरह का पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन चौथे तरह का पॉल्यूशन। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एयर पॉल्यूशन के बारे में पूछना चाहता हूं कि एयर पॉल्यूशन में जो एस.पी.एम. (Suspended Particulate Matter) की मात्र है, आर.एस.पी.एम. की मात्रा सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की मात्रा। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की मात्रा का जवाब आपने दिया है। ये तीन और जो मानक हैं, एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम. और सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा का कब-कब उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ? कहां-कहां पर उसके स्टेशन बनाये गये हैं और उसकी कब-कब और कैसे-कैसे मॉनिटरिंग होती है?

समय :
1.00 बजे

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, comprehensive environmental index इसमें एयर, वाटर, लैण्ड ये तीनों आता है। air emission water effluent और land fly ash गार्बेज कचरा इसका ये आता है और जो एयर इंडेक्स कोरबा का आप जानना चाह रहे हैं तो 14/12/2020 से 20/12/2020 तक की अवधि में कोरबा एयर क्वालिटी इंडेक्स 47.29 है। जो कि संतोषप्रद श्रेणी में है। उक्त अवधि में रायगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 44.30 पाया गया है, जो संतोषप्रद है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं। ये 4 सूचकांक का मैंने बताया। सल्फर डाई ऑक्साइड, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। सल्फर डाई ऑक्साइड की चेकिंग के लिए वहां पर 11 थर्मल प्लांट चल रहे है तो सल्फर डाई ऑक्साइड की चेकिंग के लिए रेग्यूलर मॉनिटरिंग के लिए क्या कहीं पर मानक यंत्र लगाये गये हैं और लगाये गये हैं तो कहां-कहां पर लगाये गये हैं और पिछले साल में 6 महीने में उनकी क्या-क्या रिडिंग आयी है।

श्री मोहम्मद अकबर :- ये जो सल्फर डाई ऑक्साइड के बारे में आप बता रहे हैं ये भी सीमा के भीतर ही है।

श्री सौरभ सिंह :- पर माननीय मंत्री जी, कहां-कहां पर लगाये गये हैं। ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये हैं या प्लांटों के अंदर लगाया गया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन की जिस व्यवस्था के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं, उसमें कोरबा में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत् 4 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया जाता है। तहसील कार्यालय के पास रामपुर प्रगतिनगर जमनीपाली, आई.टी.आई. रामपुर गीतांजलि लूयेंट ट्रांसपोर्ट नगर।

श्री सौरभ सिंह :- ये केन्द्र सरकार के मंत्री आर.के. सिंह साहब की चिट्ठी है, उसमें यह कहा गया है कि जितने पॉवर प्लांट हैं, उनमें सबमें सल्फर डाई ऑक्साइड निकलता है और फ्यूल गैस डी सल्फराइजेशन एफ.जी.डी. लगाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जितने कारखाने हैं, ये तीनों जिलों में या कोरबा जिले में, इन कारखानों में एफ.जी.डी. फ्यूल गैस डी सल्फराइजेशन के संयंत्र कब तक लगा देंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- यदि आप मुझे यह जानकारी दे देंगे तो इसमें निश्चित रूप से आगे की कार्यवाही हम लोग करेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- जी। मैंने एयर पॉल्यूशन की बात की। एयर पॉल्यूशन के बाद वाटर पॉल्यूशन है। noise pollution है। मैं एयर पॉल्यूशन के प्रति माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कोरबा जिले में एक संयंत्र बालको संयंत्र है। बालको संयंत्र में जो एल्यूमीनियम का स्प्लींटर लगता है, उसमें जो एल्यूमीनियम का पॉट होता है। उस पॉट में कार्बन की लाइनिंग होती है और जो कार्बन की लाइनिंग होती है, वह हाइली टाक्सीक ग्रेड का है। कार्बन की लाइनिंग सबसे ज्यादा हाइली टाक्सिक ग्रेड का माना जाता है, उसको क्या कार्बन की लाइनिंग में बालको में जांच करायेंगे कि उसके लिए मापदण्ड बना है कि उसका डिस्पोजल कैसे किया जाये? उसके डिस्पोजल की गाइडलाइन दी गई है। क्या उस गाइडलाइन को बालको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है और गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- बालको के द्वारा गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसे हम लोग निश्चित रूप से दिखवा लेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- जी।

सभापति महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 4 के उप पद (4) से (33) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सदस्य

5. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य

6. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य

7. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

8. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

9. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

11. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

12. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, सदस्य

13. श्री सौरभ सिंह, सदस्य

15. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य

16. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, सदस्य

18. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य

19. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य

20. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

21. श्री संतराम नेताम, सदस्य

समय :

1:00 बजे

22. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल

23. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

24. श्री धर्मजीत सिंह

26. सर्वश्री धरम लाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल

27. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर

28. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा

29. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

30. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
31. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
32. श्री सौरभ सिंह
33. श्री केशव प्रसाद चंद्रा

सभापति महोदय :- अब मैं नियम 267 क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं लूंगा ।

समय :
1:01 बजे

<u>नियम 267 क के अंतर्गत विषय</u>

सभापति महोदय :- नियम 267 **क** (2) को शिथिल कर आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को मैंने सदन में 17 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है । निम्नलिखित सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री नारायण चंदेल
3. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
4. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
5. श्री गुलाब कमरो
6. श्री धर्मजीत सिंह
7. श्री सौरभ सिंह
8. श्री दलेश्वर साहू
9. श्री धरम लाल कौशिक
10. श्री लालजीत सिंह राठिया
11. श्री डमरूधर पुजारी
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
13. श्री बघेल लखेश्वर
14. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
15. श्री रजनीश कुमार सिंह
16. श्री ननकीराम कंवर
17. श्री देवव्रत सिंह

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
1:02 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र-64, दुर्ग शहर के सदस्य श्री अरूण वोरा द्वारा दिसम्बर, 2020 सत्र में दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है ।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

मुझे सूचित करना है कि दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को पितृशोक हो जाने के कारण वर्तमान में चल रहे सत्र में दिनांक 21 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक उपस्थित होने में असमर्थ हूं ।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-64, दुर्ग शहर के सदस्य श्री अरूण वोरा को दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

समय :
1:03 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी:-

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
4. श्री पुरूषोत्तम कंवर

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश के लिए सभा की बैठक स्थगित होने के बाद समिति कक्ष क्रमांक 1 में राज्य शासन के वर्ष 2021 के कैलेण्डर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जायेगा । सभी माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष जी एवं सभी सदस्यगण आमंत्रित हैं ।

समय :-

1:04 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम 1961 की धारा 35 (च) तथा 187 में संशोधन तथा धारा 187 (क) में उपधारा के पश्चात् नवीन उपधारा 2 जोड़ा जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 35 (च) में वर्तमान में अभ्यर्थी के निर्हताओं के अंतर्गत अध्यक्ष एवं पार्षद के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिये ऐसे व्यक्ति को जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है तथा जो संक्रामक है उसको अभ्यर्थी के लिये निर्हता की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में कुष्ठ रोग साध्य है। अत: अधिनियम में उल्लेखित इस प्रावधान को जारी रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता, इस कारण से धारा 35 (च) में उल्लेखित निर्हता को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 187 में भवन निर्माण अनुज्ञा के वर्तमान प्रावधान के अनुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दिया जाता है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रदान की गयी भवन निर्माण अनुज्ञा केवल तभी मान्य है, जब अनुमति के 1 वर्ष के भीतर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया हो। यदि समयावधि बहुत कम है, पिछले लगभग 9 माह से कोरोना संक्रमण के कारण अधिनियम में प्रावधानित अवधि में भवन निर्माण प्रारंभ करना एवं पूर्ण करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही भवन निर्माण अनुज्ञा के उपरांत अधिकतम अनुज्ञा प्राप्त भूमि स्वामियों के बैंक ऋण आदि की कार्यवाही में काफी समय व्यतीत हो जाता है। अत: अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनुमति के एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा में वृद्धि 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 187 (क) में भवन निर्माण संबंधित अपराधों के शमन के लिये शमन शुल्क जमा करने का प्रावधान है। व्यापक जनहित में शैक्षणिक संस्थाओं जिसमें कम से कम पांच वर्ष से शिक्षा तथा वंचित व्यक्तियों के आजीविका बढ़ाने के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रों, गरीबों, वंचित लोगों को धमार्थ सेवा प्रदान करती हो, धार्मिक और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं एवं ऐसी संस्थाएं जो विगत पांच या इससे अधिक वर्षों से अनाथ आश्रम शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों परित्यक्ता महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रम का संचालन करती हो, ऐसी संस्थाओं को परिषद की सामान्य सभा की

अनुशंसा पर भवन निर्माण के अपराधों के शमन पर देय शुल्क में मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् आंशिक या पूर्ण रूप से छूट करने हेतु नवीन उपधारा जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक की धारा 35 (च) 187 एवं 187 (क) में प्रस्तावित संशोधन से नगर पालिका के निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने के लिये कुष्ठ रोग से पीड़ित जो संक्रामक हो, वह निर्हता की श्रेणी में रखे जाने के प्रावधानों को विलोपित करने से संवैधानिक समानता के तहत निर्वाचन लड़ने के लिये पात्रता की श्रेणी में आयेंगे। भवन निर्माण अनुज्ञा की समयावधि में वृद्धि से आमजनों को भवन निर्माण करने के लिये पर्याप्त समय मिल सकेगा तथा किसी शेष प्रकरण में शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सा संस्थाओं, धार्मिक एवं समाज सेवी संस्थाओं, अनाथ आश्रम, शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों तथा परित्यक्ता महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रम का संचालन करने वाली संस्थाओं को भवनों के निर्माण के अपराधों पर देय शमन शुल्क व परिषद के सामान्य सभा की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद के सहमति उपरांत विशेष व्यापक जनहित निहित हो, आंशिक या पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने पर ऐसी संस्थाओं द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा एवं अनाथों परित्यक्ता महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों की सेवा का कार्य बेहतर ढंग से संपादित किया जा सकेगा। अत: छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020 सर्वसम्मति से पारित किया जाना प्रस्तावित है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अजय चन्द्राकर।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

सभापति महोदय :- अभी आप इस पर बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, आप जो पढ़े हैं। चलिये व्यवस्था का प्रश्न मत लीजिये, आप रिकार्ड निकलवा लीजिये, वे नगर पालिक बोले हैं। इसमें नगर पालिका लिखा है। तो नगर पालिक के लिए एक्ट बन रहा है या नगर पालिका का कानून बन रहा है ? कानून में तो कोहलन चिन्ह का भी महत्व होता है। आप उनके उच्चारण का रिकार्ड देख लीजिये। जब ये उस समय बोल रहे थे, तो उसी समय यह बात उठा रहा था। क्योंकि वे विद्वान मंत्री हैं। यह भी विधानसभा में नहीं चलेगा तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। कोहलन चिन्ह लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, अल्प विराम लगेगा, यह सब हटा देना चाहिए यदि उसका उच्चारण सही है तो।

सभापति महोदय :- लिखित में तो नगर पालिका संशोधन दिया हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे तो लगातार बोल रहे हैं। हम तो मंत्री जी को देख ही नहीं पा रहे हैं। उस समय वहां पर 5 लोग थे।

सभापति महोदय :- नगर पालिका ही लिखा हुआ है, बोलने में हुआ होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नगर पालिक उच्चारण है। आप रिकार्ड दिखवा लीजिये।

सभापति महोदय :- हो सकता है कि उच्चारण में त्रुटि हुई होगी। आप अपनी चर्चा प्रारंभ करिये।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अजय जी, मुझे लगता है कि आप दूसरा वाला विधेयक पढ़ लिए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, अभी मैं बोलूंगा। आपने बुलवाया और आप क्या समझा रहे थे वह भी सुना हूं। कौन से क्रम से उसकी प्रस्तुति हुई, वह भी सुना हूं। आप नये विधायकों को प्रस्तुतिकरण प्रशिक्षण देते हैं। जब प्रस्तुति होती है तो उनके भाषण में 35 धारा को कितनी बार, किन-किन बिन्दुओं में पढ़ा गया, आपने सुना? आप मेरी जगह में विधेयक को खोल लीजिये, क्योंकि आप विद्वान हैं। मैं तो विद्वान हूं, आपसे सीखा हुआ आदमी हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, यहां पर विद्वता की बात नहीं है। यह तो कानून की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कानून की बात है, इसीलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आप का हाथ ऐसे हिल गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई हाथ नहीं हिला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये, ठीक है।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, चर्चा प्रारंभ करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है, ठीक है। आप जैसा करवाये, मुझे विषय नहीं है। आप जिस तरह से पढ़े, जिस क्रम में पढ़े, जैसा भी पढ़े, सब छूट है। कानून बन रहा है। विशेषज्ञ बैठे हैं। यदि वे सहमत हैं तो मैं कौन होता हूं। हम धारा 35(ए) से सहमत हैं। धारा 35 के खण्ड (च) को लोप किया जाये, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। अब कुष्ठ रोग लाईलाज नहीं रहा है, स्वागतेय है। निर्वाचन में भागर लेकर हम उनको सम्मान देंगे, इसमें हमारी असहमति नहीं है। दूसरा, भवन अनुज्ञा, कोविड के कारण एक साल बढ़ाई जा रही है, इसको दो-तीन बार कहा गया है। तो यह दो साल के लिए संशोधन रहेगा या हमेशा के लिए संशोधन रहेगा, पहले तो इसमें स्पष्टीकरण आना चाहिए। हम कोविड के कारण एक साल बढ़ा रहे हैं या हमेशा के लिए यह कानून मान्य रहेगा। मान लो हम किसी चीज के लिए Time being बजट लेते हैं तो यह एक साल के लिए one time होगा। तो यह कोविड के पीरियेड तक या एक साल, दो साल, तीन साल के लिए रहेगा? क्योंकि माननीय अति विद्वान संसदीय कार्यमंत्री जी, देश के सर्वश्रेष्ठ संसदीय कार्यमंत्री, सत्र इसलिए आहुत करते हैं, उसको समय पूर्व खत्म कर सके, इसलिए वह सरकार की ओर से सत्र आहुत करवाते हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, सत्र के बारे में चर्चा हो रही है। आपने कभी अखबार में पढ़ा है कि पार्लियामेंट के बारे में कोई विचार कर रहा है कि पूरे हिन्दुस्तान का किसान घेर कर बैठा हुआ है। वहां भाग रहे हैं। मध्यप्रदेश में एक दिन शपथ ग्रहण के लिए प्रोटेम स्पीकर होता है।

आप वहां 6 महीने तक प्रोटेम स्पीकर चला रहे हैं। आप एक घंटे के लिए विधानसभा सत्र नहीं बुला पाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप छत्तीसगढ़ की परम्परा की बात करो न।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ कहा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ की पम्परा की बात करिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी चर्चा हो। इसलिए लगातार विधानसभा का सत्र हो रहा है और आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं, बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपकी प्रशंसा किया हूं। मैंने आपको देश के सर्वश्रेष्ठ संसदीय कार्यमंत्री कहा।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो आप यहां के विधानसभा सत्र की भी प्रशंसा करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा आप बताईये कि लेजिसलेटिव कार्य में भी तुलना करें ?

श्री रविन्द्र चौबे :- देश में कहीं सत्र नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सत्र हो रहा है। आप बधाई दीजिये, प्रशंसा करिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- तौ भैय्या, मैं तो मान रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप उसकी प्रशंसा करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरी प्रशंसा। मैं तो शुरू से उसकी हमेशा प्रशंसा करता हूं। सभापति महोदय, तो यह Time being है या नहीं है ? माननीय सभापति महोदय, मैं दो दिन बात क्यों बोला क्योंकि कल एक ध्यानाकर्षण लगता। यह छूट देना है। मैं हमारे विधायक साथी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, हमारे विधायक साथी हैं, बेमेतरा इन्हीं का गृह जिला है। बेमेतरा नगर पालिका में इसी तरह के छूट देने के लिए जो प्रावधान है उसमें कितने पैसे की वृद्धि, कितने पैसे हुए उसका एक आवेदन मुझे पत्रकार साथियों की ओर से मिला कि नगर पालिका का दुरूपयोग अपनों के लिए कैसे हुआ। मैं उसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे विधायक साथी उस समय थे, वह किस दल में थे यह विषय नहीं है, हमारे विधायक साथी हैं बस हम इतना जानते हैं लेकिन यदि अवधि को कोरोना का नाम लेकर बढ़ा रहे हैं तो यह टाईम बेईंग होना चाहिए कि इसको हम वर्ष 2023 तक रखेंगे या कोरोना के उन्मूलन तक रखेंगे अन्यथा ये लाईन स्थानीय शासन में नोट छापने की मशीन बनेगी। दूसरा जो 187(क) में इन्होंने चार-पॉच क्लाजेस बताये हैं कि विद्यापीठ संस्थाएं, इधर-उधर, तो माननीय महोदय, 71वें और 73वें, 74वें संशोधन के बाद हमारी ये कल्पना रही क्योंकि आप राजीव गांधी जी का नाम लेते हैं मैं तो नहीं लेता, मैं तो नरसिंह राव जी का नाम लेता हूं लेकिन आप उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने पंचायती राज

और स्थानीय राज संस्थाओं को मजबूत किया, यदि ये कानून आप दे रहे हैं तो इसका अधिकार मंत्रिपरिषद को क्यों दे रहे हैं? वहां का निगम, वहां का आयुक्त, वहां की स्थानीय संस्थाएं, वहां की स्थानीय परिस्थिति, अब दीनहीन को हम छोड़ेंगे, शिक्षा संस्था को देंगे, विकलांगों को देंगे, इसकी जमीन को हम छोड़ देंगे या यह कर देंगे ये परिभाषा, ये निर्देश आप बना दीजिए और स्थानीय संस्थाओं के ऊपर छोड़ दीजिए। इसमें मंत्रिपरिषद का क्या काम। जब कोई भी अधिकार सेंट्रलाईज होता है तो अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह चीन्ह के देय होता है। फिर लोक शासन, लोक नीति, लोक कार्यवाही खत्म हो जाती है। उसमें एक दलीय निर्णय या व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत की इच्छा/अपेक्षा उसमें परिलक्षित होने लगती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप कोविड के कारण ये काम कर रहे हैं तो एक तो समयबद्ध करिए ताकि वह अनिश्चितकाल के लिए न हो क्योंकि हम यदि दो साल के बाद समय देते हैं और नहीं पूरा करता है तो हमारी इतनी बड़ी मशीनरी क्या कर रही है। चलिए, एक साल कोविड मान लिया उसके बाद आप उसमें इन संस्थाओं को और छूट देंगे, नियम 187(क) में भी आपका उसी तरह का संशोधन है कि हम इन इन संस्थाओं को देंगे और मंत्रिपरिषद उसका निर्णय लेगा तो निर्वाचित संस्थाएं क्या करेंगी और आपके पंचायती राज और स्थानीय शासन की परिभाषाएं क्या बोलती हैं जिसके लिए आप आज तक नाम कमाते हैं कि हमारे स्व. माननीय नेता जी ने ये कानून लाया था। तो उस कानून को सीमित करने के पीछे, मंत्रिमंडल को उसका अधिकार देने के पीछे कारण क्या है? स्थानीय संस्थाओं की ताकत को कम करने के पीछे कारण क्या है? इसलिए पहली लाईन छोड़कर दूसरी लाईन में भी हम सहमत हैं, तीसरी लाईन में भी हम सहमति दे देंगे लेकिन वह संशोधन में समय बांड होना चाहिए और ये जो 187(क) की परिभाषाएं हैं वह स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ऊपर छोड़ी जानी चाहिए। मंत्रिमंडल के ऊपर इतना छोटा अधिकार प्रत्यारोपित नहीं होना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु यह विधेयक प्रस्तुत किए हैं। इस देश में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इसका उनको हर तरह के कानून में प्रावधान है। मगर इस अधिनियम में जो प्रावधान थे उसमें कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति नगर पालिका चुनाव में अभ्यर्थी नहीं बन सकते थे। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उनको अधिकार देने का प्रयास किया क्योंकि कुष्ठ रोग साध्य है इसलिए अब हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है ऐसा आपने प्रावधान किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। कुष्ठ रोगी भी नगर पालिका का चुनाव लड़ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें जो दूसरा प्रावधान है जिसके बारे में माननीय विद्वान सदस्य कह रहे थे कि इस कोरोना काल में जो मकान बनाने के लिए लाईसेंस/अनुज्ञा लेते थे उनको एक साल के अंदर मकान का निर्माण शुरू करना रहता था मगर अभी इस संशोधन द्वारा उसको बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है। भविष्य में हमें लगता है कि यह नियम बनने के बाद आगे भी जारी रहेगा तो इसके कारण जो लाईसेंस/अनुज्ञा लेने के बाद कहीं न कहीं मकान नहीं बना पाते थे वह आगे भी दो साल के अंदर मकान चालू कर सकते हैं। यह नियम भी बहुत अच्छा है। माननीय सभापति जी, यह जो दोनों कानून बन रहे हैं मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है देखिए निकाय स्तर पर समन शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। उनको छूट देने का प्रावधान उनके अधिकार में नहीं है। इसलिए समन शुल्क को पूर्ण आंशिक रूप से छूट देने का अधिकार निगम स्तर पर नहीं है, वह शासन स्तर पर है। इसलिए कैबिनेट में डाला गया है।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020(क्रमांक 30 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :-प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :-प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ- छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020(क्रमांक 30 सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020(क्रमांक 31 सन् 2020)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020(क्रमांक 31 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया गया है। इस संशोधन विधेयक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अनिधिनयम 1956 की धारा 133-क, 293, 300 में संशोधन तथा धारा 308-क में उप धारा (2) के पश्चात् नवीन उपधारा (3) जोड़ा प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 133-क में निहीत प्रावधानों के अनुसार निगम क्षेत्र में अचल संपत्ति के विक्रय पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान है। जो संबंधित नगरीय निकाय के राजस्व मद में जमा किया जाता है वर्तमान कोरोना के संदर्भ एवं आर्थिक मंदी को देखते हुए, अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क में अस्थायी रूप से 31 मार्च, 2021 तक छूट दिया जाना प्रस्तावित है। चूंकि वर्तमान अधिनियम में छूट का प्रावधान नहीं है फलस्वरूव संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। इससे अचल संपत्ति के क्रेताओं को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 293 एवं 300 में भवन निर्माण अनुज्ञा के संबंध में प्रावधान है। वर्तमान में भवन निर्माण की अनुज्ञा एक वर्ष के लिए दिये जाने का प्रावधान है तथा अनुज्ञा प्राप्त होने के बाद दो वर्षों की समयावधि में पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित है। यह समायावधि बहुत कम है तथा पिछले लगभग 09 माह से कोरोना संक्रमण के कारण अधिनियम में प्रावधानित अवधि में भवन निर्माण प्रारंभ कर पूर्ण करना संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही भवन निर्माण अनुज्ञा के उपरांत अधिकतम अनुज्ञा प्राप्त भूमिस्वामियों के द्वारा बैंक ऋण आदि की कार्यवाही में काफी समय व्यतीत हो जाता है अत: अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन कर अनुज्ञा प्राप्त करने तथा भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त होने के बाद में निर्माण कार्यों की सीमा में वृद्धि कर क्रमश: दो वर्ष तथा चार वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम की अधिनियम की धारा 308-क में भवन निर्माण से संबंधित अपराधों हेतु सम्मन शुल्क जमा करने का प्रावधान है। शैक्षणिक संस्थाओं जिसमें कम से कम 5 वर्षों से शिक्षा जिसमें वंचित व्यक्तियों की आजीविका बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र जो गरीबों व वंचित लोगों कों धर्मार्ध सेवा प्रदान करती हो, धार्मिक व समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय संस्थायें एवं ऐसी संस्थायें जो विगत 5 या अधिक वर्षों से अनाथ आश्रम, शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों, परित्यक्ता महिलाओं या वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रम का संचालन करती हो। इस प्रकार की संस्थाओं को व्यापक जनहित में निगम की सामान्य सभा की अनुशंसा पर भवन निर्माण के अपराधों के सम्मन पर देय शुल्क में मंत्रि-परिषद की सहमित प्राप्त करने के पश्चात आंशिक या पूर्ण रूप से छूट

प्रदान करने, उपधारा 2 के पश्चात उपधारा 3 जोड़ जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक की धारा 133-क, 293, 300 एवं 308-क में संशोधन से आम नागरिकों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट देने से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। भवन अनुज्ञा एवं पूर्णता की समयावधि में वृद्धि करने से आम जनों को भवन निर्माण करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा तथा किसी प्रकरण में प्रकरण विशेष में शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सा संस्थाओं, धार्मिक एवं समाजसेवी संस्थाओं, अनाथ आश्रम, शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों तथा परित्यक्ता महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रम का संचालन करने वाली संस्थाओं को भवनों के निर्माण के अपराध पर देय सम्मन शुल्क में निगम के सामान्य सभा की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद की सहमति उपरांत जिसमें व्यापक जनहित निहित हो, आशिंक या पूर्ण रूप से छूट करने पर ऐसी संस्थाओं द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, समाजसेवा एवं अनाथों, परित्यक्ता महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों की सेवा का कार्य बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। अत: उपरणित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन विधेयक, 2020 सर्वसम्मति से पारित किया जाना प्रस्तावित है।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद 7(2) का कार्य पूर्ण हेतु तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- इस सदन में माननीय रविन्द्र चौबे जी के बाद सबसे विद्वान मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया जी के द्वारा दो संशोधन विधेयक लाये गये हैं। इसमे भी रविन्द्र चौबे जी पहले विधेयक में पीछे मुड़कर कुछ समझा ही रहे थे, क्या समझा रहे थे, वह जाने। लेकिन स्टाम्प शुल्क को समाप्त कर दिया जायेगा, जो स्थानीय संस्थाओं को जाता है, उसकी जगह में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि सरकार अनुदान दे, उतनी क्षतिपूर्ति स्थानीय संस्थाओं को दे। आज की तारीख में जो 10वीं और 11वीं अनुसूची है, जो स्थानीय संस्थाओं के कार्यकर्तव्य, अधिकार, दायित्व, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी को निर्धारित करती है, देश के सामने यह ज्वलंत प्रश्न है कि हम स्थानीय संस्थाओं को अधिकार संपन्न कैसे बनायें। अब यह विधेयक स्टाम्प शुल्क को उनको नहीं देगी, कोरोना काल में गड़बड़ हो रहा है, मजबूत होगा, बाजार को उठायेंगे तो आप बाजार को उठाने के लिए और छूट दीजिए, हम समर्थन करते हैं। लेकिन बहुत सारे नगर निगम तनख्वाह के लिए भी सरकार के अनुदान पर आधारित हैं। अब ये और

कमी हो जायेगी तो कमी करने के बजाय राज्य सरकार उसको अनुदान दे। स्थानीय संस्थाओं को जितना छूट कर रहे हैं या पूरा छूट कर दीजिए। अभी तो संपत्ति कर आधा नहीं हुआ है, वह चले गये, उसके लिए नहीं ला रहे हैं। स्टाम्प छूट को ला रहे हैं। हम संपत्ति कर हॉफ करेंगे, इसके लिए संशोधन विधेयक नहीं ला रहे हैं। उसको ले आते। आपके घोषणा पत्र में भी है। इससे स्थानीय संस्थायें कमजोर होंगी। अब दूसरी बात है, अंतरनिहित प्रावधान में छूट दे सकेगा, यानि व्यावसायिक संस्थाओं के रियायती दर पर छूट देना है, मैंने पहले कहा था कि राजनीतिक दलों को जो रियायती दर पर छूट देना है या पसन। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि स्थानीय शासन के अधिकार को हम क्यों सीमित करने की कोशिश करते हैं, क्यों उसको लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद धारा 293 यह लगभग पहले विधेयक में थी, वही कारण बताये गये। एक लिखा-पढ़ा भाषण बताया गया। इसमें "एक वर्ष" की जगह में " दो वर्ष" है। कोविड के कारण बढ़ाया जा रहा है । जबकि आप देख लीजियेगा यह कोविड समाप्त हो जायेगा, अभी टीकाकरण हो जायेगा, निर्माण गतिविधियां बढ़ जायेंगी तब ये एक बड़ा Lacuna होगा, बड़ा गेप होगा कि आपको हम इसका दुरूपयोग करें कि साहब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस अवधि में नहीं हो रहा है ।

श्री मोहन मरकाम :- क्या है कि आपने 15 सालों तक जो दुरूपयोग किया, आपको वही दिख रहा है, बाकी कुछ तो दिख ही नहीं रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है माननीय मोहन मरकाम जी कि आपने मेरे व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं कि झंडा किसने फहराया ? आप समझ रहे हैं न । अब आप यहां झंडा फहराने आये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, एक कहावत है कि सिखाये पूत दरबार नहीं चढ़ते । इस कहावत को हमेशा याद रखना ।

श्री अजय चंद्राकर :- अऊ एक बात जान ले रह, हमर मुख्यमंत्री जी कही दे हे कि नियुक्ति मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार हे अऊ हम मुख्यमंत्री जी से सहमत हैं, आप टोपी भर पहिने रहें । हम मुख्यमंत्री जी से सहमत हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज आपके असंतोष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप टोपी पहनकर यह बताते हैं कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूं करके लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा । बहिष्कार भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- माननीय अजय जी, आप विषय पर आईए ।

श्री अजय चंद्राकर :- जी सर, थोड़ा बहुत चलता है । नहीं तो आप भी सो जाएंगे ।

माननीय सभापति महोदय, फिर 02 वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष स्थापित किया जाये यह भी उसी में है । अब उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है कि जो जुर्माना है, 10 से 50-60 प्रतिशत तक जुर्माना देने

का प्रावधान और उसको भी किसको दिया जाये, किसको नहीं दिया जाये, क्या किया जाये, कौन संस्थाएं देंगी ? नहीं देंगी ? थोड़े से अंतर के बाद यह विधेयक भी बिल्कुल उसी तरह का है कि यह अधिकार मंत्रिपरिषद को प्रत्यारोपित करता है । जब वह लिखे-पढ़े भाषण में एक ही कारण कोविड और ये गेप था बता सकते हैं तो मैं भी यही कहूंगा कि दसवीं अनुसूची में यदि नगरीय क्षेत्रों के जो कार्य परिभाषित हैं उसको मजबूत किया जाये, उनको अधिकारसंपन्न बनाये जाये । मंत्रिमण्डल को किसी भी तरह से न दिया जाये, लोकशाही दिखे, लोकशाही का प्रदर्शन इस निर्णय से हो । सरकार केवल नियम-निर्देश बनाये और क्रियान्वयन का अवसर स्थानीय संस्थाओं को दे ताकि एक आम आदमी को भी भ्रष्टाचाररहित निर्णय एक शासन का अनुभव हो सके । अभी जितना इसमें प्रावधान घूमा-फिराकर किया जा रहा है और जो दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जा रहा है उसमें एक ही है कि अंधा बांटे रेवड़ी चिह्न-चिह्न कर दे । इसका लोकशाही से कोई संबंध नहीं है, राज्यशाही से कोई संबंध नहीं है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह विषय जनता के हित में नहीं है, सरकार अपने हित के लिये इन विधेयकों को लायी है, अपने लोगों को उपकृत करने के लिये इस विधेयक को लायी है । एक समय के बाद यह भ्रष्टाचार का एक तरीका बनेगा उसके लिये यह विधेयक लायी है और यह स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों को कम करने वाला विधेयक है इसके लिये इसको लाया गया है । इसका आम जनता से कोई संबंध नहीं है इसलिये हम इसका विरोध करते हैं ।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020) का समर्थन करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना का संकट फैला हुआ है । हमारे देश में जितनी भी सरकारें हैं, सभी सरकारों में आज हर प्रदेश में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि कोरोना संकट काल में राजस्व की बहुत कमी आयी और उस राजस्व की कमी कारण जो था वह यह था कि पिछले 8-9 महीने से जो व्यापार था, उद्योग थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री शैलेश जी, दो सालों में सरकार ने बिलासपुर नगर-निगम को कितना पैसा दिया है और कितना काम हुआ है यह बता दो । अपनी बात रखने के पहले इस विषय पर जरूर सोचना कि आपके नगर-निगम की क्या हालत होगी ?

श्री शैलेश पांडे :- आदरणीय आप कृपया बैठिए, मैं इस बात पर ही बोलूंगा । पूरे देश में पैसे की कमी थी, कहां से सरकारों को राजस्व मिले इस पर पूरा देश मंथन कर रहा है । केंद्र सरकार अपना काम कैसे कर रही है, हमारे विपक्ष के साथी केंद्र सरकार से जाकर पूछे । मैं माननीय मंत्री जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्रदेश की जनता की स्थिति को देखते हुए, अपने प्रदेश को देखते हुए उन्होंने दिल से निर्णय लिया और उन्होंने यह छूट प्रदान की । आज नगरपालिक निगम यानी कि अर्बन स्थान होता है, शहरी स्थान होता है । शहरी स्थानों में

वैसे भी जमीनों की, भवनों की वेल्यू ज्यादा होती है, महंगाई ज्यादा होती है, ज्यादा पैसा लगता है । जनता के ऊपर ज्यादा भार आता है । पिछले 5 सालों में आपने ऐसे व्यक्ति को नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया जो आप जो कह रहे थे कि तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं है । आप उनसे जाकर पूछिये और आप अपना भी बताइए कि आपने निगम में कब तनख्वाह सरकार के पैसे से नहीं बांटी, वो भी तो लाते थे ।

श्री सौरभ सिंह :- 2 सालों में बिलासपुर की सीवर लाईन चली गई ।

श्री शैलेश पांडे :- वो भी सरकार से पैसा लाते थे और बिलासपुर में तनख्वाह बांटते थे । उसके बाद दिल्ली से जो पैसा लाते थे वह किसके पेट में जाता था, पता नहीं । खोदापुर बना दिया, खोदापुर । बिलासपुर को राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खोदापुर शहर बना दिया । ऐसे इनके नगरीय प्रशासन मंत्री थे । जबकि हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री सामने बैठे हुए हैं जो कि जनता के हित का काम करते हैं, जनता की भलाई करते हैं । खोदापुर नहीं बनाते हैं । आप जो खोद खोद कर गए हैं हम उनको पाट रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- बिलासपुर के अमृत मिशन के बारे में बताइए ।

सभापति महोदय :- पांडे की कृपया संक्षेप करें ।

श्री शैलेश पांडे :- एक मिनट रूक जाइए । इन्होंने अमृत मिशन के बारे में कहा । 300 करोड़ की परियोजना की पूरी खरीदारी इनके मंत्री पहले ही करके चले गए । उसमें केवल गड्ढे गड्ढे करके चले गए । अमृत मिशन की यह सच्चाई है ।

सभापति महोदय :- पांडे जी विषय पर आइए ना ।

श्री सौरभ सिंह :- वहां से 1000 प्रस्ताव आया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे, पांडे जी ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन लाया है मैं उसका समर्थन करता हूं और विपक्ष से भी चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में सर्वसम्मति से पारित किया जाए । सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, ये हमारे बहुत प्रिय मंत्री हैं, इनके प्रस्ताव में कम से कम मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है । पांडे जी, आप और महापौर तो 2 साल से मिले नहीं हो यार । कम से कम बैठा तो करो । महापौर से मिलते नहीं, बैठते नहीं । वहां के बारे में आप क्या बताओगे ।

श्री शैलेश पांडे :- धर्मजीत भइया, पहले आप यह बताओ कि आप किधर हो, इधर हो या उधर हो । कृपया आप स्थिति स्पष्ट करो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो अभी विपक्ष में बैठा हूं । आपसे केवल यही जानना चाहता हूं कि 2 साल में आप और महापौर एक साथ बैठे हो, साथ में कहीं निकले हो तो बताइए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको यह भी मांग रखनी पड़ेगी कि कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए यह रेट लिस्ट नगर निगम में भी लगाओ । उससे कुछ पैसा आएगा उसकी भी रेट लिस्ट लगाने की भी मांग करनी पड़ेगी आपको । मांग करोगे । रेट लिस्ट लगाने की बात करोगे या नहीं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- आपके रेट लिस्ट के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं । सब विभाग में लगवा दो ।

श्री अमरजीत भगत :- धम्रजीत भइया । मैं परसों दोनों को साथ में अपनी गाड़ी में कोटा लेकर गया था । आप कहते हैं कि साथ में नहीं बैठ रहे हैा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कितनी तकलीफ हुई होगी आपको, दोनों को बैठाने में (हंसी) । माननीय मुख्यमत्री जी यहां है इसलिए बता रहा हूं । बिलासपुर में महापौर कांग्रेस पार्टी के हैं, बहुत अच्छे महापौर हैं । उनके बारे में हम बहुत आदर से बात कर रहे हैं । 1250 प्रस्ताव एम.आई.सी. से मंजूर होकर सरकार के पास पेंडिंग हैं, मैंने इस बात को बजट सत्र में भी कहा था । कृपा करके, बिलासपुर के लिए भी रायपुर जैसी सहृदयता रखिए । हमको भी लगता है ना कि रायपुर के महापौर बढ़िया बढ़िया काम करवा रहे हैं और हमारे महापौर की फोटो नहीं छप रही है, क्योंकि माल नहीं है । कृपा करके भेज दीजिए । मुख्यमंत्री जी है इसलिए बोल रहा हूं, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- मेरा भी आग्रह है कि बिलासपुर नगर निगम को भी इसी तरह से सुविधाएं दी जाएं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शैलेश पांडे जी कितना भी चिल्ला चिल्ला कर मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर लें, नम्बर बढ़ने वाला नहीं है । नम्बर उसी का बढ़ा रहेगा, जिसका अभी चल रहा है । आपका नम्बर नहीं बढ़ेगा ध्यान रखना ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बिलासपुर में मोरो ध्यान दे भाई । मोरो वार्ड के ध्यान दे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ठीक है, संध्या आ जाबे ।

श्री शैलेश पांडे :- मेरा पूरा एरिया, अरबन एरिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जितना भी बिलासपुर के बारे में बोल लें । उनका कार्यक्षेत्र आरंग है । मंदिर हसौद, समोदा और चंदखुरी । उन्होंने तो अभी पूरा प्रदेश देखा ही नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पूरा प्रदेश दिख रहा है। चिंता मत करो और तोर कुरूद भी दिखथे। भखारा भी दिखथे। माननीय सभापति महोदय, नगर पालिक अधिनियम में भी निकाय स्तर पर समन शुल्क पर छूट दिये जाने का प्रावधान नहीं है। निकाय स्तर पर समन शुल्क का निर्धारण एवं राशि जमा करायी जाती है। दूसरा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में केवल 31/03/2021 तक अस्थायी रूप से छूट दी गई है।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 5 से विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.42 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3:00 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, बहुत संक्षिप्त सा संशोधन है । वैसे भी हम लोग छत्तीसगढ़ को किसानों का प्रदेश कहते हैं । सरकार के जितने भी कार्यक्रम, योजनाएं आती हैं, उसके आधार में ही हम लोग किसान को मानकर चलते हैं । छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंड में दो-तीन संशोधन हैं । सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा । पहला संशोधन-अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) में पूर्व से ही .5 से 2 प्रतिशत निर्धारित है, उसको 3 प्रतिशत तक करने का प्रावधान किया गया है और दूसरा संशोधन-एक नया शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क भी लगाने का निर्णय किया गया है और नियम बनाने की शक्ति है, उसमें अधिकार दिए गए हैं । इन्हीं बिन्दुओं में संशोधन है । जिस दिन इसको सदन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो प्रतिपक्ष की ओर से माननीय अजय जी और शिवरतन जी ने शुल्क के जारे में जिक्र किया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कई राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, चंडीगढ़ में यह शुल्क आलरेडी लगा हुआ है, बहुत सारे राज्यों में यह शुल्क लगा है । अंतर यही है कि कहीं 2 प्रतिशत, कहीं 3 प्रतिशत तक शुल्क है । पंजाब में थोड़ा ज्यादा शुल्क है, वहां धान और गेहूं एफ.सी.आई. के द्वारा खरीदी जाती है । आपको मालूम है कि अभी पूरा दिल्ली किसानों से घिरा हुआ है । उन किसानों के सामने संशय भी है और आने वाले भविष्य के प्रति आशंकित भी है कि अगर दिल्ली का मंडी एक्ट लागू हो जायेगा, अगर दिल्ली के तीनों कृषि कानून लागू हो जाएंगे तो शायद उनको समर्थन मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा ? प्रश्न यह भी है कि वहां के किसानों की खरीदी एफ.सी.आई. के द्वारा की जाती है इसलिए सरकार को, राज्य को, मंडी को शुल्क प्राप्त हो जाता है । इसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें तो उल्लेख करिएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंडी के अधोसंरचना के विकास के लिए, किसानों की सुविधाओं के लिए इस साल हमने निर्णय लिया है कि किसानों के लिए विशेषकर सुरक्षित भण्डारण के लिए लगभग 64 करोड़ रूपए की लागत से 1,48,000 मेट्रिक टन की क्षमता के 114 गोदाम अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं । उसी प्रकार 157 समितियों में लगभग 200 मेट्रिक टन के गोडाऊन उसके साथ-साथ 833 धान उपार्जन केन्द्रों में लगभग 193 कार्यों के लिए 126.32 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इस सदन में लगातार चर्चा होती है कि कभी धान खराब हो रहा है, कभी वर्षों के कारण क्षति हो रही है । आशय यह यह है कि अगर मंडी में कुछ शुल्क आएगा तो मंडियों के विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए, किसानों के आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर

किसानों के लिए मंडी में कहीं शेड बनाने के लिए, कहीं विश्राम गृह बनाने के लिए राशि खर्च की जाती है । ये दो संक्षिप्त सा संशोधन करके इसको मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको मंजूरी देंगे, ताकि आने वाले समय में हम अपनी मंडियों को और मजबूत कर सकें ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । माननीय अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में अभी हम लोग सदन के नेता से लंचऑवर में कुछ बात करना चाहते थे। हमारे एक सदस्य ने कहा कि वहां यदि बात करेंगे तो घुमावदार मंत्री भी उपस्थित रहना चाहिए। अब घुमावदार मंत्री से हमारा आशय था, संसदीय कार्य मंत्री ही हैं जिनके सामने विपक्ष या कोई भी सदस्य अपनी बात रखेगा। अब घुमावदार मंत्री कैसे कह दिये, क्योंकि बात कुछ है, विषय कुछ है, प्रस्तुती कुछ है। मैं तो तीन चीजें कहूंगा, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं तो मुंबई, दिल्ली सबका उदाहरण नहीं देंगे तो दो संशोधन के माध्यम से इनको भाषण देने का हमको घेरने का अवसर जरूर मिलेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, माननीय अजय जी से मैं आज आग्रह करूंगा। आप जब हमेशा कहते हैं कि हम legislation का काम करने बैठे हैं तो बिन्दुवार उसी में अपनी बात कहियेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल-बिल्कुल, आपके जैसे नहीं बोलूंगा।

श्री रविन्द्र चाबे :- आज दिल्ली में होने वाले किसानों के आंदोलन के बारे में आप कुछ मत बोलना। आज केन्द्र के तीनों कानूनों के बारे में आप कुछ नहीं बोलना और पिछली...।

श्री अजय चंद्राकर :- बोलिये-बोलिये, मैं सुन रहा हूं। (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इनके 15 साल के बारे में कुछ मत बोलना। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कृषि कृषक किसी भी विषय में मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश को जी.डी.पी. और बाकी चीजें, बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अभी सहमत में हैं। लेकिन जो अनुभव है, दोनों संशोधन उन्होंने बता दिये, शुल्क बढ़ाना है। मंडी कांग्रेस के दिल्ली का घोषणा पत्र है और कांग्रेस के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक है और (XX)[1] वे कांग्रेसी हैं तो अपने विचार से सहमत हैं कि असहमत हैं, ये मैं उनके उपर छोड़ता हूं। प्वाईंट 11 में लिखा है..।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसको विलोपित कर दीजिए, (XX) वे कांग्रेसी हैं, का क्या मतलब है, भाई ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप हैं, चलिये (XX) शब्द को विलोपित कर देता हूं। (XX) आप हैं, तो इस भावना को आप समझेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- फिर (XX) आ गया।

[1] (XX) माननीय सदस्य द्वारा शब्द वापस लिया गया।

श्री अजय चंद्राकर :- आप इस भावना को समझेंगे और करेंगे। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जायेंगे, एक बात। दूसरी बात जो है, जो केन्द्रीय एक्ट है, उसका एक विषय मैं पढ़ रहा हूं, जिन तीन एक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, उसके क्लास 6 में है। किसी राज्य, किसी उपज बाजार समिति अधिनियम या किसी अन्य राज्य के विधि के अधीन किसी कृषक या व्यापारी या इलेक्ट्रानिक व्यापारी और संव्यवहार प्लेटफार्म से किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक कृषि उपज के व्यापार और वाणिज्य के लिये कोई बाजार फीस या उपकर या उदग्रहण करना चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, उदग्रहित नहीं किया जायेगा। ये धारा में है। एक्ट से पास हो चुका है, माननीय मैंने दो बातें कही। ये मैंने सेंट्रल एक्ट पढ़ा, अंग्रेजी में भी पढ़ दूंगा, मैं आपकी अंग्रेजी सीखता हूं, बाजू में बैठा रहता हूं। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि पैसे आयेंगे, 140 शेड, 150 शेड, बकरी, धान, चारा सब चीज की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश में 69 कृषि उपज मंडी समिति है। उसको बाद में गिनाता हूं, पहले ये बता देता हूं, क्योंकि राज्य संचालन के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं। एक सेस लगा, हर बोतल में, माने पऊवा में, अध्धी में, बोतल में 10 रूपये और अंग्रेजी में 10 प्रतिशत, ये कोविड के लिये 1 जून से लगा। अभी 6 वां महीना चल रहा है, समझ लें, एक जून से एक मार्च। उसके बाद 5 प्रतिशत गोठान के लिये लगा, शायद 5 रूपया है, वह मेरे पास राजपत्र का नोटिफिकेशन है। ये उन्नति के लिये बात कर रहे हैं, चलिये मैं तीन एक्ट के बारे में बात करूंगा नहीं करूंगा, सहमत हैं, नहीं हैं, वह बाद का विषय है लेकिन एक रूपया आज की तारीख में उस सेस का कोविड का मिला नहीं है, बाजू में मंत्री बैठे हैं, आप लोग विचार-विमर्श करके बता दीजिए। दूसरा, फिर ये एक तरह का सेस ही है। मान लीजिये कर में वृद्धि हो रही है, जैसे माफ किया, उसी तरह से उनको गोठान के लिए जो लगा है, वह अब तक कित रविन्द्र चौबे जी, बेमेतरा जिले से आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं लेजिशलेसन उन्हीं से सीखा हूं, बोलता हूं। मैं छिपाता नहीं हूं। वह मण्डी लाइव है क्या ? प्रदेश में जिन्दा मण्डी कितनी है ? मुश्किल से 20 मण्डी है। जिसमें 10 से 11 मण्डियां 12 महीने, 7-8 मण्डियां वह 4 महीने, 6 महीने चलती है और बाकी 30-40 मण्डियां वह धान खरीदी केन्द्र घोषित है। वहां तराजू-कांटे लगा हुए हैं। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि 2 उप मण्डियां ही लाइव हैं। जिसमें मेरे विधानसभा की उपमण्डी भखारा है, वह 12 महीनों चलती है। ये विकास के लिए नाम गिनाये हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं छोटी सी जगह का प्रतिनिधित्व करता हूं। परन्तु पूरे प्रदेश में धान का भाव कोई मण्डी खोलता है तो कुरूद मण्डी खोलता है। वह सबसे बड़ी मण्डी है। कुछ क्वालिटी के धान ऐसे हैं, जिसका भाव भाटापारा मण्डी खोलता है। खासतौर पर जो पोहा बनाने में उपयोग आता है। पहले वहां सुगंधित धान बहुत आता था। यदि आपको प्रदेश भर में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स मिलेंगे तो कुरूद मण्डी में मिलेंगे। एक मात्र उप मण्डी जो चलती है, यह पैसा बोर्ड में चला गया। जो मण्डी सबसे ज्यादा राजस्व देती है, मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह

किया। मैं जब तक जिंदा हूं, इस सदन में हूं और जब तक आप हैं, मैं आपको धर्मसंकट में नहीं डालूंगा। मैंने एक विकास कार्य लिखकर दिया। मैंने कहा कि मण्डी बोर्ड से मत करियेगा, नहीं तो भा.ज.पा. के एक विधायक को दे दिया, कहेंगे। मेरी वह मण्डी इतनी सक्षम है कि उनके पैसे बस की ही स्वीकृति देना है। जो भी सेस लगता है, चाहे किसी भी तरह का हो, उस समय भावनाएं तो बहुत अच्छी दिखती हैं, जो मण्डी और उपमण्डी एक विधानसभा में लाइव चल रही हो, जिसको जिंदा कहें, जिसकी सांस 24 घंटे धड़कती हो, आप पूछ लीजिये कि आप उसके लिए दो साल में कितना पैसा दिए हो ? आप कभी जनप्रतिनिधि से पूछे हो ? मैंने बात की और उसके लिए राशि दी, मैं आभार कर देता हूं। लेकिन मैंने कहा कि मण्डी बोर्ड से दीजियेगा। कोई भी स्वीकृत करता, आपने सेस लगा दिया, लेकिन जब विधानसभा स्वीकृति देती है, आप बाकी चीजों की परिभाषा मंत्रिपरिषद् को दे रहे हैं कि अनाथालय को देंगे, शिक्षा को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे, वह मंत्रिपरिषद् जायेगा। मंत्रिपरिषद् ने सेस लगाया, यह भी चल देगा। इसका उपयोग ? इन्होंने एक गोठान का सेस लगाया, मैं सोचता हूं कि उसको सरकार बतायेगी।

माननीय सभापति महोदय, अब दूसरी बात, जब मण्डी पर सेन्ट्रल एक्ट बन चुका है तो इनका जो संशोधन है कि किसी भी प्रकार का कर लगेगा या नहीं लगेगा, यह सेन्ट्रल एक्ट के सामने प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा ? क्योंकि इसमें संशय है। जब इनको मतलब होता है तब कृषि राज्य का विषय हो जाता है। जब किसी का समर्थन करना हो तो उस समय वह सेन्ट्रल का विषय हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब तीसरी बात, पूरे देश में इन्सपेक्टर राज की समाप्ति, अभी शासकीय संकल्प आयेगा। आप यह बताईये कि आप कह रहे हैं कि प्रसंस्करण के लिए जायेगा तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। व्यापारी विवरणी भरेगा, क्रेता विवरणी भरेगा तो मण्डी इन्स्पेक्टर वहां जायेगा या नहीं जायेगा, पैसा लेगा या नहीं लेगा ? सीधे तौर यह मान लेना चाहिए कि यह सरकार दिवालिया हो चुकी है। स्थानीय शासन को जो पैसा मिलता था, वह गुल। रूलर डेवलपमेंट में विकास कार्य बता दें, मैं एक बार तीन मंत्रियों से इस्तीफा मांग चुका हूं। प्रेमसाय जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं। मंत्री रहते हुए इनके विभाग का पैसा चीफ सेक्रेटरी की समिति स्वीकृत करेगी, आज की तारीख में इसी सदन में प्रशन में कहा गया कि विद्युतीकरण के लिए किसी अभिकरण से पैसा नहीं मिल रहा है। आप अभिकरण के अध्यक्ष हैं, आप के लोग हैं, आप बजट दीजिये, आप वित्त मंत्री हैं। यदि ये बिन्दुवार कह दें। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में प्रश्न था। मान लो 35-37 हजार कनेक्शन के लिए एक लाख रूपये का अनुदान मांगेंगे तो साढ़े तीन-चार सौ करोड़ रूपया लगेगा और बजट में सिर्फ सौ करोड़ रूपये हैं। यदि 95 हजार अस्थाई है और हम उसकी प्रक्रिया पूरी करवाकर लगवाते हैं तो उसके लिए 950 करोड़ रूपये अतिरिक्त चाहिए, उसमें से 25 हजार आवेदन स्वीकृत हैं। अब ये बताएं कि किसानों से आप पैसा ले रहे हैं, तो किसानों के हित के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या 2500 रूपये क्विंटल। उन्होंने कहा कि बोलिए मत, लेकिन हम अगली बार न्याय योजना में

स्थगन प्रस्ताव लगाने वाले हैं। मैं अभी से बता देता हूं। यदि कल सत्र बुलायेंगे तो यह स्थगन हम कल लगायेंगे। इस बार ये क्यों घोषणा नहीं कर रहे हैं कि हम 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदेंगे ? पिछली बार तो एकदम सनलाईट वाला था और बीच में 2500 रूपये छपा था। माननीय मंत्री जी शासन-प्रशासन की सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं, केंद्रीय एक्ट को जानते हैं। मैं उनके सामने बच्चा हूं यह मान लेता हूं। वह सारी चीजों को समझते हैं। ये जो शेष होगा, ये जो उपकर लगा रहे हैं और जिन कामों की उन्होंने घोषणा की, मैंने कहा कि मेरी मंडी या इनकी मंडी मानलो सबसे बड़ी है और मैं विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता हूं तो जो मंडी सबसे ज्यादा आय दे रही है उसमें मैं केबिनेट तक जाउंगा कि ऐसी नियम प्रक्रिया बनेगी कि ये-ये बिंदु हैं जिसमें शेष का इन दो-तीन सालों में व्यय होगा क्योंकि आप मंडी बोर्ड के पैसे का उपयोग अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करते हैं। पर कुरूद मंडी या भखारा मंडी में क्या चीज है, उनके इंकम को बढ़ाने के लिए मुझे क्या-क्या करना है यह परिस्थितियां तो मैं ही आपको बताउंगा तो आपकी राजनीतिक मजबूरी आ जायेगी कि सिर्फ किसानों से पैसा लेंगे। तो किसान को एक सरकार बोल रही है तीनों कानून के बारे में मत बोलिएगा और एक सरकार फौरी कर रही है। प्रधानमंत्री जी एम.एस.पी. के बारे में बोलते हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि जिस दिन तक चाहे यू.पी.ए. सरकार की खाद्य गारंटी कानून लागू हो या छत्तीसगढ़ की लागू हो किसी भी सरकार में हो सरकार को तो अपनी जरूरत के लिए खरीदना ही पड़ेगा। आज एम.एस.पी. में खरीदी हो रही है, सबसे ज्यादा खरीदी हो रही है। किसान आंदोलन की ओर मत जाएं कि दिल्ली क्यों घिरी है, कैसे घिरी है। मैं तो अभी दो-तीन जगह भाषण दिया, मैं बोला कि आप तीन हप्ते पहले का इंडिया टुडे पढ़िए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं माननीय के सामने आरोप की बात कभी नहीं करता, न मैं घुमावदार बात करता हूं। नारायण चंदेल जी, आप भी बोले थे ना कि घुमावदार मंत्री।

श्री शिवरतन शर्मा :- साथ में यह भी बोलो कि घुमावदार मंत्री पर जलेबी की तरह मीठे मंत्री।

श्री नारायण चंदेल :- दूसरा कि आपके कारण बहुत से लोगों को शुगर हो गया है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- तीन हप्ते पहले का आप इंडिया टुडे पढ़ेंगे, तो उसमें किसान यूनियन के नाम हैं-ये सी.पी.आई. समर्थित है, ये सी.पी.एम. समर्थित हैं, ये दीपांकर भट्टाचार्य की माले समर्थित है, इसकी कोई राजनीतिक दिशा-दशा नहीं है ये स्वतंत्र निकाय हैं और ये किस तरह के बैनर, किस तरह के पोस्टर। मैं ये बोलता हूं कि किसी बात को प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार हैं, माननीय कृषि मंत्री जी सुनने को तैयार हैं तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज तो चर्चा है और उस बारे में आपको चर्चा जरूर करनी चाहिए जिसको आपने घोषणा पत्र में लिखा है। मैं एक ही बिंदु पढ़ा यदि चार बिंदु पढ़ता तो शायद वह कहते कि वह दूसरे कांग्रेस वाले लिखे होंगे, जद(एस) के समय का लिखा होगा, D. Devaraj Urs जिस समय के थे उस समय के हैं, हम लोग नहीं लिखे हैं ऐसा बोल देते। तो माननीय आप किसानों से पैसा ले रहे हैं, आप शेष लगा रहे हैं लेकिन उसकी कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसानों

के ऊपर ये बोझ सरकार के दिवालियेपन के कारण लाया जा रहा है। हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। आज जिस स्वरूप में है वह स्वरूप पर्याप्त है। किसान का बाजार उस दिशा में बढ़ रहा है जो सेंट्रल कानून में है कि किसी तरह के रोक नहीं होंगी। इसमें इंसपेक्टर राज की वापसी होगी, करप्सन होगा और ये पैसे सेंट्रलाईज होंगे। किसी व्यक्ति में, मैं किसी व्यक्ति में उनको नहीं कहता, किसी व्यक्ति या किसी के भी निर्देश पर किसी दल विशेष के लोगों के जेब खर्च के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। हम जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं इसलिए गिड़गिड़ाते हैं कि साहब हमारी मंडी का ही पैसा स्वीकृत करके दे दो, उन्होंने स्वीकृत कर दिया, मैं बार-बार धन्यवाद दे देता हूं लेकिन जब तक उसके उद्देश्य परिभाषित नहीं होंगे ये बिल्कुल दारू के सेस की तरह दूसरे कामों में उपयोग किए जायेंगे। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कृषि कल्याण शुल्क का जो विधेयक लाया है, माननीय मंत्री जी, आप भी किसान हैं और मैं भी किसान हूं, सरकार 15 क्विंटल धान खरीदती है तो उसका बचत क्विंटल धान हम कहां बेचेंगे क्योकि उत्पादन तो 30-40 क्विंटल होता है?

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- आप बंगलाधारी किसान हैं, पूरा बताया करिए।

श्री सौरभ सिंह:- मैं बंगलाधारी किसान हूं और 400 साल से यहां किसानी कर रहा हूं।

श्री शैलेश पांडे :- मैं तो बोला ही नहीं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पर जो किसान का धान है जो अतिरिक्त धान है वह मण्डी के माध्यम से जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल एक छोटी सी चीज कहता हूँ। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बता दें कि अगर मैं मण्डी में एक क्विंटल धान ले जा कर बेचूंगा तो मुझे कितना शुल्क पटाना पड़ेगा ? यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं वह सदस्य यह जानना चाहते हैं और जो लोग बाहर सुन रहे हैं वह भी जानना चाहते हैं कि अगर मण्डी शुल्क लगाया जा रहा है तो कितना बढ़ाया जा रहा है? अगर मैं एक क्विंटल धान बेचूंगा तो एक क्विंटल धान में कितना सेस किसान को देना पड़ेगा? और क्यों देना पड़ेगा, किसलिए देना पड़ेगा? माननीय अजय चन्द्रकार जी बोल रहे थे कि पूर्व में जितनी मण्डियां बनी हैं वह मण्डी में आज क्या हो रहा है? हमारी अकलतरा की मण्डी में धान की खरीदी नहीं हो रही है धान की खरीदी और कहीं पृथक जगह हो रही है। हम यह बोलते रह गये कि भईया मण्डी के प्रांगण का इस्तेमाल कर लीजिए, यह सुरक्षित जगह है। जितने भी मण्डी के गोडाऊन बने हैं उन मण्डी के गोडाऊनों को स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ने किराये पर नहीं लिया है तो हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, अगर उस पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवल हो रहा है तो मण्डी बोर्ड को पैसा, किराये क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, एक भी जगह किराये पर नहीं लिया गया है और जितने मण्डी के प्रांगण बन रहे हैं? उससे क्या होगा? उससे जो

माननीय अजय चन्द्राकर जी बोल रहे थे इससे यही होगा कि यहां पर सी.सी. रोड बनेगी, वहां डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क बनेगी, मण्डी बोर्ड से किसान के पैसे से सी.सी. रोड और डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क बनेगी। ये तैयारी है लालबत्ती का बंटवारा हो रहा है तो कोई 2-4 लोग मण्डी में भी एडजस्ट हो जाएं, मण्डी के अध्यक्ष बन जायें और उनके पास भी थोड़ा खर्चा पानी करने के लिए बजट रहे, ये उसकी तैयारी है, इस तरह विधायकों का असंतोष भी दूर होगा। इसलिए तैयारी की जा रही है मण्डी की लाल बत्ती, मण्डी के अध्यक्ष बन जाओ, लाल बत्ती और ये पैसा आ रहा है शुल्क निर्धारण करिये, व्यापारी और उससे भी लो और व्यवस्था करो।

माननीय सभापति महोदय, क्या सरकार के पास एक्जेक्ट डाटा है कि किस मण्डी में किस प्रकार के उत्पादन बेचा जाएगा? किस रेट पर बेचा जाएगा और सरकार के फाईनेंशियल बिल है कितना टैक्स आएगा? एक अनुमान तो होना चाहिए कि हमें कितना, किस मण्डी में आएगा। प्रदेश में टोटल कितना आएगा? ये अनुमान तो होना चाहिए और इसके बाद पंजाब का जिक्र आए। पंजाब में सिर्फ मण्डी टैक्स 3800 करोड़ रूपये से आता है, 3800 करोड़ रूपये किसके जेब से जाता है।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय सभापति महोदय, वहां खरीदी कौन करता है?

श्री सौरभ सिंह :- मैं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गये।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय सभापति महोदय, आप केन्द्र सरकार से यही मांग कर दीजिए। सौरभ जी आप बहुत अच्छी लाईन ले रहे हैं। आप विद्वान हैं आप कह दीजिए कि केन्द्र सरकार जिस तरीके से एफ.सी.आई. के माध्यम से बाजार में खरीदी करती है छत्तीसगढ़ में करेगी। सारी बातें एक साथ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ को लाभ मिल जाएगा, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे।

श्री सौरभ सिंह :-मैं बोल रहा हूँ। मैं उस लाईन में आ रहा हूँ, आप मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप केन्द्र का विषय परिभाषित कर रहे हैं, अपनी सुविधा को परिभाषित कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे:- मैं नहीं कह रहा हूँ। अजय जी, माननीय सौरभ जी ने कहा तो मैं सौरभ जी से उम्मीद करता हूँ कि पंजाब में जिस तरीके से सब कुछ खरीदी एफ.सी.आई. के माध्यम से करती है। आज आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी से मांग कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद हो जाएगी उसमें क्या बात है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सिर्फ मण्डी से 3800 करोड़ रूपये का टैक्स आता है। यह देता कौन है ? यह किसान देता है। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर वहां 3800 करोड़ रूपये आता है और 3800 करोड़ रूपये की ही नाराजगी है जो वहां पर चौक पर आकर बैठे हैं कि 3800 करोड़ रूपये जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसी मण्डी में अढ़तिया नहीं है। पंजाब में अढ़तियों का पूरा जाल बिछा हुआ है। एक-एक अढ़तिया, जो खरीदी होती है वह अढ़तिया के माध्यम से होती है

छत्तीसगढ़ में अढ़तिया की खरीदी नहीं होती। यहां अढ़तिया का सिस्टम नहीं है। वहां पर किसान अपनी हर चीज के लिए अढ़तिया के ऊपर निर्भर है। अगर उसको अपनी लड़की की शादी करनी है तो अढ़तिया पैसा देता है। अगर उसको बीज लेना है तो अढ़तिया पैसा देता है अगर प्रेस्टीसाईज लेना है तो अढ़तिया पैसा देता है और हिसाब-किताब करता है। क्या हम छत्तीसगढ़ में यह अढ़तिया का सिस्टम बैठाना चाहते हैं ? जो अच्छी चीज चल रही है जो अभी सिस्टम चल रहा है, वह सिस्टम चले। जहां तक मण्डी की बात है। माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि एक बार, मांग करने के पहले 10 जनपद से और अमरेन्दर सिंह से पूछ लें कि पंजाब के हिस्से की धान छत्तीसगढ़ से खरीदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पूरा एफ.सी.आई. खरीदी करती है, गेहूँ और चावल खरीदती है फिर किस बात का आन्दोलन है ? धान खरीदती है। आज हम तीसरे नंबर के उत्पादक स्टेट हैं और वहां किस बात का आंदोलन कर रहे हैं ? आप अपना धान बेच लिये। अब उसके बाद वहां के सब अढ़तिया बैठ गये । अगर सबसे ज्यादा एफ.सी.आई. खरीदी करती है, गेहूं की भी खरीदी करती है और आज गेहूं में नंबर एक उत्पादक प्रदेश मध्यप्रदेश है, पंजाब नहीं है। अगर मध्यप्रदेश नंबर वन है तो कोई बुरी बात नहीं है। एफ.सी.आई. को खरीदी करनी चाहिए। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अमरिन्दर सिंह जी से, 10 जनपथ से पूछ लीजिए कि वहां का कोटा काट कर अगर यहां आयेगा तो फिर परेशानी तो नहीं होगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्यों कोटा काटेंगे?

श्री सौरभ सिंह :- क्यों कोटा नहीं काटेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सौरभ सिंह जी बहुत अच्छी शुरूआत किये हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि चर्चा नहीं आई भी जिसको आपने लाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। एफ.सी.आई. पंजाब में खरीदी कर रही है। धान, गेहूं भी खरीदती है। मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में गेहूं भी खरीदा जाता है। छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश में चावल की खरीदी होती है। आप पंजाब का कोटा काटने की बात क्यों कर रहे हैं? यह किसान पूरे देश का है। एफ.सी.आई. की खरीदी करने की बात है तो एफ.सी.आई. पूरे देश भर के किसानों का अनाज खरीदे न, चाहे गेहूं, चना, मक्का हो। यही बात तो कह रहे हैं। यही आंदोलन है। अभी घोषणा कर दीजिए। आप जिम्मेदार सदस्य हैं, सीनियर हैं, आप कह दीजिए कि पूरे देश भर के किसानों के अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। कल आंदोलन समाप्त हो जायेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। जब केन्द्र सरकार प्रोक्योरमेन्ट करती है तो सेन्ट्रल पूल बनाया जाता है और सेन्ट्रल पूल में निर्धारित होता है, ये कार्ययोजना एग्रीकल्चर कमेटी तय करती है, ये व्यवस्था नेहरू जी के समय से चल रही है। वह व्यवस्था में तय होता है कि सेन्ट्रल पूल के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए कितना, कौन सा खाद्यान्न खरीदा जायेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- नेहरू जी के समय से तय हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री तीन-तीन कानून बना सकते हैं, आप जो कह रहे हैं, अभी माननीय मुख्यंमत्री जी ने कल-परसों चिट्ठी लिखी है। यहां का धान का उठाव नहीं हो रहा है। आप कारण समझ रहे हैं न। सौरभ सिंह जी आप सब समझते हैं। लेकिन मजबूरी है, जहां आप बैठे हैं, आपकी प्रतिबद्धता है।

श्री सौरभ सिंह :- मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- सौरभ सिंह जी, एक मिनट, आप जवाब तो देंगे। माननीय सभापति महोदय, चौबे जी ऐसा बता रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी पहली बार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को, केन्द्र को चिट्ठी लिख रहे हैं। आप लोगों ने किया ही क्या है, सारे मंत्री चिट्ठी लिखने का काम ही तो कर रहे हैं। चिट्ठी का क्या जवाब आता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन एक बात तय है, अपने ऊपर से हटा करके केन्द्र को एक पत्र लिखो और उसके बाद इतिश्री करो। हम जो घोषणा किये हैं, उसको छत्तीसगढ़ की जनता भुगते। उसके लिए आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं, आपका कार्य हो गया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमने चिट्ठी लिखी, हमारा काम समाप्त हो गया। बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ, हमारी जिम्मेदारी है और इससे हम पीछे नहीं भाग रहे हैं। लेकिन एक चीज बताईए छत्तीसगढ़ से एफ.सी.आई. चावल खरीदी लगातार वर्षों से कर रही है। हमने 1 दिसंबर 2020 से धान खरीदी शुरू की, आज 28 तारीख है। पिछले वर्षों का देख लीजिए कि भारत सरकार ने जैसे कोटा एलाट किये, अब यहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी नहीं हैं, वह बोलते हैं कि छतीसगढ़ को 60 लाख मेट्रिक टन का एलाटमेन्ट हुआ, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। मैं बोला कि बिल्कुल धन्यवाद देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन अभी तक से भारत सरकार से एफ.सी.आई. में चावल जमा करने की अनुमति नहीं आई है। अब अनुमति नहीं आई है तो मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, फोन में बात नहीं करूंगा तो ये बताईये कि क्या करूं? अभी भी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। परसों, नरसों ही पीयूष गोयल जी से मैंने बात की, भैया एक चिड़िया भर तो बिठाना है, आपको हस्ताक्षर करना है, उसको अनुमति दे दीजिए, ताकि हमारे जो राईस मिलर हैं, हमारे सोसायटी से धान उठा चुके हैं, उनको एफ.सी.आई. में चावल जमा करना है, उसकी अनुमति दे दीजिए। एक महीने हो गया है, वह अनुमति भी नहीं मिली है। बारदाने की बात आई, बारदाने के लिए खूब हल्ला किये, दिसंबर के आखिरी तक 1 लाख 45 हजार गठान दे देंगे, लेकिन वह भी पूरा नहीं आया है। सभापति महोदय, मैं पत्र नहीं लिखूं तो क्या करूं? पत्र तो लिखना ही पड़ेगा न। यदि आप पहले कर देते तो हम धन्यवाद का पत्र देते। अब नहीं किये हैं तो हम मांग करेंगे कि अनुमति दे दी जाये। वही तो करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में पी.डी.एस. के चावल की जरूरत है । आपको चावल का जो निर्धारित कोटा है उसको पूरा भी करना है लेकिन सोसायटी को जाम रखना है, केवल यह दिखाने के लिये और धान की खरीदी चूंकि अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि यह जो समय-सीमा है उसको समाप्त करना पड़ेगा और समय-सीमा को समाप्त करके एक लाईन का आदेश जारी होगा कि जिन किसानों का पंजीयन हुआ है और उन किसानों का धान खरीदना है उसके लिये समय की आवश्यकता नहीं है, जब तक खरीदी नहीं होगी । जिन किसानों का पंजीयन के द्वारा खरीदी होनी है तब तक के यहां धान खरीदी जारी रहेगी । अब आपको एक लाईन का आदेश जारी करना पड़ेगा ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं । इस बात का समर्थन करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा है सदन इस प्रस्ताव को पारित करे । इसमें बस एक लाईन और जोड़िये कि जितना चावल यहां से उत्पादन हो रहा है, एफ.सी.आई. भारत सरकार खरीदेगी । (मेजों की थपथपाहट)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय चौबे जी घुमाने का प्रयास कर रहे थे । मैं पुन: बात में आ रहा हूं, मेरी बात को सुनेंगे । (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अऊ हमन घुमाय के काम करत हन ।

श्री अजय चंद्राकर :- वे तो घुमावदार मंत्री ही हैं । (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सेंट्रल पुल में जो खरीदी होती है, जो बफर स्टॉक के लिये खरीदी होती है उसको आप जानते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सौरभ भाई, हमर नेता जी के गला आज थोड़ा बैठे हुए हे, ओकर ख्याल रखओ ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि सेंट्रल पुल के लिये जो खरीदी होती है और जो बफर स्टॉक के लिये खरीदी होती है वह पूरे साल में निर्धारित होता है । एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी होती है । हाई पावर सेंट्रल मिनिस्टर्स की कमेटी होती है । वह कमेटी तय करती है कि कितना खाद्यान्न बफर स्टॉक के लिये खरीदना है, कितना पुराने साल का प्रिवियस हमारे पास स्टॉक है, इस साल का कितना स्टॉक रखना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना उसको पी.डी.एस. में देना है, इसका पूरा सिस्टम तय हो रहा है और उस सिस्टम में जो मैं पुन: अपनी बात कह रहा हूं कि अगर खरीदी यहां से चालू होगी तो किसी का कोटा काटकर ही खरीदी चालू होगी । वह एक निर्धारित मापदंड है, अगर इतना क्विंटल लेना है, इतना यूनिट लेना है तो उतना यूनिट ही लिया जायेगा । क्यों बफर स्टॉक को गवर्नमेंट बढ़ायेगी ? गवर्नमेंट का निर्णय है, बफर स्टॉक तो बफर स्टॉक होता है । बफर स्टॉक के लिये खरीदी की जाती है और बफर स्टॉक की व्यवस्था आज नहीं ग्रीन

रेवोल्यूशन के समय से बनाई गई है । सी.पी.पी. और बफर सटॉक की व्यवस्था ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से बनाई गई है ।

श्री भूपेश बघेल :- आप बहुत अच्छे-अच्छे विषय छेड़ रहे हैं । मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं । माननीय सभापति महोदय, बफर स्टॉक इतना हो गया है कि एफ.सी.आई. गोडाऊन में रखने की जगह नहीं है । अनाज 03 सालों के लिये भरपूर है, पूरे हिंदुस्तान की जनता को अनाज देने के लिये 03 सालों के लिये भरपूर है और इसीलिये हमने सुझाव दिया कि इसे इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए लेकिन भारत सरकार अनुमति भी नहीं दे रही है उसमें किंतु लगा दिये हैं कि एफ.सी.आई. से खरीदो । अरे भई, छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन हो रहा है । हमको अनुमति दे दीजिये, हमारे धान से, हमारा जितना आपको सेंट्रल पुल में लेना है उसको ले लीजिये, हमारे पी.डी.एस. में जितना लगता है उतना हम रख लेंगे, उसके बाद जो धान बचता है उसका हम इथेनॉल बना देंगे लेकिन भारत सरकार उसकी भी अनुमति नहीं दे रही है । उसको लगे हुए डेढ़ साल हो गये हैं और इसमें आपकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे कोई संकोच नहीं है । नेता जी ईशारा कर रहे हैं तो मैं नेता जी से निवेदन कर लेता हूं कि आप सब लीजिये, श्रेय लीजिये और इथेनॉल बनाने की अनुमति भारत सरकार से दिलवा दीजिए तो जो आप कह रहे हैं न कि बारहों महीने खरीदना है । बरसात की फसल क्या गर्मी की फसल भी हम समर्थन मूल्य में लेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे ? हमारे अन्नदाता हैं, उनको समर्थन मूल्य में पैसा मिलना चाहिए। इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाएगी, जैसे जिलों-जिलों में राईस मिल खुले हैं उसी प्रकार इथेनॉल के प्लांट जिलों-जिलों में खुल जायेंगे और इथेनॉल बनेगा तो आपका विदेशी धन भी बचेगा और किसानों को उपज की कीमत भी मिलेगी तो इतनी सी ही तो बात है और यह काम कर लें तो यह जो देश में अनाज की किसानों की समस्या है वह समस्या समाप्त हो जायेगी, मेरे इस सुझाव को भारत सरकार को मान लेना चाहिए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इनका सिद्धांत तो यह है कि न करूंगा और न करने दूंगा । इसी सिद्धांत पर पार्टी चलती है । (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटी मेरे बाप की ।

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी, यदि अनुमति नहीं मिल रही है तो फिर चिट्ठी लिखिए, क्या दिक्कत है और कितनी चिट्ठी आप दो साल में लिख चुके हैं, यह सदन को बताना चाहिए कि कब-कब लिखे हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- वो अते कन चिट्ठी लखा गे हे, ओकर चिट्ठी हा गवां जथे। माननीय सभापति महोदय, मण्डी शुल्क पर पुरानी बात थी । मण्डी का जो पैसा है वह आखिर किसान की जेब से जाएगा और किसान की जेब से जाएगा और उपभोक्ता से, चाहे इधर किसान की जेब से जाएगा, चाहे उपभोक्ता को वहन करना पड़ेगा । कहीं न कहीं वहन करना पड़ेगा तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी चीज जो छत्तीसगढ़ में नहीं हुई उसको क्यों करना चाह रहे हैं ? किसान पर क्यों अतिरिक्त बर्डन डाला जा रहा है?

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य जी दो तरह की बातें कर रहे हैं । एक बात कर रहे हैं कि इनकी हाईपावर कमेटी जो डिसीजन लेगी, जब धान खरीदने को बोलेगी तब हम चावल खरीदेंगे । जब तक हाई पावर कमेटी जो है नहीं कहेगी तब तक हम धान नहीं खरीदेंगे, चावल नहीं खरीदेंगे । एक तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि आज यहां जो विधेयक आया है इसका विरोध कर रहे हो । आप एक तरफ किसानों के विरोध की बात करते हो । दूसरी तरफ आप किसानों के हितैषी बनते हो ।

श्री सौरभ सिंह :- आप मेरी बात को समझिये । ये टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की बात होती तो आपसे नहीं करता ।

श्री शैलेश पांडे :- आप मेरी दोनों बातों का जवाब दीजिएगा ना ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं जो बोल रहा हूं किसानों के हित में बोल रहा हूं ।

श्री शैलेश पांडे :- आपकी सभी बातें हम लोग सुन रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- किसी दिन मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको अकलतरा की मंडी घुमा दूंगा और आपको सारी परिस्थिति बता दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों विरोध कर रहा हूं ?

श्री शैलेश पांडे :- आप प्रेस कॉफ्रेंस करके बोल दीजिए कि हमारी मोदी सरकार ने मना किया है आप धान मत उगाना, अगली बार से हम लोग नहीं लेंगे । आप बोल दीजिए ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति जी, हमारा सिर्फ एक निवेदन है । ये किसान और प्रदेश के लोगों को ऊपर अतिरिक्त भार होगा । इसके साथ साथ मंडी की ब्यूरोक्रेसी को घटाने का प्रयास है । मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं । मैं आज अपने खेत में महामाया धान बो रहा हूं । 15 क्विंटल धान को तो मैंने बेच दिया, अब सबसे अच्छा रेट शिवरतन जी के भाटापारा में मिलता है । भाटापारा मंडी जाने के लिए मुझे कितनी मंडिया पार करना पड़ेगा । अकलतरा से भाटापारा जाने के लिए चार मंडी पार करना पड़ता है और ऐसा करने पर हर मंडी का शुल्क लगेगा । उसके लिए माननीय चौबे जी बताएं कि उस मंडी शुल्कों का क्या होगा, चार मंडियां पार करना पड़ता है । चार मंडिया पार कराकर अगर हम भाटापारा के पोहा मिल में धान बेचेंगे और टोल टैक्स अलग देना पड़ता है । मंडी की ब्यूरोक्रेसी का टैक्स अलग देना पड़ता है, मंडी शुल्क अलग देना पड़ता है । इन सारी परिस्थितियों को देखकर, ऐसी व्यवस्थाएं जो नहीं लागू हुई हैं, इन्हें कृपया लागू नहीं करें । हम इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सौरभ जी, आपने चार मंडियां पार करने में इतनी तकलीफों का जिक्र कर दिया । जिस दिन लोक सभा में तीन बिल आया था उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहां से लेकर देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं । कहीं भी ।

श्री सौरभ सिंह :- तो उसके तो विरोध में हो ना आप ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप भी हो ना ?

श्री सौरभ सिंह :- नहीं, हम नहीं हैं । हम खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम समर्थन में हैं । इस तरह मंडी का शुल्क नहीं लगना चाहिए, हमें चार जगहों पर मंडी शुल्क नहीं पटाना है । मंडी शुल्क नहीं लगना चाहिए, हम बोल रहे हैं कि वह बिल सही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, माननीय घुमावदार मंत्री और जलेबी जैसे मीठे मंत्री ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, घुमावदार नहीं, जलेबी जैसे मीठे ।

श्री उमेश पटेल :- शिव भईया, घुमावदार और जलेबी तक तो ठीक है, मीठा मत बोलिए प्लीज ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- सभपति जी, ये जलेबी बाई के चक्कर में रहते हैं (हंसी) ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मंडी शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि, किसान को नुकसान पहुंचाने वाली होती है । छत्तीसगढ़ में अभी जो मंडी शुल्क लगता है । उसमें पोहा व्यवसायियों को 1 रूपए सैकड़ा है । सामान्य रूप से बाकी चीजों पर 2 रूपए मंडी शुल्क है । .2 परसेंट निराश्रित शुल्क है । कुल मिलाकर 2 रूपए 20 पैसे सामान्य किसान को मंडी टैक्स के रूप में लगता है । आज अगर किसान मंडी में धान बेचने जाता है तो प्रति क्विंटल मोटा-मोटा समर्थन मूल्य के हिसाब से उसकी कीमत जोड़ें तो लगभग 40 रूपए का उसे मंडी टैक्स लगता है और बार-बार जो 3 बिलों की बात कर रहे हैं । ठीक है, विक्रेता को मंडी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती, मंडी शुल्क क्रेता देता है । लेकिन जब क्रेता भी मंडी शुल्क देता है तो वह खरीदते समय मंडी शुल्क को जोड़कर भाव लगाता है । अगर किसान को, क्रेता को मंडी शुल्क नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ विक्रेता को मिलेगा । विक्रेता को उसकी उपज की कीमत ज्यादा मिलेगी । अब एक तरफ आप केन्द्र के कानून का विरोध कर रहे हो और दूसरी तरफ आप कृषक कल्याण के नाम पर 50 पैसे से 200 रूपए सैकड़ा और टैक्स लगाने की बात कर रहे हो । इसका सीधा-सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ के किसान को होना है । क्रेता जब भी किसान का उत्पाद खरीदेगा तो वह इस शुल्क को भी खरीदी के पहले अपने पड़ते में जोड़ेगा और उसको कहीं न कहीं किसान से ही काटेगा। उतने कम कीमत में किसान से फसल खरीदेगा, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा विषय, माननीय सभापति जी, कुछ बातें माननीय अजय चन्द्राकर जी ने रखीं। मंडी में जो मंडी टैक्स लगता है उसका 50 प्रतिशत सीधा बोर्ड शुल्क के नाम पर आपके मंडी बोर्ड में आ जाता है। 50 प्रतिशत मंडी में रहता है तो 25 प्रतिशत मंडी समिति स्थापना व्यय में अपना खर्च कर लेती है। 25 प्रतिशत मंडी निधि के रूप में विकास के लिए रखा जाता है। हमारे प्रदेश में जितनी मंडियां हैं, उनमें बारहमासी मंडियां मुश्किल से 10 या 11 हैं। जिस मंडी में सभी प्रकार के किसान का उत्पाद बिकने आया, सब जीन्स बिकने आये, वह इकलौती मंडी है मेरे विधान सभा क्षेत्र की मंडी भाटापारा में। अब मंडी शुल्क लिया जा रहा है। मंडी बोर्ड की राशि ली जा रही है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम इतने गोदाम बनायेंगे। इतने चबूतरे बनायेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे। इस सरकार को दो साल पूरे हो गये। मंत्री जी बता दें कि मंडी बोर्ड शुल्क से इस दो सालों में उन्होंने क्या-क्या स्वीकृति दी है? माननीय

अजय चन्द्राकर जी ने अपनी कहानी बतायी। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से बोल चुका हूं कि मेरे यहां जो मंडी जो 12 महीने चलती है, उसकी एप्रोच रोड के लिए टेंडर निकला। एक आदमी ने टेंडर भरा, टेंडर निरस्त हो गया। रि-टेंडर करना था, सरकार बदल गयी और सरकार बदलने के बाद वह फाइल निरस्त हो गई और आज तक उसकी परमीशन नहीं मिली। मैंने भी निवेदन किया।

श्री भूपेश बघेल :- 15 साल में एक सड़क नहीं बनवा लेते।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी बड़े उदार हैं। वे फाइल को खोजवाने के लिए एक संसदीय समिति बना रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मंडी बोर्ड की राशि का आप क्या उपयोग कर रहे है ? मंडी बोर्ड की राशि का उपयोग आप केवल कर्ज लेने के लिए करेंगे। मंडी बोर्ड की राशि की आप घोषणा कीजिए न। आप एक विधेयक लाइए न कि जिस मंडी क्षेत्र में मंडी का जितना शुल्क आयेगा, उस राशि का उपयोग हम किसान के हित में करेंगे। हम इस संशोधन का बिल्कुल समर्थन कर देंगे। आप बोलिए कि इसमें जो शुल्क मिलेगा, कृषक कल्याण के नाम पर किसान को पक्का कनेक्शन, परमानेंट कनेक्शन के लिए हम देंगे, इस राशि का उपयोग करेंगे। आप बोलिए कि किसानों की अगर कोई अधूरी सिंचाई की योजना पड़ी है तो उस योजना के लिए उस क्षेत्र में हम खर्च करेंगे। बोर्ड शुल्क चाहे सरकार में ये हैं या चाहे सरकार में हम थे, वास्तव में मंडी बोर्ड शुल्क का किसान के हित में उपयोग नहीं हुआ। यह कटु सत्य है और इस सत्य को माननीय मंत्री जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके पास मंडी बोर्ड में इतना पैसा है कि अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो उन मंडी क्षेत्रों की छोटी-मोटी समस्याओं का निदान ऐसे ही हो जायेगा। हर गांव की एप्रोच रोड बन जायेगा। पुल-पुलिया बन जायेगा, पर उपयोग होता कहां है ? एक विषय यह है। दूसरा विषय माननीय सभापति जी, मैंने कहा कि कुल मिलाकर 8-10 मंडियां ही हैं जो बारहमासी मंडियां हो गयी हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि आखिर मंडियां समाप्त क्यों हो रही हैं ? आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की 30 से 35 मंडियां ऐसी थीं जो 12 महीनों चलती थीं और 12 महीना वहां अनाज बिकने के लिए आता था। माननीय मंत्री जी, आपने केवल एक नियम अनुज्ञा पत्र का लागू किया। चालू आपकी पीरियड में हुआ है और वह 15 साल हमारी सरकार में चला। मैं भी बृजमोहन जी को कहता था कि इसे बंद करो। आपके अधिकारी बैठते हैं। बैठे हैं। सब जानते हैं। आप जिस दिन अनुज्ञा पत्र काटना मंडी समिति से बंद करा दोगे, उस दिन सारी मंडी आपकी जीवित हो जायेंगी। आपकी सारी मंडियों में 12 महीने माल आने लग जायेगा। माननीय अकबर साहब मंडी अध्यक्ष रहे हैं। वे इस बात को बहुत बारीकी से जानते हैं। केवल अनुज्ञा पत्र के नाम पर ही जो वसूली होती है, जो वसूली का माध्यम बना है, उसने मंडी समितियों को समाप्त कर दिया। आपको मंडी को जिंदा करना है तो अनुज्ञा पत्र के सिस्टम को समाप्त करना चाहिए। आपने एक बात कही कि एफ.सी.आई. सीधा माल खरीद ले। सौरभ जी प्रश्न पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। हमारी सरकार तो

6 साल से है भैय्या। इसके पहले आपको किसने रोका था ? आपने किसानों का अनाज क्यों नहीं खरीदा ? आज आप जो खड़े होकर यह बोल रहे हो कि केन्द्र यह कर दे, केन्द्र वो कर दे। आप 10 साल लगातार राज में रहे और जब किसानों के हित की बात हो रही है, बार-बार तीन बिल की बात कर रहे हैं न, आज सुबह से एक क्लिपिंग चल रही है, आपके नेता आंदोलन को छोड़कर छुट्टियां मनाने कहीं बाहर चले गये हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, शिवरतन जी कहां जाते हैं, कहां आते हैं, हम लोग कोई हिसाब रखते हैं ? शिवरतन जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका हिसाब रखते हैं या शिवरतन जी किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उसका हिसाब रखते हैं ? कोई व्यक्ति कहीं आ जा रहा है, उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं । वे आपसे पूछकर जाएंगे ? यह बेहद आपत्तिजनक है । आप जाते हैं तो किसी को बताते हैं, जो हिसाब पूछ रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस सत्र के पहले दिन ही जैसे फिल्मों में अमिताभ बच्चन एंग्री मैन की भूमिका में आते हैं तो पहले दिन ही अजय चन्द्राकर जी के ऊपर बिल्कुल एंग्री मैन की भूमिका में दिखे और आज भी मैंने छोटी सी बात रखी तो इनको बुरा लग गया ।

श्री भूपेश बघेल :- छोटी सी बात ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अगर कोई राजनीतिक दल का नेता किसी विषय को उठाता है और उठाकर मझधार में छोड़कर भाग जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे ? उसको [XX][2] नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ? मैंने यह नहीं कहा कि वे कहीं क्या करने गए हैं, पर किसान आन्दोलन के नाम पर उत्तेजित करने वाला ट्विट जारी करना, उत्तेजित करने वाला बयान देना, उसके बाद चला जाना अगर मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं तो कौन सी गलत बात का उल्लेख कर रहा हूं ।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करिए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- सभापति जी, वे बेहद गंदे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं । आप पूर्वांश से कार्यवाही का अंश देखकर इन्होंने जो इ-रिलिवेंट बातें कहीं हैं, सबको विलोपित करने की कृपा करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, केन्द्र ने जो तीन बिल पास किया है, उसमें किसान को सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि किसान अपनी उपज को मंडी प्रांगण के बाहर जाकर देश के किसी भी कोने में बेच सकता है और जब वह मंडी प्रांगण के बाहर जाकर अपनी उपज को बेचेगा तो उसको किसी प्रकार का मंडी शुल्क देय नहीं होगा और जब मंडी शुल्क क्रेता को देय नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसान को मिलेगा और कृषक कल्याण के नाम पर जो शुल्क लगाया जा रहा है, यह निश्चित रूप से किसान की फसल को, कीमत को और कम करने वाला होगा । क्रेता इस शुल्क की राशि

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

को किसान से माल खरीदने के पहले काटेगा इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि माननीय मंत्री जी इसको वापस ले लें जो ज्यादा अच्छा होगा ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक लाईन बोल देता हूं । आपके समर्थन में आपके दल से कोई नहीं है ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- संक्षिप्त करना है, वरना अभी बोलने वालों की सूची लंबी है । माननीय सभापति जी, जब मैंने विधेयक प्रस्तुत किया तो अपनी सारी बातें कह दी थीं । उसके बावजूद भी माननीय सौरभ जी और माननीय अजय जी के कुछ प्रश्न हैं, शिवरतन जी को तो पीड़ा है, उनके किसी प्रश्न का जवाब देने लायक कोई बात नहीं बनती । वे बार-बार कह रहे थे कि 15 साल उनकी भी सरकार थी और उनके खुद के भाटापारा की सड़क वे बनवा नहीं पाये, ऐसा उन्होंने जिक्र किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसका विज्ञापन निकला था । सरकार चली गई और आपने निरस्त कर दिया । मैंने यह नहीं कहा । मैंने मंडी से बहुत काम कराया है । आप पता कर लेना, पर आपने निरस्त कर दिया, जबकि सबसे ज्यादा आय देने वाली मंडी भाटापारा है, यह आपके ध्यान में ला रहा हूं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- वही तो वे बोल रहे हैं । 15 सालों में आप सड़क का काम नहीं करवा पाये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोला समझ में नहीं आवय । तै नम्बर-एक हस, ये बात ला हम स्वीकार करथन ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, चिन्ता मत कर । नम्बर एक ही रहिबो ।

श्री रविन्द चौबे :- आपकी सरकार चली गई, इसलिए निरस्त हो गया । इसका मतलब 15 साल के बाद आप केवल टेण्डर कराने तक पहुंचे थे । आपकी सरकार में आपकी पार्टी की इतनी दुर्गति थी ।

माननीय सभापति जी, मैंने कहा कि इन दोनों बिन्दुओं पर किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, यह पहली बात समझ लीजिए । दूसरी बात, अधिकतम जो धान ही खरीदी यहां होती है, हम लोग जो मंडी प्रांगण है या जो डीम्ड मंडी घोषित होता है, हमारे प्राईमरी सोसायटी से खरीदी करते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक बार, आपके माननीय मामा श्री पूछे थे कि डीम्ड मंडी क्या है मेरे को बताओ। इसको आप परिभाषित कीजिए ना। उनको पहले बताओ कि डीम्ड मंडी है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अब बात ये है कि हमारे मामा जी को आप परेशान मत करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मामा जी को सत्तू भैया के पास भेज दो। आप नहीं समझा पाओगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- इस सदन में आदरणीय सत्तू भैया और आदरणीय मामा जी, दोनों प्रकांड ज्ञाता हैं, (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- किस विषय के...।

श्री रविन्द्र चौबे :- कुछ विषयों के। उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं किसी को किसी के पास भेज नहीं सकता।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर सब समझ जायेंगे तो बहुत अराजकता भी फैल सकती है। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, सौरभ जी ने बड़ी विद्वतापूर्ण बातें कही और सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। उनकी बातों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दिया। सौरभ जी, केवल सोच का फर्क है। हम केन्द्र के कानून को अपने प्रदेश में कितना रोक पायेंगे नहीं रोक पायेंगे आप भी समझते हो। माननीय अजय जी ने भी प्रश्न किया जब केन्द्र में कानून लग गया तो मंडी में आप कैसे शुल्क ले पायेंगे, किस प्रकार से इस प्रकार से कहा। हम क्या दिल्ली के कानून को वाइलेशन कर सकते हैं लेकिन उन कानूनों में जो प्रावधान है। उन्होंने मंडी प्रांगण के भीतर की बात नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि मंडी के बाहर भी अगर व्यापारी या निजी क्षेत्र में क्रेता या मंडी बनाकर मंडी जैसे स्थापित कर लेंगे तो वहां टैक्स नहीं लगेगा। वहां किसी भी प्रकार का कर या उपकर जैसी बात राज्य सरकार नहीं कर पायेगी तो इतनी सारी बातें मैंने कही तो उसमें कहीं आपको लगता है कि मैं केन्द्र के कानून के खिलाफ कोई बात कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें मालूम है, हमें हमारी मर्यादाएं मालूम हैं। केन्द्र के कानून की सीमाओं को भी हम जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में केन्द्र क्या करने वाले हैं, उसको भी हम जानते हैं ? हम अपनी सीमाओं में अपने किसानों के लिये क्या कुछ कर सकते हैं, उसको भी जानते हैं, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहियेगा। ये जो दोनों बातें हैं, दशमलव 5 से 2 प्रतिशत तक तो पूर्व से लागू है। इसमें क्रेता, विक्रेता, किसान इसमें तो कभी कोई बात नहीं हुई और आप लोगों को बड़ी पीड़ा होती थी तो कभी 10 साल 15 साल में कभी एकाध अक्षर तो बोल देते कि किसानों को बहुत हो रहा है, इसमें हम कोई कम करने जा रहे हैं, आपका विचार ही नहीं था। यहां राजनीतिक भाषा बोलने का ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- पोहा वालों के लिये 2 का 1 हमारी सरकार ने किया था। अगर नहीं बोले होते तो वह कम नहीं होता1

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट। जैसे हम राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं तो आप क्या राम भजन गा रहे हैं, ये बताओ तो। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, अजय जी, बात वह नहीं है। मैं राम भजन नहीं गा रहा हूं लेकिन आप और हम यहां जो बैठे हैं ना, दोनों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसान, यहां का विकास और आप भी जब सुझाव दे रहे हैं, मैं मान रहा हूं ना, लेकिन हम लोग भी कर रहे हैं, कोई राजनीतिक बातों में, केन्द्र के कानून के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि आप मत बोलिये, उसमें चर्चा का विषय नहीं हो सकता। लेकिन जब बात निकल आई, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये भारतीय जनता पार्टी को भी और इस सदन में चूंकि आप मौजूद हैं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी आपसे भी चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी

जो लगातार धान खरीदी में abstraction हो रहा है ना, किसान के बारे में जो तकलीफें हो रही है, आपने पूछ तो दिया कि आप चिट्ठी लिख दिये, आपकी इतिश्री हो गयी। केन्द्र सरकार क्या हमारी सरकार नहीं है, क्या हम उनको अपना सरकार नहीं मानेंगे, क्या हम उनसे सहयोग नहीं मांग सकते, अपने किसानों के लिये क्या हम उनसे अनुरोध नहीं कर सकते ? और अगर हम दिल्ली की सरकार से अनुरोध करते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है। आप हमारी मदद करिये न। दिल्ली की सरकार बारदाना की पूर्ति नहीं कर पाई।

श्री अजय चंद्राकर :- खुद आपकी सरकार है पेपर के विज्ञापन में आज ईनाम लेते हुए बड़े अक्षरों में फोटो छपा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छे लग रहे हैं का क्या सवाल है। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री जी से अगर छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे सारे मंत्रियों को अलग अलग विभाग में जो किये गये कार्य हैं, उसकी अगर प्रशंसा होती है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पाये, इसके लिये हम लोग दुखी भी हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- किस बात की दुखी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पाये, इसके लिये दुखी हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी, सेन्ट्रल पुल में इस साल 23 प्रतिशत अतिरिक्त चावल खरीदने वाली है। आप इसके लिए भी धन्यवाद दे दीजिये, विन्नम निवेदन है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जितना अभी कहा, कल ही आदेश जाये, एफ.सी.आई. में चावल का ट्रांसपोर्टिंग शुरू हो जायेगा तो वह छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में होगा। आपने कहा कि सेन्ट्रल पुल में 23 प्रतिशत अधिक चावल खरीद रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो इस सदन में कहा कि केन्द्र सरकार हमारे पूरे धान का उत्पादित चावल खरीद ले। छत्तीसगढ़ के किसानों का हित होगा। आप ही एकाध बार प्रस्ताव ले आईये। यह छत्तीसगढ़ के किसानों का हित है। इसलिए आदरणीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक में कोई अधिक बात नहीं थी, आप सब समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें। आप इसमें विरोध वगैरह का चक्कर छोड़ दीजिये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेय का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में मकान मालिक और किरायेदार के मध्य जो आपसी विवाद होता है, उसको निपटाने के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) प्रभावशील है। इस प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण जो एक न्यायालय है, जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध जो प्रावधान 2011 में रखे गये थे, उसके हिसाब से काई भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता था। लेकिन एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। प्रकरण सिविल अपील क्रमांक- 5153/2019 श्री एच.एस. यादव विरूद्ध शकुन्तला देवी पारस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, उसमें उन्होंने यह कहा है कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील उच्चतम न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है। तो सन् 2011 में यहां जो कानून बनाया गया था, पारित किया गया था, उसमें अपील का प्रावधान सीधे सर्वोच्च न्यायालय में था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह आ गया है कि वह यहां सीधे अपील नहीं

कर सकते है। तो इसमें धारा 13 की उपधारा (2) केवल इसको विलोप करना है, एक संक्षिप्त सा संशोधन है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- इसको सर्वसम्मति से पारित कर दीजिए।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :-प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री मोहम्मद अकबर :- सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

श्री मोहम्मद अकबर :- सर्वसम्मति से पारित किए जाने के लिए आप सभी का धन्यवाद।

(5) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा 2019-20 में केंद्रीय बजट में राज्य के केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि 26013 करोड़ रूपये निर्धारित की गई थी किंतु राज्य को वास्तविक रूप से केवल 20205 करोड़ रूपये ही प्राप्त हुए। इस प्रकार राज्य को 5808 करोड़ रूपये कम प्राप्त हुए। इस वर्ष 2019-20 में राज्य को जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की राशि 4506 करोड़ रूपये प्राप्त होनी थी किंतु केवल 2644 करोड़ रूपये ही प्राप्त हुई। इस प्रकार से दोनों मदों में कुल 7670 करोड़ रूपये की कमी होने से राज्य के संसाधनों में भारी कमी आई। वर्ष 2019-20 में केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से रियायत के रूप में राज्य को 1813 करोड़ रूपये की अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संशोधन करने की शर्त पर प्रदाय किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी इसका उपयोग नहीं किया है। 22 मार्च, 2020 को देशव्यापी लॉकडाऊन के कारण राज्य के स्वयं के राजस्व में भी आंशिक कमी हुई है किंतु वैश्विक आपदा के समय राज्य के लोगों को फौरी तौर पर राहत प्रदान करने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य द्वारा लोकहित में आवश्यक व्यय किए गए। अत: केंद्र सरकार द्वारा दी गई अतिरिक्त उधार सीमा के लिए निर्देशानुसार राज्य को एफ.आर.बी.एम. एक्ट में वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय घाटों की सीमा में वृद्धि हेतु संशोधन किया जाना आवश्यक है और इसलिए यह प्रस्ताव आया है। मैं निवेदन करता हूं कि इसमें विचार किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, कोविड के कारण केन्द्रीय प्रतिशत नहीं मिला। एक आधार इसको बनाया गया है। हम इसमें सहमत भी हो सकते हैं कि सरकार को संसाधन जुटाने के लिए कोई काम करना है, इसी तरह का करना है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन जो होता है वह पारदर्शिता का विषय होता है और जब सरकार पारदर्शिता का प्रदर्शन करती है तो उसमें लगता है कि हम भी कोविड के कठिन समय में मदद के लिए खड़े हैं। आज राजस्व विभाग का एक प्रश्न था। कोविड में आप आपदा मोदन निधि का कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसमें उत्तर कैसा आया। आप 50 प्रतिशत खर्च कर सकते हैं। यह नहीं बताया गया कि हमने इतना पैसा स्वास्थ्य विभाग को कोविड में आपदा मोदन निधि से दिया गया। यह प्रश्न था स्वास्थ्यगत सेवाओं को मजबूत करने, उसके लिए माननीय

मुख्यमंत्री जी के भाषण में यह शब्द आया है। अभी मैं माननीय विद्वान मंत्री जी से यह पूछा था कि आप टैक्स लगा रहे हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह है। आपने सेस लगाया या आपने विशेषकर 10 रूपये हर साईज में, देशी शराब पर लगायी। आपने 10 प्रतिशत अंग्रेजी शराब में लगाया। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि आप किसानों के लिए ऐसी फिर लगा रहे हैं आपने कितना पैसा कोविड के लिए दिया है यदि सेस लगाया है तो। मेरे प्रश्न के उत्तर में वह राशि 3 अरब रूपये से ऊपर है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि इसमें वक्तव्य दें तो कि हमने यह-यह खर्च किये हैं तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वैसे ही आपने शराब पर सेस लगाया है, विशेषकर वह सेस शब्द नहीं है सेस शब्द बोला जाता है। जो राजपत्र में प्रकाशन है उसमें। साहब, देशी में ये 5 रूपये गोठान के लिए लगा है। माननीय मंत्री जी सदन को बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें कितना पैसा हुआ? कितना पैसा मिला? और उसको किन-किन विषय में गोठान के खर्च करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा, आलोचना में कहे हों, प्रशंसा में कहे हो, सदन के हमारे नेता हैं, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके निर्णय पर 3 करोड़ लोगों के भविष्य का निर्धारण होगा, यह बात एकदम सत्य है। साहब, मेरी प्राथमिकता अलग है आपकी प्राथमिकता अलग थी। आपकी प्राथमिकता नई राजधानी थी। आपकी प्राथमिकता मोबाईल थी। ठीक है हम गलत थे इसलिए हमको जनादेश नहीं मिला। ये प्राथमिकताएं नहीं थीं, लेकिन आपको उन प्राथमिकताओं का एक असर बता देता हूँ जब आलोचना होती है आज 7 वें नंबर पर माननीय प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का एक प्रश्न था । उसमें बताया गया कि 44 लाख बच्चे प्रवेशित हैं 24 लाख ऑन लाईन के लिए पंजीकृत हैं और 11 लाख लोगों को कक्षा में लें। पढ़ाई तुहर द्वार में कितने प्रभावित हो रहे हैं यह साईड से गायब है। जितना उससे बाकी 11 लाख बच्चे के छोड़, इस प्रदेश में 23 लाख बच्चों का क्या हुआ? यदि आई.टी. होती, वह पहुंच होती जिसमें हम मोबाईल की आलोचना कर रहे थे, उन बच्चों को जनरल प्रामोशन दिया गया उन बच्चों को अगली क्लास पर दिया गया। यह निर्णय, उनके मूल्यांकन क्या हुए? प्रदेश में यह अता-पता नहीं है। मैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य जिसको वेलफेयर स्टेट के सबसे प्राथमिक चीजें मानी जाती हैं। वह दोनों में मैंने बात की। तीसरी बात भी की और मैंने आरोपात्मक बात नहीं की। यहां के नौनिहाल का भविष्य क्या होगा? गरीब, क्या हमारे नारे का केन्द्र होंगे। वित्तीय प्रबंधन के केन्द्र नहीं होंगे। आज अब मेरी नियम 139 के अधीन लोक महत्व का विषय है माननीय चौबे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं आएगा। आप गरीबों के लिए वर्ष 2019-20 के मकान के लिए कर्ज की व्यवस्था नहीं कर पाये। आज की राशि तक ग्रामीण आवास योजना में। वर्ष 2019-2020 का है और इस साल का लक्ष्य लगभग 5 लाख कम कर दिया। आपको कर्ज नहीं मिल पाएगा या कर्ज नहीं लेंगे। आप वर्ष 2022 तक भारत सरकार की बात कर रहे थे, गरीबों की बात करते हैं तो वर्ष 2022 तक जो लक्ष्य है । आप उसके लिए क्यों कर्ज का इंतजाम नहीं करते। तीसरी बात अति विद्वान, सक्रिय, बुद्धिमान माननीय डहरिया जी मैं प्रशंसा करता हूँ। इस

साल और पिछले दो सालों में शहरी ग्रामीण आवास की क्या व्यवस्था है? माननीय मुख्यमंत्री जी जब आलोचना करते हैं नई राजधानी की, जब ये सदन में आलोचना होती है तो बहुत अच्छा लगता है। हमें क्यों खड़े होते हैं? जब चौबे जी रहते हैं तो यह अपेक्षा रहती है कि वह उत्तर देंगे। मुख्यमंत्री जी जब खड़े होते हैं तो यह अपेक्षा रहती है। यह सबसे अपेक्षा नहीं रहती है कि वह उत्तर देंगे। रायपुर शहर में आवास की जानकारी कितनी है? छत्तीसगढ़ में जितना पैसा मिला, क्या शहरी विकास अभिकरण को हिसाब भेज दिया? क्या उसके बाद किश्त मिल गई? उसके बाद 60-40 में लाभांस के लिए कितने पैसे की जानकारी है? वह टोक कर खड़े होते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। भारत में गरीबों के लिए यदि सबसे रद्दी दृष्टिकोण है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय चन्द्राकर जी, हमें भी चेष्टा रहती है कि आप जब चर्चा करें तो आपसे बात करें, आपको विषय में लायें। आप जिस मोबाइल वितरण की बात चर्चा में लाये, वह सब खराब पड़ा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये, मैं अपनी बात को वापिस ले लेता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- दूसरी बात जो आपने कही कि केवल मुख्यमंत्री जी, चौबे जी से चेष्टा रहती है, आप तो सबके में खड़े होते हैं। आप किसके में खड़े नहीं होते, ये बता दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसकी बात में खड़े नहीं होते ?

सभापति महोदय :- आप बहुत जल्दी में संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके विषय में कभी खड़ा नहीं होता। इनके विषय में तो दूर से हाथ जोड़ लेता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- केन्द्र हमन ला इही में पुरस्कार देत हे, जेकर बारे में हमन मन के आलोचना करत हस।

सभापति महोदय :- अजय जी, संक्षेप में बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। आपने संक्षेप में कहा तो एक विषय के बारे में और बोल देता हूं। हमारी प्राथमिकता में किसान हैं। माननीय महान किसान, घुमावदार नेता हमारे बीच मौजूद हैं, फ्लोर मेनेजमेन्ट जोरदार कर रहे हैं। मेरे आंकड़ें ऊपर-नीचे हो सकते हैं। 96,000 किसान हैं, 25 हजार लोगों की स्वीकृति हो चुकी है, 37 हजार लोगों को देना है, जो भी आंकड़ें हैं, आप कर्ज ले लीजिए न। आप 100 करोड़ को बढ़ाईये। यदि 1 लाख रुपया प्रति कनेक्शन मागेंगे, 35-37 हजार लोगों का जो मेरे प्रश्न के उत्तर में आया है, उसके लिए 370 करोड़ रुपया चाहिए। आप कर्ज ले लीजिए, हम सर्वसम्मत से पास कर देते हैं। आप स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा दे रहे हैं कि सिर्फ उल्लेख कर रहे हैं। गरीब आपके केन्द्र में हैं। मैं प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास की दो साल की स्थिति बता दिया कि सबसे बदतर प्रदर्शन है। फिर आपको किसानों की स्थिति बता दी। अब जो ये एक्ट है, मैंने पारदर्शिता

की बात कही। आपने पिछली बार कहा था कि हमारा बजट अनुमान घाटा 30 प्रतिशत होगा। चौबे जी, पारदर्शिता की बात कही थी। जिस समय वित्तीय पत्रक विधानसभा में रख रहे थे, आप जानते थे कि बजट घाटा 6 प्रतिशत से ऊपर जायेगा। हम लोगों ने भाषण में भी कहा था। 6 प्रतिशत से ऊपर गया। ये सत्य को छुपाने का एक उपक्रम है। दूसरी बात आपने कहा कि इस बार राजकोषीय घाटा 5 प्रतिशत के आसपास रहेगा। मान लो आप 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत बढ़ाते हैं, जैसा बजट में कहा गया। उसका घाटा उससे भी ऊपर चल दिया, जो इस साल संभावित है। मेन बजट आयेगा तो पता चलेगा जो 10 प्रतिशत से ऊपर जायेगा। आज की तारीख नोट कर लीजिए। तब क्या होगा ? दूसरी बात इसको आप भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रहे हैं। आज आप विधानसभा में बोल चुके हैं कि 30,228 करोड़ रुपया, याद नहीं आ रहा है, पर मेरे प्रश्न के उत्तर में है कि 30 हजार करोड़ रुपया कर्ज है। भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रहे हैं तो क्या विधानसभा में आंकड़ें बदलेंगे ? यह सदन की विश्वसनीयता क्या होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने उत्तर दे दिया है। आप इसको भूतलक्षी प्रभाव से क्यों लागू करना चाह रहे हैं ? किसलिए, यह बड़ा स्पष्ट तो है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण में तो नहीं कहा कि हम भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रहे हैं। अब आपको केन्द्र सरकार ने अनुमति दी कि आप 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं या राजकोषीय उत्तरदायित्व एफ.आर.बी.एम. एक्ट को संशोधन कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि उसके लिए और क्या-क्या शर्तें जोड़ी गई हैं ? इसीलिए मैं कहता हूं कि सवाल पारदर्शिता का है, खासकर वित्तीय मामलों में पारदर्शिता का है। हम भ्रष्टाचार का आरोप कहीं पर नहीं लगा रहे हैं। हम ये स्वीकार रहे हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार और इस सूबे की सरकार में कठिन परिस्थितियां बनी हैं। अब जो मेरे पास जानकारी है, एक देश एक राशन कार्ड, आई.बी.एफ.एम. या बजट उत्तरदायित्व जो एक्ट है । जिला स्तर पर कारोबार को सुगम बनाने के लिये बिजली वितरण इससे संबंधित मुद्दे, ग्रामीण निकायों के राजस्व संबंधी मुद्दे ऐसे मुद्दों को भी लागू करेंगे, सोचेंगे तब आपको अनुमति दी जाती है, जो मेरी जानकारी है । हो सकता है कि मैं असत्य भी हूं तो जब वित्तीय मामलों में हम इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, मैं आज इस सदन में बोल रहा हूं । आदरणीया भाभी जी बैठी हैं, 5300 करोड़ रूपये हम प्रतिसाल ब्याज चुकायेंगे, वह 15 नवंबर तक का है न, उसके बाद का और है । आप बार-बार बोलते हैं कि चार-साढ़े चार हजार करोड़ था और इतने रूपये हम नकद छोड़कर गये थे, शायद उसको खर्च कर देते तो हम चुनाव में दूसरी बात जीत जाते, यह चुनाव का विषय नहीं है । अब जो स्थितियां कर्ज की बन रही हैं, आज आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आज आप गरीबों की बात कर रहे हैं लेकिन इससे पहले राजस्व व्यय के लिये आपने कर्ज लिये तो जब कर्ज लिया तो उस समय आपने कभी नहीं कहा था कि मैं स्वास्थ्य कोविड के लिये या स्कूल शिक्षा के लिये मैं ब्याज, यदि आप उसके लिये भी बोलते तो हम करते । राजस्व व्यय के लिये आप कर्ज लेते हैं और आई.बी.एफ.एम. एक्ट को संशोधित करने के लिये आप स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला देते हैं और

यह कहते हैं कि जो 3 प्रतिशत का अनुमान था वह 6 हो गया । इस साल 5 बोल रहे हैं वह 10 से ऊपर जाएगा, तब क्या होगा ? इसलिए मेरा यह कहना है कि जो उपलब्ध राशि है, आप लीजिए । मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वित्तीय पारदर्शिता...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- चंद्राकर जी, तोर सरकार में वित्तीय पारदर्शिता कतका रहिस हवए ? 15 साल तोर सरकार रहिस हे, वित्तीय प्रबंधन केंद्र में गरीब इतने थे कि आपकी सरकार जब गई ।

श्री अजय चंद्राकर :- मोबाईल देखकर बोलत हस ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोबाईल जेब में हवए, मैं तोर जइसे पुस्तक पढ़कर नइ बोलओं ।

श्री अजय चंद्राकर :- हो गया न ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर समय में गरीब मन झुग्गी में रहत रहिन हे अऊ तोर सरकार में सबसे गरीब राज्य रहिस हे ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी, जल्दी समाप्त करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी नहीं तुरंत समाप्त कर रहा हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर लेता हूं चूंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैंने तो एक वृत्त रखने की कोशिश की । पारदर्शिता, पहले घाटे के क्या कथन थे और अनुमान क्या थे, उसके बाद क्या हुए और राजस्व व्यय में आपने कर्ज लिया और आज आप स्वास्थ्य और दुनिया का हवाला दे रहे हैं तो यह राजस्व व्यय के लिये अधिक बढ़ाने के लिये कर्ज लेने वाली सरकार रही है । अब यदि गरीबों की सरकार है तो जो कर्ज आप ले रहे हैं, ग्रामीण आवास के लिये, किसानों की बिजली के लिये, कोविड के प्रबंधन के लिये आप ईलाज को फ्री में करने के लिये बोल रहे थे, आप लीजिए न । राजस्व व्यय को छोड़कर इसमें यह सुनिश्चित कीजिए कि मैं जो कर्ज लूंगा वह पूंजीगत व्यय होंगे । राज्य की उन्नति के लिये होंगे और माननीय डहरिया जी मेरे बहुत विद्वान साथी हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में 03 नगर पंचायत बनाये हैं । वे इतने क्षमतावान हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि शहरी गरीबों के मकान की जो स्थिति है, उसकी जरूर समीक्षा करें तो जो वस्तुस्थिति आयेगी उससे सदन को अवगत करवायेंगे, आज की तारीख तक का, कल फिर वह बदल जायेगा तो यह पता चल जायेगा कि आवास की स्थिति में हम छत्तीसगढ़ में कहां हैं और फिर से मैं वही कहूंगा कि कर्ज पूंजीगत व्यय होगा कि इस प्रदेश में ब्याज चुकाने का जो बजट आया, पूंजीगत व्यय से ज्यादा ब्याज चुकाने के लिये बजट आयोजन है ऐसा यह प्रदेश कहा जायेगा इसलिए आप सुनिश्चित करें । विपरीत स्थितियां हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक-34, सन् 2020) इस सदन में प्रस्तुत किया, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005, क्रमांक-16, सन् 2005 को और संशोधित करने के लिये सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है । कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्तमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिये, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिये जो संसाधन उपलब्ध हो सके, जो हमारे बजट में है उसके अतिरिक्त राशि इस विकास के लिये लगातार उपलब्ध कराने के लिये काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं इन दो वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिये, छत्तीसगढ़ के खजाने के एक-एक पाई का विकास छत्तीसगढ़ के किसानों, छत्तीसगढ़ के मजदूरों, छत्तीसगढ़ की आम जनता, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिये सरकार काम कर रही है । माननीय सदस्य कह रहे थे कि पारदर्शिता की बात है । सभापति जी, जब हम 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तक लगभग 400 करोड़ रूपए सरकार के खजाने में थे लेकिन 15 साल बाद फिर से सरकार में आए तो लगभग 42 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी हुई व्यवस्था मिली । सभापति जी, ये 15 सालों तक कम्बल ढककर घी पी रहे थे, उसी का ब्याज 5300 करोड़ रूपया भी हमारी सरकार पटा रही है । सभापति जी, गरीबी की बात है, जब हमारी सरकार थी लगभग 37 प्रतिशत गरीबी थी । 15 साल राज करने के बाद 39.9 प्रतिशत गरीबी ।

श्री सौरभ सिंह :- मरकाम जी, अभी आप लोग एड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं क्या ।

श्री मोहन मरकाम :- 42 हजार करोड़ रूपया आपने कर्ज लिया, किसके लिए। ऐशो-आराम के लिए । सभापति महोदय, इनकी योजना थी, लंदन से न खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से । मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय रमन सिंह जी की बाड़ी में डीजल मिल रहा है क्या, विद्वान सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी की बाड़ी में डीजल मिल रहा है क्या, जिन्होंने करोड़ों रूपए सरकारी धन का दुरूपयोग किया और सबसे बड़ी बात आज इन्होंने रायपुर शहर में लगभग 100 करोड़ का स्काईवाक बनाया है, उसका क्या महत्व है । आज आपने जो कर्म किया है उसका ब्याज भी हमारी सरकार पटा रही है । आज हमारी सरकार को, केन्द्र की सरकार से लगभग 7 हजार करोड़ लेना है । चाहे जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति हो या अन्य माध्यम से । आज आप मोदी सरकार से कह दीजिए तो हमारी सरकार कर्ज नहीं लेगी । सभापति जी, आज पूरे देश में कोविड के कारण कई प्रदेशों में केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों की 30 प्रतिशत सैलरी कम कर दी है । उसके साथ ही साथ हम लोगों को तो 2 करोड़ रूपए विधायक निधि मिल रही है, कोई निर्माण कार्य नहीं रूका है । मगर केन्द्र सरकार ने 2 साल तक सांसद निधि पर भी रोक लगा दी है और 2020-21 के जितने निर्माण कार्य हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूं जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं । अगर छत्तीसगढ़

के अन्नदाताओं के लिए हमको कर्ज भी लेना पड़े तो भी हमें लेना चाहिए। आज पढ़ाई तुंहर दुलार की बात कर रहे थे । हमारी सरकार ने कोरोनाकाल में घर-घर जाकर बच्चों को सूखा राशन देने की व्यवस्था की है । हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों को घर-घर जाकर सूखा राशन देने की व्यवस्था की है । सभापति महोदय, आज यदि नीति आयोग छत्तीसगढ़ सरकार की तरीफ कर रहा है, अगर रिजर्व बैंक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ कर रहा है और अगर अन्य सूबों की सरकारें छत्तीसगढ़ की सरकार की तरीफ कर रही हैं तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल सरकार का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है । माननीय मुख्यमंत्री जी नी एफआरबीएम एक्ट के तहत कर्ज लेने की बात इस सदन में प्रस्तुत की है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं, धन्यवाद् ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय जी ने और माननीय मोहन मरकाम जी ने इस चर्चा में भाग लिया । कुछ सवाल अजय जी ने उठाए । सभापति महोदय, यदि हमें 2019-20 में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 26 हजार करोड़ का जो बजट आवंटन रखा था, उसमें से केवल 20 हजार करोड़ दिया । उस समय कोई लॉकडाउन नहीं था । उस समय 5,808 करोड़ की कमी आई । अगर वे दे देते तो स्थिति दूसरी होती । दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि यह भूतलक्षी प्रभाव से होगा । निश्चित रूप से भूतलक्षी प्रभाव से होगा क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से आपने जी.एस.टी. देना ही बंद कर दिया। पूरा नवंबर-दिसंबर आ गया, लेकिन आपने दिया कितना? 700 करोड़। यदि हमें लगातार जी.एस.टी. मिलते रहता है जो आपने प्रस्ताव किया कि जी.एस.टी. में जो क्षतिपूर्ति है, उसे हमें देते तो आज यह स्थिति नहीं होती और सभापति महोदय, यह कानून इसलिए लाना पड़ा, क्योंकि आप जी.एस.टी. का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप उधार ले लो। हमें उधार लेने के लिए कहा जा रहा है। पूरे देश भर में लॉकडाउन तो आपने लगाया है। सभी राज्यों की स्थिति खराब हो गयी। वित्तीय स्थिति खराब हो गयी। सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, जो fiscal deficit है, उसमें कमी आयेगी। वह 3 परसेंट है। उसे बढ़ाकर 5 परसेंट की बात हुई। कभी 5 परसेंट की बात हुई। आखिर में 2 परसेंट बढ़ाने की बात हुई। फिर उसमें ऑप्शन 1 और 2 जी.एस.टी. में आया। सभापति महोदय, हमने ऑप्शन 1 चुना और ऑप्शन 1 चुनने के बाद जो बात आयी, जिसके बारे में अजय जी कह रहे थे कि छिपा रहे हैं। वित्तीय पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। भारत सरकार ने कहा कि आप यदि ऑप्शन 1 लेते हैं तो आपको 2 परसेंट की जगह 1 परसेंट तो लोन लेने का ऐसे ही अधिकार प्राप्त हो जायेगा। 1 परसेंट में उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. ऑप्शन 1 चुनने के बाद सभी राज्य 1 प्रतिशत अतिरिक्त लोन बिना शर्त ले सकते हैं। वह शर्त क्या है कि 0.25 प्रतिशत आप ease of doing business पूरा करने पर आप ले सकते हैं। 0.25 प्रतिशत ऊर्जा संबंधी सुधार अनुदान राशि हितग्राही को ट्रांसफर करने पर, उसमें आपको मिल सकता है। 0.25 प्रतिशत नगरीय निकाय संबंधी सुधार और 0.25 प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य संबंधी में सुधार। ये 0.25

प्रतिशत के उन्होंने 4 स्लैब दिये हैं और उसमें राज्य सरकारें कर रही हैं। हम लोग भी उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस दायरे में आ जाये जो भारत सरकार ने शर्त रखी है। 1 प्रतिशत भी बिना शर्त के हम लोग लोन ले सकते हैं। अब यह लोन भारत सरकार के निर्देश पर ही हुआ है। एक जो संशोधन हुआ है, वह भारत सरकार के निर्देश पर ही हमें लाना पड़ा है और अभी तक 20 राज्य यह सुधार कर चुके हैं। हम 21वां राज्य होंगे और यह बाध्यता है। अभी जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से इसे जब नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं चलेगी। अगर भारत सरकार हमारे हिस्से का पैसा देते रहती, जी.एस.टी. में जो क्षतिपूर्ति है, उसे देते रहती तो आज यह स्थिति नहीं बनती। पूरे देश में जो स्थिति बनी है, उसके कारण से इस एक्ट को लाना पड़ा है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा और इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(6) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020)

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020)
पर विचार किया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, विषय-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची 1-क में राज्य सूची के अनुच्छेद 20 के विलोपन बाबत् । भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 केन्द्रीय अधिनियम है । पंजीयन विभाग द्वारा उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कार्य संपादन किया जाता है । उक्त अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का शुल्क की प्रभारिता के संबंध में पृथक से अनुसूची 1 क (राज्य अनुसूची) प्रावधानित है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014 में विधेयक के माध्यम से इस अनुसूची के अनुच्छेद 20 के समाशोधन सूची में स्टॉक/शेयर, डिबेन्चर इत्यादि के लेन-देन संबंधी संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क की दरें प्रावधानित की गई थी। यह अभी केन्द्र सरकार ने जो लागू किया है, उसी के संबंध में विलोपित करने का है । अगर चाहें तो इसे सर्वसम्मति से पारित कर सकते हैं । छत्तीसगढ़ में जो लागू था, उसको विलोपित किया जा रहा है । आप लोग कहेंगे तो पूरा पढ़ देता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जयसिंह जी, आप विधेयक को लाईए, मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी को दूसरी बात के लिए इशारा किया था । आप भाषण दे रहे थे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो इनका सहारा बस ले रहे थे । कानून बनता है तो आपका दृष्टिकोण दिखता है । वह मंत्री जी जब दो संशोधन विधेयक लाये तो पूरा लिखा हुआ पढ़ रहे थे । आप भी लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे तो मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी से कहा कि उनको ऐसे ही बोलने के लिए बोलिए । किसी तरह की आपत्ति नहीं की थी । एक्सटेम्पोर बोलिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति जी, मैं ऐसे ही बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरा डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि केन्द्र सरकार ने यह लागू किया है, उसमें हम लोग सहमत हैं । इसलिए न्यास को विलोपित कर रहे हैं, यह मैं बोल रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा राज्यों में शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियों में स्टाम्प शुल्क में एकरूपता लाने के उद्देश्य से तथा ऐसे संव्यवहारों पर एक एजेंसी स्टॉक एक्सचेंज अथवा समाशोधन निगम के माध्यम से शुल्क का संगहण करने के उद्देश्य से कानूनी और संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया है । इस हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 के पश्चात् 9 (ए) और 9 (बी) को जोड़ा जाकर अनुसूची-1 की अनुसूची में इस प्रकार के प्रतिभूति संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित की गई हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान था कि दो साल पूरा होने पर मैं अपने मंत्रियों के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जयसिंह जी, आप बिल्कुल विचलित मत होईए, आप पढ़िए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं विचलित नहीं हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इतनी टेक्नीकल चीज बिना पढ़े नहीं बोल सकते । ये बोल रहे हैं, वे मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति जी, मैं जबरदस्ती समय खराब नहीं करना चाहता । आप जितना बोलेंगे, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं और जो पूछेंगे, उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, ऐसा कुछ नहीं है ।

सभापति महोदय, स्टाम्प शुल्क के संग्रहण एवं प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से संबंधित राज्यों को उनके हिस्से का शुल्क अंतरित करने का प्रावधान किया गया है । इसके अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पृथक से भारतीय स्टाम्प, स्टाम्प एक्सचेंज समाशोधन निगमों और निक्षेपागरों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क संग्रहण नियम, 2019 बनाए गए हैं । ये नियम 9 जनवरी, 2020 से देश के समस्त राज्यों में प्रभावशील है । केन्द्र सरकार द्वारा उक्त संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली एवं उससे राज्यों को अंतरण का कार्य जुलाई, 2020 से आरंभ कर दिया गया है । इस हेतु प्राधिकृत समाशोधन निगमों, निक्षेपागरों को उक्त नियम में प्रावधानित अनुसार 0.2 प्रतिशत सुविधा शुल्क फैसिलिटेशन चार्ज प्राप्त होते हैं, जिसे घटाकर शेष राशि को संबंधित राज्यों को अंतरित किया जाता है । भारतीय स्टाम्प स्टॉक एक्सचेंज समाशोधन निगमों, निक्षेपागरों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क संग्रहण नियम 2020 में ऐसे संव्यवहारों से संबंधित क्रेता के स्थायी पता के आधार पर संबंधित राज्यों को स्टाम्प शुल्क के अंतरण की व्यवस्था है । वर्तमान में जुलाई, 2020 से सभी राज्यों को एक समान दर से उनके हिस्से का शुल्क अंतरित किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त शुल्क के अंतरण के लिए पंजीयन विभाग द्वारा पृथक से बैंक खाता खोला गया है, जिसमें 14 अगस्त, 2020 से 7 दिसम्बर, 2020 तक लगभग 64 लाख रूपये स्टाम्प शुल्क प्राधिकृत समाशोधन निगमों निक्षेपागारों....धन्यवाद।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, पहले जब आप हम शेयर खरीदते थे तो share debenture का physical transfer होता था। अब वह जो physical transfer की पद्धति है, पूरे भारत में समाप्त कर दी गयी है। अब demat account खोलना पड़ता है और demat account में हम अपना share debenture और बाकी सारी चीजों को खरीदते हैं और लेन देन करते हैं। ये इसी से संबंधित है। जब हम शेयर share debenture physical फॉम में खरीदते थे तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता था।

अब ये निर्धारण कैसे होगा, तब निर्धारित हो जाता था कि उसकी कीमत जिस रेट पर खरीदा, उसका प्रतिशत और उसकी स्टैम्प ड्यूटी। अब जो पद्धति आयी है, उस पद्धति में demat के हिसाब से कैसे हम निर्धारित करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी को आखिर लिया क्या जाये और राज्य सरकार का हिंसा स्टैम्प ड्यूटी का कैसे मिलेगा, ये कुल इस पर है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में थोड़ी सी बात कही है कि 9 जनवरी, 2020 से यह लागू हुआ है और जुलाई से अभी तक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुरानी पद्धति 9 जनवरी, 2020 के पहले पुरानी पद्धित लागू थी तो पुरानी पद्धति में हमको कितना पैसा मिल रहा था, एक। माननीय मंत्री जी ने अपनी बात में कही, चूंकि फायनेंशियल एक्ट था तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा हमको मिला और मैं उनसे चाहूंगा वे क्लीयेरिटी दे, कोई हिसाब हो कि हमारे पास पैसा कैसे आयेगा ? उन्होंने कहा है कि पृथक बैंक एकाउंट खुलेगा। पृथक बैंक एकाउंट में क्या छत्तीसगढ़ में 6 महीने में सिर्फ 64 लाख रूपये का ही टैक्स आयेगा। इतना ही शेयर का लेन-देन हुआ है। हम उस शेयर के लेनदेन को कैसे निर्धारित करेंगे ? किस स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का लेन देन हो रहा है, बंबई स्टाक एक्सचेंज में लेन देन हो रहा है, हमारे यहां तो कोई स्टाक एक्सचेंज नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई स्टाक एक्सचेंज नहीं है तो किस स्टाक एक्सचेंज में लेनदेन हो रहा है। इसकी जो पद्धति है, इसकी पद्धति में जो डिपाजेटरी है। चार पांच सेबी ने सिक्योरिटी एन एक्सचेंज वर्ड आफ इंडिया ने ये तय किया है कि चार पांच डिपाजेटरी है। जो डिपाजेटरी कंपनी है, जिनके पास हमारे शेयर सेबी के हिसाब से डिपाजेटरी होते हैं, वह डिपाजेटरी कंपनी जब ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर में पैसा लेकर हमको देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में निवेदन करना चाहूंगा कि डिपाजेटरी कंपनी के उपर हमारा क्या प्रबंधन होगा कि हमको पता चलेगा कि पैसा हमको मिलेगा, नंबर एक ? नंबर दो, छत्तीसगढ़ का आदमी शेयर की खरोद फरोख्त कर रहा है तभी तो हमको हिस्से का पैसा मिलेगा तो वह पैसा हम छत्तीसगढ़ के आदमी को कैसे मिलेगा ? छत्तीसगढ़ के आदमी को कैसे पता चलेगा कि वह पैसा है, एक। पैसा कब-कब मिलेगा, दर तो उन्होंने बता दिया कि किस दर से मिलेगा ? पर पैसा कब-कब मिलेगा ? मेरा माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये सब चीज की क्लीयेरिटी कृपापूर्वक बतायेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय डॉ. रश्मि आशिष सिंह।

डॉ. (श्रीमती रश्मि आशिष सिंह) महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बद्ध :- माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय स्टाम्प छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2020...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय चौबे जी, मेरा रश्मि जी से कोई विरोध नहीं है ना। लेकिन इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये रश्मि जी खड़ी हुई है, माननीय विधायक महोदय, संसदीय सचिव हैं। मेरे आलिम फालिज महोदय, मेरे मुर्शीद, क्या-क्या नहीं बोलता हूं। उसमें क्या होगा ? इसीलिए मैंने बोला कि एक बार व्यवस्था दे दीजिए।

माननीय मुर्शीद, उस दिन आपने कहा था कि हम आखिरी दिन तक कुछ न कुछ दे देंगे। आज आखिरी दिन है, तब भी आपकी व्यवस्था नहीं आई। हम लोग तो आपके उपर बहुत भरोसा करते हैं।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- अजय भैया, आप क्लीयर कर दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- कुछ तो बता दीजिए, उसको क्या है ?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, इस मामले में कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय :- सदस्य स्वयं बैठ गयी है।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं बैठ गयी है नहीं। सर, ये टालने वाली बात हो गयी। आरोप मत कीजिएगा। विनम्रता से कहूंगा कि मैं बार-बार इस बात को बोलता हूं। आखिर उनकी भूमिका क्या है, बोलने के लिये खड़ी हो गयी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों से सारे संसदीय सचिव मिलने आये थे। उन्होंने अपनी पीड़ा का व्यक्त किया कि आज सदन का आखिरी दिन है और हमारे बारे में क्लेरीफिकेशन नहीं आया है, कोई स्पष्ट नीति नहीं आया है। तो सरकार की तरफ से उत्तर आ जाये। सारे लोग नेता प्रतिपक्ष जी से मिलने आये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने कहा कि हमें हमारे लिए कोई व्यवस्था ही मालूम नहीं है। सरकार एक बार बता दें।

संसदीय सचिव (डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह) :- कोई संसदीय सचिव नहीं गये थे। यह गलत बात है।

सभापति महोदय :- इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था आना है। अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था देंगे।

विधि एवं विधायी मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- सभापति महोदय, पूरा क्लेरीफिकेशन दिया जा चुका है। मैंने उस दिन पूरे विस्तार से पढ़कर सुना दिया। आप विधानसभा से कभी भी कापी ले सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसका परिणाम क्या निकला ?

सभापति महोदय :- अध्यक्ष महोदय जी की उस सम्बन्ध में व्यवस्था शीघ्र आयेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पढ़ने के बाद परिणाम क्या आया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- चलिये ठीक है, आप बैठ जाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर भैय्या, क्या है कि आप जब व्यवस्था बता रहे थे, उसको आपने समझा और संसदीय कार्यमंत्री जी ने समझा। परन्तु काई संसदीय सचिव नहीं समझे। पहले संसदीय सचिवों को समझा दीजिये।

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी, सारे संसदीय सचिव नेता प्रतिपक्ष जी से मिलने आये थे। उन्होंने कहा कि बड़ी दुविधा की स्थिति है। उन लोग अकेले-अकेले नेता प्रतिपक्ष जी से मिले।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, जिस समय अकबर भाई पढ़ रहे थे, वे उस समय मौजूद नहीं थीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, अकबर भाई अनुमति लेकर अंग्रेजी में पढ़े। उधर अंग्रेजी का आशय यह समझा गया कि उनको पावर है। (हंसी) लेकिन जब आप हिन्दी में बोल दिए तो समझ गये कि पावर नहीं है। भाई, बात खत्म करिये।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे ?

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- यह आक्षेप है कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मेरी अंग्रेजी कमजोर नहीं है, मैं समझ गई हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं जनरल बात बोल रहा हूं। आपके लिए नहीं बोला हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, क्या है कि आप आसंदी से संसदीय सचिवों के बारे में दो बार व्यवस्था आ चुकी है। सरकार ने दोनों बार एप्लाई नहीं किया। जब मैंने पहले दिन व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो मेरे माननीय मुर्शीद ने कहा कि अभी सत्र चल रहा है, हम आखिरी दिन तक कुछ न कुछ बतायेंगे। अब वह आखिरी दिन भी निकल गया, समझ लो। अब एकाध घंटे बाकी है।

श्री मोहम्मद अकबर :- पूरा विस्तारपूर्वक पढ़कर सुनाया गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अजय चन्द्राकर जी, क्या बोले हैं मुर्शीद। इसका हिन्दी अर्थ समझाओ भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बता देता हूं। मुर्शीद यानि मार्गदर्शक, गुरू। काबिल फाजिल मतलब विद्वान, सबसे विद्वान।

सभापति महोदय :- तो आपको भी गुरू की जरूरत पड़ेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे वह दोनों हैं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी कुछ बोलना चाहती हैं, इनकी बात सुन लें।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में अभी लगभग एक घंटे पहले की यह घटना है कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में ग्राम कोड़ाभाठ है जहां के एक निवासी संजय खरे हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और उनकी आत्महत्या का कारण यह है कि उनके साथ जो उपनिरीक्षक तामरकर हैं जो कि हमारे पामगढ़ के थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा और भुईगांव के एक राजकुमार के द्वारा उनकी जमीन को हड़प लिया गया है और जिसके विरोध में जब संजय खरे जी ने उनसे बातचीत की तो उनके साथ हाथापाई की गई और उनके बेटे को भी मारा गया, उनके सिर पर चोट आई। जब वे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पामगढ़ थाना गये तो वहां के जो उपनिरीक्षक श्री तामरकर हैं उन्होंने उसके साथ अभद्रता से बात की और उनकी रिपोर्ट को लिखा लेकिन उसको रफा-दफा करने के लिए दो लाख रूपये की मांग की जिसके कारण संजय खरे ने सभी की प्रताड़ना को सहन नहीं कर सका और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि ये जो उपनिरीक्षक हैं उनके बारे में मुझे कई बार शिकायत पत्र मिला है जिनके बारे में मैंने जिला प्रशासन को अपना पत्र लिखा है लेकिन आज तक मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं आया है और आज उनकी प्रताड़ना के कारण एक मासूम की जान चली गई। यह मेरे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि उनको निलंबित किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत पीड़ा के साथ इस बात को रखा है। पूरे प्रदेश में भूमाफिया सक्रिय हो गये हैं और जिस प्रकार से कहा जाता है न कि जैसे आदमखोर शेर होता है जिनके मुंह में खून लग जाता है वैसे ही छत्तीसगढ़ के भूमाफिया हो गये हैं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या हो जाती है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? पुलिस उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में भूमाफिया इतने सक्रिय हो गये हैं कि अधिकारी को भी चंगुल में फंसाकर वे लोग जो चाहे वह निर्णय करा रहे हैं। मैं तो हमारे राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जब मैंने पत्र लिखा तो उन्होंने उसको सस्पेंड किया। एन.एच.आई से हाईवे से लगी हुई करोड़ों-अरबों रूपये की जमीन है और उसी जमीन के मामले में न केवल उस गांव के बल्कि पुलिस उसके संरक्षण में है। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि जमीन माफियाओं को संरक्षण देना हो गया है और ऐसे सब मामलों में गृहमंत्री जी का एक लाईन का वक्तव्य नहीं आता है। आज बड़ी पीड़ा के साथ हमारी सदस्या इस बात को उठा रही हैं, तत्काल आपको उस पुलिस को यहीं पर सस्पेंड करना चाहिए और उसके बाद जांच होनी चाहिए।

समय :
4:48 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका सुसाईड नोट मिला है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या का वक्तव्य आ चुका है। आपने सदन में जानकारी दी है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- एक लाईन बोलने दीजिए ना, क्योंकि फिर सत्र आगे नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इधर से बोल रहे हैं तो सदस्य महोदया के समर्थन में ही बोल रहे हैं और ये गंभीर मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा अवसर दे दीजिए। क्या दिक्कत है। आप जितने बजे तक चलायेंगे, हम बैठेंगे। यदि बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सदन की सम्माननीय सदस्या हैं। मैं उस समय एक बात करते हुए उल्लेख किया कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे सम्माननीय सदस्य की गरिमा का सवाल है और बेमेतरा का उल्लेख किया। सुबह माननीय सदस्य महोदया ने एक विषय उठाया तो प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ने कहा कि मैं आपकी उपस्थिति में जांच कराउंगा। इससे सदन की गरिमा बढ़ती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता पर उनके बार-बार कहने के बाद और अब ये

प्रमाणित हो गया कि छत्तीसगढ़ का आदमी मरेगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कहा वह कितनी पीड़ाजनक स्थिति है आर उसमें सरकार की ओर से आप कुछ कहेंगे या कार्रवाई करेंगे या क्या करेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय गृहमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, माननीय सदस्या ने अपनी पीड़ा सबके सामने व्यक्त की है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि माननीय गृहमंत्री जी सारी घटना की जानकारी लेकर पूरे सदन को अवगत करा दें।

श्री नारायण चंदेल :- जानकारी लेकर आज ही अवगत करा दें। हमारे जिले का मामला है आज ही निर्देशित कर दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर माननीय सदस्या जो जानकारी दे रही हैं उसमें निलंबित करने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का जुर्म दर्ज करके उस थानेदार को गिरफ्तार करवाना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- हमारे जिले का मामला है और एक अनुसूचित जाति महिला विधायक सुबह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ जाए, तत्काल कार्रवाई हो, यह विधायिका का सम्मान होगा।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की बात सुन रहा था इसलिए अपने चेंबर से दौड़कर खुद आया हूं। मैं निकलवा लेता हूं, तत्काल जानकारी मंगवा लेता हूं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है निश्चित तौर पर की जायेगी।

समय :
4:50 बजे

<u>शासकीय संकल्प</u>

<u>"भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला-बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाये।"</u>

संसदीय कार्यमंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि-यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि " भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला-बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाये। "

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आसंदी का सम्मान करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से बस्तर अंचल के जनमानस की भावनाओं के अनुरूप आज इस संकल्प को आपने चर्चा करने का अवसर दिया। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी विशेष धन्यवाद् के शब्द कहूंगा क्योंकि

यह सदन में पिछले दिनों चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ था और आदरणीय नेताप्रतिपक्ष महोदय ने, उनके दल के सभी विद्वान सदस्यों ने इस बात को कहा कि बस्तर की जो भी परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में इसका डिसइंवेस्टमेंट, विनिवेश किया जा रहा है आखिर उसके लाभ और हानि क्या हो सकते हैं ? उसके दस्तावेज किस प्रकार से बने हुए हैं केन्द्रीय मंत्रालय के द्वारा किन-किन शर्तों के साथ उसको डिसइंवेस्टमेंट में चढ़ाया गया है। अभी तो नगरनार का प्लांट बना भी नहीं है। स्थापनाधीन 20 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला यह बस्तर के विकास की सबसे महत्वाकांक्षी योजना को आखिर केन्द्र सरकार बेचना क्यों चाहती है ? आपने अनुरोध किया कि हम भी इस चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं और आवश्यकता हुई तो छत्तीसगढ़ की भावनाओं के अनुरूप केन्द्र सरकार से हमें भी अपील करना है इसलिए 3 दिवसीय बाद, इस चर्चा को आज सदन के सामने लाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर में हम लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान का जो आयरन ओर है, उसका अधिकांश हिस्सा लगभग 22 प्रतिशत ऐसा माना जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में उसका उत्खनन होता है। उसमें भी अगर मैक्जिमम् दल्ली राजहरा के आयरन ब्लॉक समाप्त होने के कगार पर है तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि बस्तर के बैलाडीला के किनारे का संपूर्ण भू-भाग आयरन ओर से भरा हुआ है और इसीलिए जनमानस की मांग थी कि यह ओर यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है देश के कोने-कोने के स्टील प्लांट में लगाया जाता है और नगरनार में भी इसका स्टील प्लांट लगना चाहिए। सौभाग्य से ये बस्तर की ही मांग नहीं थी, ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ की मांग थी। क्योंकि बस्तर से आयरन ओर का उत्खनन होता है और दूरदराज उसको ट्रांसपोर्ट करके जब स्टील प्लांट में लगाया जाता है तो उसकी कीमत भी जरा ज्यादा होती है। हम लोगों ने देखा था कि अगर यह बस्तर में 20 हजार करोड़ का प्लांट लगेगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बस्तर की इकानॉमी उससे बदल जाएगी और नक्सल की समस्या से जो सबसे प्रभावित इलाका कहते हैं, उससे वहां के नवजवानों को निजात मिलेगी और इसके माध्यम से वहां के नवजवानों को काम मिलेगा। एक स्टील प्लांट का आशय केवल एक उद्योग नहीं होता, अगर एक उद्योग 20 हजार करोड़ का लग रहा था तो उससे जुड़े हुए कितने उद्योगों को लाभ होता, कितने क्षेत्र को लाभ होता। कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता और कितने लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता। इन बातों को लेकर, केन्द्र सरकार की जो डिसइंवेस्टमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें इस संयंत्र को शामिल किया गया। ये हमारे सोचने के लिए मजबूर है इसलिए आज हम लोगों ने इस संकल्प को शासकीय संकल्प के रूप में मैं प्रस्तुत किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि संपूर्ण सदन इसमें विचार करेगा और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि हमने इस प्रदेश में बालको का डिसइंवेस्टमेंट देखा था, उसकी कीमत के बारे में भी चर्चा हुई थी। पॉवर प्लांट की कीमत से भी कम कीमत में बालको डिसइंवेस्टमेंट की भेंट चढ़ गया। आज छत्तीसगढ़ को उससे क्या मिला ? कुछ भी नहीं मिल पाया। नगरनार में बस्तर के जनजीवन को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि केन्द्र सरकार

हमारे इस संकल्प को जाने के बाद विचार करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का ये सोचना है, जिस समय स्टील प्लाण्ट की स्थापना की चर्चा हुई, उन शर्तों के साथ कि सार्वजनिक उपक्रम के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है, सरकार ने उदारता से जमीन अधिग्रहण किया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे भू-भाग में जमीन अधिग्रहण करना आज के समय उद्योग लगाने के लिए कितना कठिन काम होता है। लाल सलाम से प्रभावित इलाका, बस्तर के जनजीवन में इतनी उदारता से बस्तर के लोगों ने इस अधिग्रहण को इसलिए मंजूरी दी थी कि हम पब्लिक सेक्टर का कारखाना स्थापित कर रहे हैं, नगरनार का जो एन.एम.डी.सी. का प्लाण्ट स्थापित हो। उसमें शर्तें भी यही थी कि पब्लिक सेक्टर के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लाण्ट के लिए किया था। अगर कोई निजीकरण के लिए बस्तर में जाता, आज भी हमने एम.ओ.यू. किया है, हमारे बस्तर में आयरन ओर निकलता है। बहुत सारे उद्यमी चाहते हैं कि वह बस्तर में स्टील का प्लाण्ट लगायें, लेकिन हमें जमीन तलाशनी पड़ती है। लेकिन बस्तर के लोगों ने भूमि अधिग्रहण के मामले में इसलिए सरकार की मदद की थी क्योंकि उनको मालूम था कि ये पब्लिक सेक्टर का एक बड़ा कारखाना बनने वाला है जहां उनको रोजगार मिलने वाला है। आरदणीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये निजीकरण क्षेत्र में जायेगा, हमारी जो पूरी उद्योग के लिए लगभग 610 हेक्टेयर ली गई जमीन है, उसमें अभी केवल 211 हेक्टेयर जमीन प्लाण्ट लगाने के लिए एन.एम.डी.सी. के नाम एलाट की गई है, शेष जमीन अभी भी राज्य सरकार के पास है। आखिर उस प्लाण्ट को किस तरीके से चलाया जायेगा, कैसे विचार-विमर्श किया जायेगा, राज्य सरकार से अनुमति या सहमति की बात होगी, यह कोई बात नहीं हुई। बालको के disinvestment में ये था कि उसके साथ उसका माईनिंग पोर्सन, पॉवर प्लाण्ट भी जुड़ा हुआ था, उसके साथ जुड़ी हुई बाक्साइट की माईनिंग भी सपोर्ट में उनको दी गई थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि इस प्लाण्ट की अभी पूरी स्थापना ही नहीं हुई है। अभी तो ये निर्माणाधीन है। वहां जो एन.एम.डी.सी. के माईन्स हैं, उससे जुड़ करके इसको केवल केप्टिव यूज के लिए आयरन ओर दिया जायेगा या किस तरीके से दिया जायेगा, ये सारी शर्तें अभी किसी को मालूम नहीं है। अगर ये विनिवेश होगा तो प्लाण्ट लग पायेगा, चल पायेगा, उसको आयरन ओर सही समय पर मिल पायेगा या निजी क्षेत्र में अगर ये उद्योग जायेगा तो हमारी खदानों से एन.एम.डी.सी. के द्वारा इसको आयरन ओर दे पायेंगे या प्रायवेट सेक्टर के जैसे उद्योग लगते हैं, उनको बाहर से आयरन ओर लाना पड़ेगा। ये सारी बातें इसमें समाहित होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि ये पब्लिक सेक्टर का कारखाना लगने वाला था इसलिए जितनी भी clearnances थी, चाहे environment clearnances हो, जल सप्लाई की clearnances हो, forest की clearnances हो, land की clearnances हो, सब कुछ इसलिए उसको इतनी आसानी से मिल गया कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना लगने वाला था। अब केन्द्र सरकार ये सब कुछ होने के बाद इसको अगर

निजीकरण की दिशा में बढ़ायेगी तो ये हमारे सारे clearnances हैं, हमने जो परमिट किया हुआ है, सरकारों ने जो अनुमति दी हुई है, वह किस तरीके से होगा। हमने तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनुमति दी थी। अब अगर ये कारखाना निजीकरण में जायेगा तो किस तरीके से वो clearnances की मान्यता होगी या नहीं होगी, ये सारे प्रश्नचिन्ह होंगे। बस्तर का मसला है, पेशा कानून लागू है। ये सारी बातें इस प्रकार के प्रयोजन के लिए वहां लोकल बॉडीज से अनुमति लेने का प्रावधान है। आपने disinvestment में इतना बड़ा 20 हजार करोड़ का प्लाण्ट चढ़ा दिया। स्थानीय जो हमारी संस्थायें हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत, ग्राम सभा हो, पेशा कानून के तहत जिनको अधिकार है, आपने तो उनसे सहमति नहीं ली। बस्तर का जनजीवन अभी केवल समाचार पत्रों में आने के कारण इसके विरोध में खड़ा हुआ है, जिस दिन disinvestment की पूरी बातें होंगी, अगर पेशा कानून के तहत स्थानीय आदिवासी, वनवासी इसका विरोध करेंगे तो किस तरीके से ये निजीकरण हो पायेगा। अगर केन्द्र सरकार अनुमति देगी तो इस कानून का भी अगर उल्लंघन होगा तो मैं ये समझता हूं कि ये संभव नहीं हो पायेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, बस्तर की सबसे बड़ी समस्या, चरमपंथियों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं । प्रतिदिन वहां जमीनें रक्तरंजित हो जाती हैं । इनकी हुकूमत के समय कभी-कभी हम लोग अपनी बातों में कहते थे कि वहां समानांतर सरकार चल रही है, केवल नेशनल हाईवे तक आपकी सरकार है । आज भी परिस्थिति है, अभी केवल सुकमा, बीजापुर के कोने में सिमट गये हैं और इस प्रकार की यदि गतिविधियां संचालित हुईं, वहां के नौजवानों को भरोसा है कि उनको रोजगार मिलेगा, वहां के नौजवानों को भरोसा है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उनके सारे कानून वहां के बस्तरवासियों के लिये है। चाहे उनकी भर्ती का मामला हो, चाहे कनिष्ठ चयन बोर्ड हो, चाहे बस्तर कैडर हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, हमने बस्तर के आदिवासियों की भर्ती के लिये सब प्रकार के कानून बनाये हैं । इसमें भी लोगों को भरोसा था कि 20,000 करोड़ का जो प्रत्यक्ष प्लांट लग रहा है, उसके सिवाय वहां और किस प्रकार से अप्रत्यक्ष छोटे-छोटे उद्योग लगेंगे ? ट्रांसपोर्टिंग का काम होगा, अन्य सारे विकास के काम होंगे तो उसमें लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा लेकिन आज अगर यह विनिवेश किया गया, अगर हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना बाजार में नीलाम कर दिया गया तो क्या स्थिति बनेगी ? उन्हीं चरमपंथियों से हमको लड़ना पड़ेगा, हमारे नौजवानों को उस रास्ते में जाने से रोकने के लिये सबसे बड़ा माध्यम तो केवल और केवल बस्तर में रोजगार है और उस रोजगार को भी छीनने का प्रयास अगर केंद्र सरकार करेगी तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से विनिवेश किया जा रहा है उसको रोकना होगा इसलिए संकल्प लाया गया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि बस्तर प्राकृतिक और नैसर्गिक रूप से छत्तीसगढ़ का सबसे समृद्ध ईलाका है । आयरनओर के साथ-साथ वहां वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा सब प्रकार की संपदाएं हैं । हम वहां की श्रम संपदा को सीधे रोजगार से जोड़ना

चाहते हैं और वहां के जो नैचुरल रिसोर्सेस हैं उसमें अगर इस प्रकार के निजीकरण के लोग आ जायेंगे, क्या बुराई थी, इतना बड़ा एन.एम.डी.सी. जो फायदे में छत्तीसगढ़ से आयरनओर उत्खनन करके सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आयरनओर बेचता है, एक उद्योग लगा लेगा और यहां के लोगों को रोजगार मिल जायेगा, यहां के लोगों को फायदा मिल जाता तो हमारी नैसर्गिक संपदा को भी लुटाने का काम, निजी हाथों में देने का जो काम किया जा रहा है इसको रोकना बस्तर के लिये बहुत आवश्यक है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके केवल समाचार-पत्रों में आने के बाद केंद्र सरकार की सारी वेबसाईट में यह जारी हो गया, उनकी जो सारी साईट होती हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं तो बस्तर का जनजीवन बेहद आंदोलित है और आदिवासी समाज जिनको लग रहा था कि इतना बड़ा प्लांट लगेगा, उनको अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा था, बस्तर की समृद्धि से वे इस पलांट को जोड़कर देख रहे थे, अगर उनके सब सपने टूट जायेंगे तो बस्तर के आदिवासी जब आंदोलित होंगे तो सरकार के लिये भी और केंद्र सरकार के लिये बहुत कठिन परिस्थितियों का निर्माण होगा इसलिए मैं समूचे सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस डिसइन्वेस्टमेंट को जो निजीकरण के हाथों में देने का प्रयास हो रहा है, नगरनार के स्टील प्लांट को, जो एन.एम.डी.सी. के द्वारा स्थापना किया जा रहा है, निर्माणाधीन है उसको रोकने के लिये शासन की ओर से यह शासकीय संकल्प आया है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार करें । इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है । आपने उस दिन मांग की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें आपका भी सहयोग चाहिए, हमें छत्तीसगढ़ के विकास की बात सोचना है, हमको बस्तर को चरमपंथियों से मुक्त कराना है, हमको बस्तर के लोगों को रोजगार देना है, वहां के नौजवानों को मुख्यधारा में जोड़ना है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा कि माननीय नेताप्रतिपक्ष जी का आग्रह है इसलिए जिस दिन वे चर्चा कराना चाहें इसलिए आज यह चर्चा तो इसलिए मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जैसी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भावना है और समूचे सदन की भावना है, उन्हीं भावनाओं के साथ कुछ सुझाव होंगे तो आप जरूर दीजियेगा लेकिन मैं चाहूंगा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ । श्री अजय चंद्राकर ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता की प्रशंसा की थी और इसलिए की थी कि नियम प्रक्रियाओं से सहमत होते हुए उन्होंने हमें जानकारी उपलबध करवा दी । आपने जो जानकारी दी है, उसमें सारी चिट्ठियों को मैंने पढ़ा और माननीय भूपेश बघेल जी अब तत्कालीन समय में इधर बैठते थे तो उनका एक संकल्प था जिस पर चर्चा नहीं हो पाई । माननीय चौबे जी, आपने जो पूरी बात कही उसमें एक बात सत्य है कि वेबसाइट में डिस्इन्वेस्टमेंट की सूची में वह दिखता है । उसके बाद की सारी परिकल्पना है । यदि सरकार का एक मंत्री कहता है कि कानून व्यवस्था या यह बात पूरी नहीं होती है तो केन्द्र और राज्य के लिए भी गड़बड़

हो सकता है । यह भाषा आपके मुंह से निकल रही है, इसका संदेश क्या है ? इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय चन्द्राकर जी, सम्पूर्ण संकल्प की भाषा ही है कि हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है । लेकिन आपने स्वीकार किया कि वेबसाइट में दिख रहा है कि यह डिस्इन्वेस्टमेंट में चढ़ा हुआ है । इसका मतलब है उसको रोकना है । इसलिए संकल्प आया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कहां मना किया ? आगे तो सुनिये । अब दूसरी बात, मैं दोहरे मापदंड की बात नहीं करता । मैं तो क्लीयर बोलता हूं, उसमें राजनीतिक क्षति होगी, लाभ होगा या हानि होगी यह मेरा विषय नहीं है । आपने जो जानकारी दी है उसमें पेपर में नेहरू जी के नाम का उल्लेख कर दिया कि नेहरू जी ने समाजवादी दर्शन का अध्ययन किया । मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के स्मारक खड़े किये गये । ठीक है साहब । अभी आपने भाषण देते वक्त कहा कि बस्तर में लैंड एक्वीजीशन, बस्तर के विकास के लिए उद्योग ही एकमात्र रास्ता है । जब सरकार बनी तो उत्साह से भरे आपके लबरेज स्वर और पोस्टर को थोड़ा पढ़ लीजिएगा । हमने टाटा की जमीन को लौटायी । एक तरफ आप बस्तर के औद्योगीकरण की बात कर रहे हैं । यह बताइए जो जमीन अधिगृहीत की गई थी क्या वह जमीन टाटा के खाते में चढ़ गई थी क्या, कि टाटा को इतनी जमीन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इतनी जमीन दी गई ।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या हमने जमीन नहीं लौटाई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या हमने जमीन नहीं लौटाई । जमीन टाटा के लिए ही अधिगृहीत की गई थी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ये टाटा के लिए ही, यह अलग बात है । इसीलिए आपको घुमावदार मंत्री कहते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमने टाटा के लिए । और हमने जमीन लौटाई । यही सच्चाई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए आपको घुमावदार मंत्री बोलते हैं । सर, आप विद्वान हैं, चलिए मैं घुमावदार शब्द वापस लेता हूं । एक मापदंड यह होता है कि वहां जमीन अधिग्रहण और पेसा कानून और तमाम एन.ओ.सी. के लिए बड़ी तकलीफ है और आपने बड़े त्याग बलिदान के साथ नगरनार के लिए जमीन दी, यह आपने कहा । एक तो आप कहते हैं कि टाटा के लिए ली और मैं कह रहा हूं कि आपके विज्ञापनों में छपा कि टाटा के लिए ली गई जमीन वापस दी गई । अब दोनों में अंतर समझ लीजिए । (डॉ. शिवकुमार डहरिया, मंत्री के सदन से बाहर जाने पर) वे खड़े हुए तो मुझे फिर डर लगा ।

श्री अमरजीत भगत :- आप सीधा-सीधा बोलिए डरिये मत ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने इतने ध्यान से उनकी बात सुनी है । क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी भूमिका के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप टाटा से नगरनार के रास्ते में कब आएंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, राजनीतिक भाषण केवल आप ही दे सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- राजनीतिक बात नहीं । तथ्यों को तोड़-मरोड़ मत करिये ना। मेरी बात तो समझिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नगरनार की तरफ आ रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां आइए, हमने जमीन लौटाई या नहीं लौटाई । उसके लिए लिया गया था या नहीं । पैसा भी टाटा ने ही दिया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाल्को का उदाहरण आप दे सकते हैं, औद्योगीकरण की बात आप कह सकते हैं और मुझे सिर्फ नगरनार में बोलना है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- टाटा ने उद्योग नहीं लगाया इसलिए जमीन लौटाई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, एक लैंड बैंक था, जिसको औद्योगीकरण के लिए एकत्र किया गया था और वह किसानों के ही कब्जे में थी, उसका खसरा सुधार दिया गया । वह जमीन सीएसईडीसी से किसानों को चली गई होगी अगर इन्होंने दे दिया होगा । यह पूछना पड़ेगा कि वह किसानों की मिल्कियत में चढ़ी है या नहीं, अभी वह क्लीयर नहीं है । जयसिंह जी बात को सुन रहे हैं या उद्योग मंत्री जी सुन रहे हैं । अभी आपकी भूमिका बदल गयी है। आपका वेट बढ़ गया है। अकबर जी की जगह अभी आप आ गये हैं। आपका इस केबिनेट में कद बढ़ा है, यह मानना पड़ेगा। आप और विभाग के लिए जवाब दे रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- विषय में आइये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब निजीकरण साइट में दिख रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मूल विषय में आखिरी में बोलूंगा न। अब आप देखिएगा कि जो इस्पात है, उसे डि-लाइसेंसिंग डि कंट्रोल किसने कब किया? आप उनसे पूछ लेते हैं कि सारे सार्वजनिक उपक्रम आपने बनाये। नरसिम्हा राव सरकार जी की पृष्ठभूमि सुन लीजिए। वे आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे। आप उनसे असहमत होंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए आपको बता देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि उनकी मृत्यु के 16 साल बाद पहली बार उन्हें अभी पार्टी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। समाचार-पत्रों के हेडलाइन में था। उन्हें दिल्ली में जगह नहीं मिली थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में कांग्रेस समर्थित चन्द्रशेखर जी की सरकार के समय वित्तीय स्थिति यह थी कि 50 क्विंटल सोना गिरवी रखना पड़ा और जब नरसिम्हा राव आये, तब हिन्दुस्तान की पहली अल्पमत की सरकार थी। आज यदि हिन्दुस्तान में 5 trillion की व्यवस्था है तो उसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। जिस पेसा कानून की वे बात कर रहे हैं, उसका श्रेय नरसिम्हा

राव को जाता है और सौभाग्य से आपके बजट में मैं देख रहा था कि सिर्फ तेलंगाना ने अपने बजट में उसकी जन्मशती वर्ष मनाने के लिए पैसा रखा है। आप रखते। कांग्रेस ने अब उन्हें मान्यता दे दी है। 16 साल बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो यदि आप नरसिम्हा राव जी के आदर्श में चलते तो आप दूसरी बात करते। छत्तीसगढ़ के हितों की बात है। जिस दिन disinvestment को कांग्रेस ने पैदा किया और आज भारत उसके कारण जो हम बोलते हैं न छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख 4 हजार करोड़ हो गया, 8 हजार करोड़ हो गया या भारत 5 trillion का सपना देखता है, उसके कारण उदार नीतियां हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जितने स्मारक थे, जिसका नाम आपने इसमें लिखा है, वे सारे स्मारक खण्डहर में बदल गये थे। मैं 10 disinvestment को गिना सकता हूं, जिसे किसी और ने अटल जी के पहले बेचा है। आपने बालको बस का उदाहरण दिया। क्यों हजारों साल से वह उर्वरा का एक कारखाना बंद है और इसका कारखाना, मैं गिना दूंगा। मिश्रित अर्थव्यव्था नाम की कोई प्रणाली चलती नहीं थी, वह यहीं चलती थी और आप उसे चलाते थे और आपने ही disinvestment लाया। अब दूसरी बात..।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। हजारों साल पहले तो उद्योग लगे ही नहीं थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं इन्हीं से अनुमति लूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- हजारों साल पहले की बात आपने कही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब जो बुनियाद आपने डाली, आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक देश इस्पात का बन गया। दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि औद्योगीकरण के लिए बस्तर में जमीन नहीं मिल रही है। आपने अभी 29 हजार करोड़ के एम.ओ.यू. किये हैं। आपने सिर्फ एक उद्योग किसी मेसर्स रामापवार स्टील प्लांट को जमीन दी है। यह मेरे प्रश्न के उत्तर में इधर 6 हेक्टेयर है। आप समझ रहे हैं न। अब ये बताइए, मैं disinvestment में बोलूंगा ही। आप निजी क्षेत्र को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? अभी विकास का पैमाना पूरी दुनिया में यह है कि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश कितना आया? चीन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवेश कितना आया? छत्तीसगढ़ में प्रत्येक और अप्रत्यक्ष निवेश कितना आया ? निजी क्षेत्र के खिलाडियों को आमंत्रित करने के लिए दुनिया की हर सरकार यदि टाटा नैनो का बंगाल से भगाया जाता है तो नरेन्द्र मोदी जी गुजरात में फोकट में जमीन दे देते हैं कि आप यह लगा लो। सरकारों में मुकाबला है। हिमाचल में किसी कारण से फार्मा उद्योग हटा तो उत्तराखंड ने पूरा फार्मा उद्योग के लिए जीरो कर कर दिया कि हमारे यहां कम से कम आइए तो। दुनिया में अर्थव्यवस्था में चीन जैसा देश, क्यूबा जैसा देश या उत्तर कोरिया जैसा देश आज के पेपर में है कि दुनिया में 110 अरबपति सबसे ज्यादा रहते हैं तो बीजिंग शहर में रहते हैं। यह कैसा समाजवाद है? यह कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है? उसके खण्डहर स्मारक इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इसलिए आप छत्तीसगढ़ के हितों की कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? बालको के investment के समय आप मंत्री थे। आपने प्रश्नकाल

बाधित किया था। आपको यह भी मालूम होगा कि उस समय एक नई परंपरा बनाई थी । आज 49 प्रतिशत दिल्ली का या केन्द्र सरकार का शेयर है, उसकी वैल्यू क्या होगी ? आपके पास सोर्सेस हैं, उद्योग सचिव बैठे हैं, विभागाध्यक्ष जी हैं या नहीं हैं, यह मुझे नहीं मालूम। आप उनसे पता करवाईए कि बालको उसको कितने में लेना चाहता है । जो निवेश के समय के मूल्य से आज कितना गुना है और क्यों लेना चाहता है ? वही चीज है । कोई परिवर्तन मत करिए, आपका 49 परसेंट हमको दे दीजिए । इस इंवेस्टमेंट को रोकने के लिए तत्कालीन सरकार ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखा । वह हमारा दृष्टिकोण था । हम अपने तरीके से उनसे बात करेंगे कि यह पत्र लिखा गया था, वह बस्तर के हितों के लिए जरूरी है, पर यह केन्द्रीय सूची का विषय है, इसको आप भी जानते हैं । उसमें क्या निर्णय होगा, यह गर्भ में है । आज हम नहीं कह सकते कि वह डिस-इंवेस्टमेंट की सूची से हट जायेगी या रहेगी या छत्तीसगढ़ की चिट्ठी से आपकी भावनाओं से कोई परिवर्तन आएगा, यह अनुमानों में है, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता था माननीय चौबे जी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी ने बालको इंवेस्टमेंट में एक प्रस्ताव रखा था, आप सदन की कार्यवाही निकवाकर देख लीजिए, हम यानि छत्तीसगढ़ उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार हैं । हम आग्रह करेंगे, अभी डिस-इंवेस्टमेंट की सूची में हम स्वीकार करते हैं, कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या जरूरी है ? केन्द्रीय सूची का विषय है । क्या निर्णय होगा, कब निर्णय होगा, यह गर्भ में है क्योंकि कोविड तक उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन आप तैयारी करके रखिए, वह कलेजा दिखाईए, वह छत्तीसगढ़ियापन दिखाईए, जो अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी ने कहा था कि बालको के शेयर को छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी, आप यह संकल्प में जोड़िए। यदि केन्द्र सरकार समवेत स्तर को किन्हीं भी परिस्थितियों में, एक तो आपका भाषण काल्पनिक था । मैं मानता हूं कि वह सूची में है तो आप यह तैयारी करके रखिए कि यदि केन्द्र सरकार डिस-इंवेस्टमेंट के लिए तैयार होगी तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार चलायेगी और यह दोहरा मापदण्ड नहीं है कि एक तरफ आप 29 खिलाड़ियों के साथ उद्योग लगाते हैं और कहते हैं कि परिदृश्य बदल जाएगा, यह 29 हजार करोड़ का है । एक तरफ कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी रहनी चाहिए। कोई एक बात, एक स्टैण्ड, एक चीजें होनी चाहिए । छत्तीसगढ़ में औद्योगीकरण के लिए सही माहौल के लिए काम करिए और इंतजार करिए, तब तक क्या निर्णय होता है और माहौल ऐसा बनाएं कि राजनीति मत हो । बस्तर में ले देकर लैंण्ड बैंक बन रहा था । उस लैण्ड बैंक के लिए हमको राजनीतिक क्षति उठानी पड़ी । हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन आप इनमें से एक को जमीन दे पाये हैं । इसलिए कर प्रणाली में, कार्य प्रणाली में निवेश के लिए जितना अनुकूल माहौल होता है, वह आप बनाईए और दूसरी बात, जो दुनिया बदल रही है, जिसके प्रणेता भारत में माननीय नरसिंहराव थे, माननीय मनमोहन सिंह जी थे । आज हमारे बीच नरसिंह राव जी नहीं हैं, पर मैं व्यक्ति तौर पर उनकी विद्वता का बहुत आदर करता हूं । मनमोहन सिंह जी का बहुत आदर करता हूं, यह मैं आपको बता देता हूं, मैं

व्यक्तिगत चर्चाओं में भी पार्टी से हटकर भी बोलता हूं कि वे देश के लिए गौरव ही बात है । आप उनसे पूछ लीजिए कि मेरा प्रस्ताव है और मैं जो भाषा बोल रहा हूं कि यदि हड़ताल हो गई तो केन्द्र के लिए और राज्य के लिए बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सम्हालना मुश्किल हो जाएगा । एक मंत्री की भाषा ऐसा नहीं होती । इसलिए हम जो बात करेंगे, अभी यह अनुमानों में हैं । देखें, प्रतीक्षा करें, उस समय हम कहेंगे कि हमारा क्या है, यदि हमारी बात नहीं जाती, हम असफल होते हैं तो यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो प्रथम सरकार में अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी ने जो कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार चलायेगी तो उसके लिए आप तैयार रहिए । इन्हीं बातों के साथ आगे औद्योगीकरण के लिए मैं अपना अनुभव सुना देता हूं । मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना । बस्तर में आज विश्वविद्यालय का कैम्पस खुला और दंतेवाड़ा से लेकर कांकेर के पॉलीटेक्निक को मैंने खोले थे । मैंने यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज सबकी बैठक ली और उनको कहा कि कितनी प्लेसमेंट कम्पनियां यहां आती हैं । उनके पास ये आंकड़े नहीं थे कि कौन-कौन सी कम्पनियां यहां आती हैं । उसका कारण बता देता हूं । अभी उच्च शिक्षा मंत्री नहीं हैं क्या ? जब प्रशिक्षित मानव संसाधन पूरी दुनिया कह रही है कि 2050 तक हिन्दुस्तान सबसे नौजवान देश होगा। एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। प्रशिक्षित मानव संसाधन भारत की जनसंख्या की सबसे बड़ी ताकत होगी। साहब दुर्भाग्य है, आपने यूनिवर्सिटी खोली मैं बधाई देता हूं, समझ रहे हैं ना, उस लड़के ने भी माननीय मंत्री जी ने नई यूनिवर्सिटी खोली, लड़का निकल जाता है, उसके लिये क्षमा चाहता हूं। उसने भी नई यूनिवर्सिटी खोली, जो मानव संसाधन तैयार करने के लिये हमको तैयारी करनी चाहिए चाहे वह निजी सेक्टर के आये, चाहे सार्वजनिक सेक्टर के आयें, मैंने स्कूल शिक्षा की बात कही। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर देता हूं कि एक बार स्कील डेव्लपमेंट के कार्यक्रम छत्तीसढ़ में चल कैसे रहे हैं और विशेषकर बस्तर में कैसे चल रहे हैं, सरगुजा में विशेषकर कैसे चल रहे हैं, उसको अध्ययन करें ? छत्तीसगढ़ की सही सेवा होगी, यहां की जनसंख्या, यहां की जवानी को हम वायब्रेट फोर्स में बदले और कहीं भी जाकर वे काम कर सकें। वह दौर आया, इस संकल्प के माध्यम से मैं फिर वह बात कहता हूं कि अभी सिर्फ सूची में चढ़ा है, समय आने पर हम आग्रह करेंगे और नहीं तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के रास्ते में आप 20 हजार करोड़ में इस प्लांट को छत्तीसगढ़ चलायेगी, इस संकल्प के लिये भी तैयार रहिये। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- सदस्य, समय का ख्याल रखें।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- उपाध्यक्ष महोदय, सदन में भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. के द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र जिला-बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त करने का जो शासकीय संकल्प आया है, मैं इसका समर्थन करते हुए, अपनी बात कहना चाहता हूं। बस्तर की जनता का, बस्तर की युवाओं का सपना था, बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट बनेगा, बस्तरवासियों का विकास होगा और

आज वह सपना धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। बस्तर अनुसूचित क्षेत्र है, पांचवी अनुसूची है उसके बाद भी केन्द्र सरकार की जो लगातार इसमें disinvestment करने का प्रयास किया गया है। देश का पहला उदाहरण है, प्लांट लगने से पहले इसको बेचने की तैयारी की जा रही है। नगरनार स्टील प्लांट जो एन.एम.डी.सी भारत सरकार का उपक्रम है, नवरत्न कंपनी है। इसमें भारत सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। एन.एम.डी.सी प्राफिट के बाद डेविडेंट केन्द्र सरकार को प्रदान करने के बाद रिजर्व फंड से नगरनार स्टील प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आज केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार चाय बेचते-बेचते सरकारी उपक्रमों को और देश बेचने के लिये तुली हुई है।

श्री सौरभ सिंह :- disinvestment की नीति किसने चालू की थी ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, आज भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं, आज एयर इंडिया बेच रहे हैं, बैंक एल.आई.सी. बेच रहे हैं, किसानों की खेती किसानी बेच रहे हैं और एयरपोर्ट बेच रहे हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में क्या किया ? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी जी देश में ऐसे उपक्रम बनाये, जो आज नवरत्न कंपनी है, चाहे एन.एम.डी.सी हो, भिलाई स्टील प्लांट हो, भारत पेट्रोलियम हो, एल.आई.सी. हो, जो प्राफिट देने वाली कंपनियां, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है। आज कहीं न कहीं जो बातें हैं, केन्द्र में मोदी जी की सरकार कल तक कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ जायेगी, वालमार्ट आ जायेगा पूरा देश बिक जायेगा। आज आप लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ है, जो आज कुछ नहीं कहते। आज हमारे बस्तर के सपने थे, उन बस्तर के सपनों को पहली बार बस्तर का पहला उद्योग था, सरकारी उपक्रम की कंपनी एन.एम.डी.सी द्वारा स्थापित और उसको भी अगर बेचने की तैयारी हो रही है। एन.एम.डी.सी द्वारा नगरनार में 1980 एकड़ क्षेत्र में इसकी स्थापना की जा रही है1 इसकी संशोधित अनुमानित लागत 23140 करोड़ रूपये है। एन.एम.डी.सी आज की तारीख तक इस परियोजना में 17186 करोड़ रूपये का निवेश कर चुका है। इसमें से 16662 करोड़ रूपये का निवेश एन.एम.डी.सी अपने कोष से किया है और शेष 524 करोड़ रूपये बांड एवं बाजार से जुटाये जायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्पादन के आधार पर, काम करने के आधार पर इस साल से सालाना 14 हजार से 15 हजार करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार छत्तीसगढ़ में बस्तर के निर्माणाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र को एन.एम.डी.सी. से अलग किया जायेगा। बाद में नगरनार इस्पात संयंत्र में विनिवेश किया जायेगा। केन्द्र सरकार इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई कम्पनी होती है। अगर किसी कम्पनी का 51 प्रतिशत किसी प्रायवेट पार्टनर के पास जायेगा, तो पूरा मैनेजमेंट का अधिकार उसके पास हो जायेगा। जबकि इसमें केन्द्र सरकार कह रहा है कि उसका शेयर है, पूरा का पूरा प्रायवेट पार्टनर को जायेगा। इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ के

साथ, बस्तर के साथ लगातार अन्याय, अत्याचार हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है और इसे सितम्बर, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एन.एम.डी.सी. द्वारा इस्पात संयंत्र का डिसइनवेस्टमेंट का प्रस्ताव मंजूर कर बस्तरवासियों के साथ जबर्दस्त धोखा है। बस्तरवासियों के हितों के साथ कुटाराघात है। 23 हजार करोड़ रूपये की लागत से बनाए जा रहे संयंत्र के निजीकरण के कदम से लाखों आदिवासियों की उम्मीदों पर गहरा धक्का लगा है और स्थानीय लागों में असंतोष है। केन्द्र सरकार को नगरनार संयंत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में जारी रखना चाहिए। ताकि बस्तर के क्षेत्र के आदिवासियों का जीवन स्तर सुधर सके, जो हमारे बस्तर के युवाओं का बस्तर के वासियों का सपना है। छत्तीसगढ़ राज्य इस बात को लेकर बेहद उत्साहित था कि संयंत्र के शुरू होने से न केवल बस्तर में खनिज संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान करने का अवसर मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बैलाडीला का लोहा है, विश्व की सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा है। बैलाडीला से नगरनार इस्पात संयंत्र को भी लोहा मिलता और साथ ही छत्तीसगढ़ में जो अन्य उद्योग संचालित हैं, उनको भी मिलता। मगर जिस तरह से केन्द्र सरकार की नीयत है, मोदी जी की नीयत है, इससे साफ जाहिर होता है..।

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी, एक मिनट। आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-10 एवं अन्य अनौपचारिक कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

शासकीय संकल्प (क्रमश:)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज केन्द्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार द्वारा जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो प्राफिट है, चन्द्र उद्योगपतियों को देना चाहती है। जो टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, जो उनका चुनाव में प्रबंधन करते हैं, वैसे व्यक्तियों को बेचने की तैयारी हो रही है। नगरनार क्षेत्र के आदिवासियों, किसानों ने संयंत्र की स्थापना के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दी है। जमीन देते समय किसानों ने एन.एम.डी.सी. पर विश्वास किया था तथा छत्तीसगढ़ शासन ने भी किसानों के सामने एन.एम.डी.सी. का प्रस्ताव रखा, जिसके कारण हमारे बस्तर के नगरनार क्षेत्र के हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उन्होंने अपनी जमीन दी है। नगरनार संयंत्र को इसी साल चालू करने का लक्ष्य था। लेकिन कोविड-19 के संकट के चलते विशेषज्ञों का दौरा नहीं हो सका था। अब जुलाई, 2021 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन.एम.डी.सी.

नगरनार संयंत्र की स्थापना के लिए जब हमारी सन् 2000-2003 के बीच थी, वर्ष 2001 में हमारी सरकार ने जमीनर अधिग्रहण करना शुरू किया। उस समय सन् 2001 में 303 खाते, वर्ष 2007 में 4 खाते, वर्ष 2010 में 1052 खाते और वर्ष 2012 में 6 खाते, इस प्रकार 1365 खातों की भूमि अधिग्रहित की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001 में जो भूमि अधिग्रहण की गई थी , उस समय लगभग सभी खातेदार जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मगर वर्ष 2007 और वर्ष 2010 में जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ का जो भूमि अधिग्रहण कानून है जो आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2007 है वह पूरे देश में अव्वल है, बहुत अच्छी है मगर मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी वर्ष 2010 में एक हजार से अधिक किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उनको आज भी वहां रोजगार नहीं मिला है। सक्सेस एलाउंस के नाम से उनको पैसा दिया जा रहा है। आज हम दुखी हैं। वर्ष 2010 में कुल 1052 कृषकों की भूमि अधिग्रहित की गई थी जिसमें कुल 852 नामांकन फार्म प्राप्त हुए थे जिसमें से 624 लोगों को वर्तमान में सक्सेस एलाउंस दिया जा रहा है, किंतु इनको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जमीन के बदले जमीन, एक व्यक्ति को नौकरी और अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान है। उसके बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। रोजगार के एवज में 14.08.2012 से 624 नामित सदस्यों में पात्रतानुसार 8वीं से कम वालों को 7080 रूपये, 8वीं से 12वीं वालों को 11000 और स्नातक से अधिक वालों को 12000 रूपये दिये जा रहे हैं। जो उनके पास लाखों रूपये की जमीन थे उसके बदले उनको चना-मुर्रा की तरह इतनी कम राशि एन.एम.डी.सी. प्रबंधन द्वारा दी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि बस्तर के आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को शासकीय संकल्प के रूप में यहां पर लाया है और बस्तर के जनमानस, और वहां की भावनाओं की आपने कद्र की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरनार स्टील प्लांट के लिए एन.एम.डी.सी. अतिरिक्त भूमि वर्ष 2001 एवं वर्ष 2006 में तैयार की गई सर्वे सूची अनुसार 6 ग्रामों के 256 कृषकों की संपूर्ण भूमि अर्जित की गई है। आज वहां के 256 कृषक दर-दर भटकने को मजबूर हैं। आज एन.एम.डी.सी. प्रबंधन एक सरकारी उपक्रम होते हुए भी बस्तरवासियों के साथ लगातार छल किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार ने जो शासकीय संकल्प लाया है वह स्वागतयोग्य है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज बस्तरवासियों के जो सपने हैं, बस्तर के युवाओं के जो सपने हैं, बस्तर के आदिवासियों के जो सपने हैं उनके साथ छल नहीं होना चाहिए अन्यथा बस्तर में दोबारा दूसरा कोई भी कारखाना नहीं लग पायेगा क्योंकि बस्तरवासियों के सपने को केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी सरकार ने जो कुचलने का प्रयास किया है उससे मैं कहीं न कहीं इस

बात से सहमत हूं कि हमारी सरकार आज शासकीय संकल्प के साथ जो बातें आई हैं उस पर भी विचार करे, इन्हीं बातों के साथ बस्तर की भावनाओं के साथ, बस्तर के हितों के साथ आप न्याय करेंगे। आज कहीं न कहीं बस्तर के सपनों को आप फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन का प्रस्ताव है कि एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। विनिवेश की योजना की जानकारी जैसा कि आपने जो अपना रिकॉर्ड दिया है, उसमें बताया है। 02.12.2016 को जो प्रेस विज्ञप्ती जारी हुई। उस प्रेस विज्ञप्ती जारी होने से, उस माध्यम से जानकारी मिली और इस घटना को 4 वर्ष से ऊपर हो गये और इन 4 वर्षों में विनिवेश हो गया है, ऐसा हुआ नहीं है। डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनने भी केन्द्र के मंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं तो इनने भी प्रधानमंत्री जी और केन्द्र के मंत्रियों को पत्र लिखा है। मैं तो अजय चन्द्राकर जी ने जो एक विषय रखा है उस ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण विषय यह है कि कारखाना जल्दी से जल्दी चालू हो और उसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जब इसकी योजना बनी तो योजना में यह था कि 12544 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और इससे कई गुना ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब ये इसके डिसइंवेस्टमेंट की बात शुरू हुई। हमारे मोहन मरकाम जी शुरू हो गये कि चाय बेचते-बेचते, चाय से लेकर और भारत की कंपनियों को बेचने लगे। मोहन मरकाम जी, नरेन्द्र मोदी जी तो चाय बेचते थे, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते थे, पर ये डिसइंवेस्टमेंट कब शुरू हुआ, इसका उल्लेख माननीय चन्द्राकर जी ने किया था। विदेश दूरसंचार निगम आपकी सरकार के दौरान बिका, वर्ष 2008-09 में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उसी पियरड में महानगर टेलीकाम बिका, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। कोल इण्डिया के शेयर बेचे गये। गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के शेयर भी यू.पी.ए. की सरकार के दौरान बेचे गये। अब नरेन्द्र मोदी जी चाय बेचते-बेचते यह बेचने लग गये। मनमोहन सिंह जी क्या बेचते थे जिसको बेचते-बेचते और यह बेचने लग गये। जरा आप यह स्पष्ट कर देना। आरोप लगाने के पहले..।

श्री मोहन मरकाम :- आप कहते थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। किसका क्या हुआ है, जो आप बेच रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बेच रहे हैं, मैंने इसका उल्लेख किया है। जो यूपीए सरकार के दौरान बिके, मैंने उन घटनाओं का उल्लेख किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार के दौरान 50 से 60 हजार करोड़ रूपये का डिसइंवेस्टमेंट के माध्यम से हमको अपने बजट के लिए संकलित करना है, ये टारगेट रखा जाता था और आज यह विरोध कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक बात है । मैं इस बात को

स्वीकार करता हूँ कि कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का उद्योग लगे और उस उद्योग के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है कहीं न कहीं प्रदेश को उसका लाभ मिलता है। नगरनार का प्लांट जल्दी चालू होना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलना चाहिए। यह छत्तीसगढ़ के हित में रहेगा। मैं तो अजय चन्द्रकार जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि माननीय जोगी जी बालको के लिए जिस ढंग से प्रस्ताव लेकर आए थे, उस सरकार में आप भी मंत्री थे, अकबर साहब भी मंत्री थे और माननीय चौबे जी मंत्री थे आप वैसा प्रस्ताव लेकर आईये अगर विनिवेश किया जाता है तो छत्तीसगढ़ की सरकार इस नगरनार के प्लांट को खरीदेगी और जब हमारा प्लांट हो जाएगा तो सारे संचालन हम अपने प्रदेश के नियमों के अनुसार बना सकेंगे। अपने लोगों को प्राथमिकता से रोजगार दे सकेंगे। आप ऐसा प्रस्ताव लायें तो सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करेगा। यह मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग भाषण प्रतियोगिता बना दिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं भाषण प्रतियोगिता नहीं बना रहा हूँ। माननीय जोगी जी जैसा प्रस्ताव लेकर आए थे, आप वैसा प्रस्ताव लेकर आईये।

श्री अमरजीत भगत:- उस दिन जब बात हुई तो हम लोग भी इसमें सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे। इसको तो आप भाषण प्रतियोगिता बना दिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- उस सदन में आप नहीं थे। माननीय चौबे जी थे, माननीय अकबर भईया थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस सदन में सदस्य थे। आप ऐसा प्रस्ताव लेकर आईये। हम लोग इसको सर्वसम्मति से पारित करने को तैयार हैं। राजनीति करने के लिए प्रस्ताव लाना उपयुक्त नहीं है और अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है। जो बार-बार बात की जा रही है, वह 4 साल पुरानी बात है। 02.12.2016 को प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। 4 साल से ऊपर समय हो गया, 5 वां साल चालू हो गया। डिसइंवेस्टमेंट होना होता तो अब तक हो जाता। आप 4 साल पुरानी बात को ला रहे हो। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसा आग्रह है कि इस छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रस्ताव जाना चाहिए कि हम नगरनार के प्लांट को लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ प्रस्ताव जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी के द्वारा- "भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया किया जाये", शासकीय संकल्प लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह धोखा ही नहीं, बहुत बड़ा धोखा है। जिस समय हमारे बस्तर के आदिवासी लोगों ने 20 हजार करोड़ के नगरनार स्टील प्लाण्ट लगाने की जब सहमति दी, उस समय इस

शर्त पर दिया गया था कि इसका निजीकरण न हो। अगर सबसे जयादा छलने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज हमारे बस्तर में बहुत कठिन परिश्रम के बाद अगर उद्योग लग रहा है, उसमें भी अगर निजीकरण हो रहा है, ये बहुत चिंताजनक है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके कारण राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के लिए भी दिक्कत आ सकती है। आप बस्तर के आदिवासियों को जितना कमजोर समझेंगे, आप जितना कहेंगे कि ये नासमझ हैं, आपको आने वाले समय में ये बात समझ में आ जायेगी। जिन दिन अगर निजीकरण की बात सामने आयेगी और यह जो 4 साल की बात कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ है, इसीलिए उसकी चर्चा होती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- संतराम जी, भारतीय जनता पार्टी या इधर के बैठे लोग कभी बस्तर के लोगों को कमजोर नहीं समझते। कमजोर तो वहां से समझा गया है, इसलिए 12 में 1 हो।

श्री संतराम नेताम :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन से हमारे बस्तरवासियों ने निजीकरण की बात सुनी है, वहां के लोग आंदोलनरत हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया। जब पूरे देश और विश्व में कोरोना आया, तब पता चला कि बस्तर के बेरोजगार युवकों ने किस तरह से काम किया। बस्तर के लोगों के लोगों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी विशेषकर गंभीर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये लोग रोजगार देते तो हमारे बस्तर के बेरोजगार छत्तीसगढ़ से कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु में बोरगाड़ी में काम करने नहीं जाते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गंभीर घटना बता रहा हूं। एक बेरोजगार युवक केवल रोजगार के अभाव के कारण तमिलनाडु में बोर गाड़ी में काम करने के लिए गया और वह 3 साल से सेलम की जेल में बंद है। इसका कारण क्या है? यह केवल और केवल सरकार की कमी है। यह 15 साल से बस्तर के लोगों को ठगने का काम किये हैं। अगर इनमें दम है तो केन्द्र सरकार से निवेदन करके बस्तर के आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, उनके जीवनयापन के लिए स्टील प्लाण्ट खुल रहा है, उसमें सहायता करनी चाहिए। ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, बस्तर के आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हाथ में काम आये, बस्तर की आर्थिक हालत सुधरे। जिस प्रकार से पूरे विश्व में नाम चलता है कि बस्तर में भोले-भाले आदिवासी रहते हैं, वहां के जंगल, जमीन में केवल खनिज है। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि उसको कैसे उत्पादन किया जाये, वहां पर कैसे उद्योग लगाये जायें। अगर इस प्रकार से धोखा देने का काम होगा, वहां के लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ेगा तो आने वाले समय में अगर हम कोई उद्योग के लिए प्रस्ताव लेकर जायेंगे तो वहां की जनता हमको उद्योग नहीं खोलने देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस शासकीय संकल्प को सभी लोगों को एक राय में इसका समर्थन करना चाहिए। जिस प्रकार से बस्तर के जनप्रतिनिधियों की यह जो चिंता है, जिस प्रकार से से आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार वे वहां की जनता ने जनप्रतिनिधियों को एक विश्वास के साथ चुना है,

हम वहां की जनता को जवाब कैसे देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शासकीय संकल्प जो हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है यह वास्तव में सही है, वह उद्योग लगना चाहिए और वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहां के आदिवासी भाई मजबूत होंगे । जिस दिन हमारे बस्तर के आदिवासी भाई, हमारे बेरोजगार भाई, हमारे युवा और किसान भाई अगर वहां मजबूत होंगे तो केवल बस्तर ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ मजबूत होगा । छत्तीसगढ़ को एक मजबूती के साथ पूरा देश देखेगा इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि यह संकल्प आया है, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा लाये गये शासकीय संकल्प पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो बात कही कि भारत के किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो इकानामिक पॉलिसी होती है उसमें कंटीन्यूटी होनी चाहिए और इस बात पर कहीं पर बोलने पर जिक्र नहीं है कि श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में श्री मनमोहन सिंह जी वित्तमंत्री थे, सरकार ने एक पॉलिसी बनायी । पॉलिसी बनायी कि पी.एस.यू. में डिसइंवेस्टमेंट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ? तात्कालिक जब व्यवस्था थी, जब हम आजाद हुए तो कुछ और परिस्थितियां थीं, 30-35 सालों के कालांतर में परिस्थितियां बदलीं इसलिये वह व्यवस्था बनायी गयी और इसलिये व्यवस्था बनायी गयी कि 30-35 सालों में यह देखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें सरकार का, केंद्र सरकार का पैसा लगा है और उस पैसे से, जितने पैसे से उसका अर्थ निकलना चाहिए, जितने पैसे से रिटर्न आना चाहिए, नहीं चल रहा है, बहुत सारे यूनिट सिक हो गये । अभी यहां बहुत दूर में सी.सी.आई. का सीमेंट प्लांट है, मांढ़र में, हमारे क्षेत्र में तब कोई प्राईवेट इंवेस्टर नहीं आता था इसलिए सी.सी.आई. का सीमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता थी, आज सी.सी.आई. का सीमेंट प्लांट बंद है इसलिए यह व्यवस्था की गई और यह कंटीन्यूटी की व्यवस्था है । डिसइंवेस्टमेंट हर सरकार ने किया है और डिसइंवेस्टमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार का ही पैसा है, जनता का पैसा जो उन उद्योगों में लगा है और जनता के लिये वह पैसा वापिस आना चाहिए इसलिए यह व्यवस्था की जाती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रहीं थीं । प्लांट की कुल लागत 12,000 करोड़ थी और 6000 करोड़ का Cast overrun हुआ और Cast overrun इसलिए हुआ कि इसी कारण पब्लिक सेक्टर यूनिट सिक हो जाती है । Cast overrun समय-सीमा में हम काम नहीं कर पाते, समय-सीमा में काम नहीं हो सकता । जितनी इफिशियेंसी से प्राईवेट सेक्टर काम करता है, उतनी फिशियेंसी से पब्लिक सेक्टर काम नहीं करता । 6000 करोड़ का Cast overrun है और आज भी प्लांट नहीं बना है और कितना हमको यह नहीं पता है कि कितना Cast overrun होगा इसलिए यह सैद्धांतिक निर्णय लिया

गया है और अभी केवल यही निर्णय लिया गया है कि इस पावर प्लांट को एन.एम.डी.सी. के पूरे ढांचे से डीमर्जर किया जाये, यही निर्णय लिया गया है । डीमर्जर के बाद की हमारी कल्पना है कि डीमर्जर के बाद डिसइंवेस्टमेंट होगा । अभी डीमर्जर हुआ है और डीमर्जर के बाद वेल्यूएडीशन की बात करते हैं, पावर प्लांट बनेगा तब तो वेल्यूएडीशन होगा । वेल्यूएडीशन होगा तो सारी व्यवस्थाएं होंगी, आज इसी सरकार ने उद्योग नीति में एक पैकेज बनाया है कि यदि आप बस्तर में जाकर निवेश करेंगे तो आपको यह-यह सुविधायें मिलेंगी, यह-यह छूट मिलेंगी तो कोई अगर प्राईवेट प्लांट वाला आकर बस्तर में इंवेस्ट में कर देगा, आप तो उद्योगों को बुला रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनके लिये आपने उद्योग नीति बनायी है और आप कह रहे हैं कि हम यह-यह छूट देंगे, बस्तर का विकास होना चाहिए, बस्तर में प्राईवेट सेक्टर के उद्योग आने चाहिए फिर इसका क्यों विरोध ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुनर्वास नीति की चर्चा हो रही थी । प्लांट के लिये जमीन ली गयी, प्लांट के लिये जमीन अधिग्रहित की गयी । दो सालों में आदरणीय राजस्व मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, शायद वे उस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने क्या प्रयास किया ? अगर उनको पुनर्वास की नीति का, आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् अगर उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, जिनकी जमीन गई है, अगर उनको नौकरी नहीं मिली है, एन.एम.डी.सी. का तो प्लांट अभी स्टील प्लांट बन रहा है और एन.एम.डी.सी. की खदानें चल रही हैं तो वहां पर उनको पुनर्वास नीति का फायदा क्यों नहीं मिला, इसके लिये चर्चा क्यों नहीं की गई ? जब छत्तीसगढ़ में प्राईवेट कोलब्लॉक के आक्शन होने थे, केंद्रीय कोल मंत्री जी आये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ऑब्जेक्शन रखा और कृषि कोल ब्लॉकों के क्षेत्र में उनका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही था । हसदेव आरंड के क्षेत्रों में नहीं होना था और केंद्र सरकार ने उस बात को माना कि हम आपकी बात से सहमत हैं । चर्चाएं हो सकती हैं और चर्चा होकर केंद्र सरकार के साथ इसका रास्ता निकाला जा सकता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी क्लियरेंस की बात कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि किसी भी उद्योग के लिये अगर कोई क्लियरेंस होता है, कहीं पर भी अगर कोई एन.ओ.सी. जारी होता है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है, वह irrevocable, उसके आधार पर यदि इन्वेस्टमेंट हो जाता है, यदि बैंक ने मुझे एनओसी दिया, अगर नगर पालिका ने मुझे एनओसी दिया और उसके आधार पर मैंने घर बना लिया और घर बनाने के 1 महीने या 6 महीने के बाद वह एनओसी यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है । अगर आपने किसी को एनओसी दिया है तो रिवोक नहीं कर सकते । उसके आधार पर जो इन्वेस्टमेंट हो गया उसका नुकसान कौन सहेगा इसलिए वह irrevocable होता है, क्लीयरेंस irrevocable होता है । यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आपने किस परिस्थिति में दिया, क्यों दिया, यह अलग बात है । सभापति महोदय, उद्योग कैसे आते हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत चर्चित उद्योग आया, वह था केएसके महानदी । उद्योग के खिलाफ आंदोलन हुआ, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन हुआ और उद्योग नहीं बन सका । बैंक का कर्जा था, एनसीएलटी में चला गया और

जब एनसीएलटी में गया तो पैसा किसका था, जनता का पैसा था। जनता का पैसा किसका है, आम आदमी का, जिसकी बर्बादी हो रही है । अगर आज एनएमडीसी प्लांट लगा रहा है तो कहीं न कहीं वह जनता के पैसे से ही प्लांट लगा रहा है । बैंक को पैसा कौन दे रहा है, बैंक में आपका और हमारा जमा किया हुआ पैसा है । अगर वह पैसा एनसीएलटी में चला जाए और डूब जाए, ऐसी क्या परिस्थिति है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने, आदरणीय शिवरतन जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, सरकार एक स्पेशल पर्पस से एक कम्पनी फॉर्म कर ले और कम्पनी फॉर्म करके बिडिंग करे । बिड करके ले ले, केन्द्र सरकार से अनुरोध करे कि हमको दे दो और अगर कोई उद्योगपति 20 हजार करोड़ का प्लांट लेता है तो वह 20 हजार करोड़ कोई नगद थोड़े ही जमा करता है, वह भी बैंक से कर्जा लेता है कौन उद्योगपति 20 हजार करोड़ नगद जमा करता है । आप भी एकाध हजार करोड़ ले लीजिए, हमारे पास एक लाख करोड़ का बजट है। एकाध हजार करोड़ बैंक को देना है उसके बाद धीरे-धीरे किश्त पटानी है । कमाई का साधन है, वेल्यू एडीशन है, इतना बढ़िया हेमेटाइड का साधन हो रहा है ।

श्री संतराम नेताम :- इतना बढ़िया सुझाव आप केन्द्र में दे देते । जब ऑलरेडी लग चुका तो उसका निजीकरण क्यों हो रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- हाईग्रेड हेमेटाइड है, जब आपको पता है कि प्लांट प्रॉफिट में चलेगा तो एकाध हजार करोड़ में स्पेशल पर्पस वर्कर की कंपनी बना लीजिए और बिडिंग करके केन्द्र सरकार से अनुरोध कर लीजिए । अनुरोध करके उस प्लांट को ले लीजिए और चलाइए । धीरे-धीरे बैंक का कर्जा छूट जाएगा । आपके पास बहुत से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं । बहुत सी पब्लिक सेक्टर यूनिट्य लॉस में चल रही हैं । छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, उत्पादन कंपनी भी चल रही है । उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरे छत्तीसगढ़ में मॉडल स्कूल बना था, उसको आप लोगों ने डीएवी स्कूल बनाकर बेच डाला ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बाल्को की घटना याद है, अरूण शौरी जी मंत्री थी और मैं शायद पहली बार विधायक बना था और मुझे ऐसे ही पता चला था, जैसे अभी पता चला है कि अभी कुछ हुआ नहीं है । मैंने एक बयान जारी किया था । बाल्को का निजीकरण बहुत ही निंदनीय है, गलत है । लेकिन वह हुआ । बाल्को की जो आन-बान-शान थी, वह निश्चित रूप से कम हुई । निजीकरण का हम विरोध थोड़े ही कर रहे हैं, निजीकरण वहां कीजिए जहां स्थिति सामान्य हो । यह बस्तर है, बस्तर । बस्तर में नगरनार में एनएमडीसी ने उसको 20 हजार करोड़ खर्च करके बनवाया है, अभी बना भी नहीं है, तालाब खुदा नहीं मगरमच्छ हाजिर हो गए । उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा

है । वहां के गरीब आदिवासियों ने इसलिए नहीं दिया था कि आप 20 हजार करोड़ का बनाइए, पानी ले लीजिए, खदान ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, सड़क ले लीजिए और बनाकर किसी उद्योगपति अडानी, अंबानी जैसे लोगों को तश्तरी में पेश कर दो । वह तो यह मान रहा था कि यह मेरा प्लांट है, इसमें मेरी भागीदारी है, मेंने जमीन दिया है, मैंने पानी दिया है, मैं लोहा दे रहा हूं, मैं बिजली दे रहा हूं और जैसे भिलाई स्टील प्लांट पर हम गर्व करते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के नगरनार पर भी हमें गर्व होता । उपाध्यक्ष महोदय, जब हम भिलाई जाते हैं तो वहां के एम.डी. को जाने या न जाने, कर्मचारी को जाने या न जाने, कभी प्लांट में घुसे हों या न हो, दूर से चिमनी का धुंआ देखकर ही तसल्ली हो जाती है कि यह हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है । कश्मीर और बस्तर में बहुत सी समानता है । कश्मीर में सीमा पार आतंकवादी आते हैं। कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है। वहां बर्फ गिरती है। बस्तर में हमारे ही देश के गुमराह नौजवान जो नक्सली के रूप में हैं, वे यहां आकर खून की नदियां बहाते हैं। बस्तर भी बहुत सुंदर है। वहां भी पर्यटक नहीं जा पा रहे हैं। यहां भी पर्यटक नहीं जा पा रहे हैं। अगर बस्तर शांत होता तो वहां पर्यटकों की इतनी भीड़ होती कि चित्रकूट का fall की पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा फाल है, उसे देखने के लिए लोग आते और रहते और वहां की जिंदगी बदलती। अभी नगरनार हमारी तकदीर बदल रहा है तो उसे किसी उद्योगपति को क्यों बेचा जाये? एन.एम.डी.सी. को हमने खदान इसलिए दिया था कि वह हमारे खदान को चालू करके उद्योगपतियों को दे। नंदीराज पर्वत पर अडानी का ठप्पा लग चुका है। नंदीराज पर्वत को लेकर वहां के आदवासी धरने पर बैठे हुए थे। मैं और बताना चाहता हूं कि मैंने आज से 3 साल पहले नगरनार के मेन गेट पर इस निजीकरण के विरोध में खुद गिरफ्तारी दी है। आप रिकॉर्ड पता करवा लीजिए। मेरी पार्टी की ओर से हम लोगों ने धरना दिया था कि इसका निजीकरण हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। नगरनार के मेन गेट पर मेरी गिरफ्तारी हुई थी और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली की सरकार के लिए और भी बहुत सारी जगह है। आप हवाई अड्डा बेच दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई रेल बेच दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप नगरनार नहीं बेच सकते। नगरनार का बेचना मतलब जगदलपुर बस्तर के गरीब आदिवासियों की किस्मत को, उनका फैसला करने के लिए आप तश्तरी में उसे नक्सलियों को पेश कर रहे हैं, यह माना जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जाफना और बस्तर में अंतर बता रहा हूं। श्रीलंका में जाफना बस्तर का सिर्फ 10 परसेंट एरिया है और वहां पर प्रभाकरन का आतंक खत्म करने के लिए वहां की military को उतारना पड़ा था, जो बस्तर से सिर्फ 10 परसेंट है। बस्तर उससे 100 प्रतिशत ज्यादा है। 90 प्रतिशत और ज्यादा है। यहां डेमोक्रेसी है। मानवाधिकार है। दुनियाभर की बात है। सेना का प्रयोग नहीं कर सकते। पुलिस बंदूक चलाती है तो 10 किस्म के आरोप लगते हैं। बस्तर के लोगों का दिल जीतना जरूरी है और दिल जीतने की प्रक्रिया में यह नगरनार पहला एक मील का पत्थर साबित हो रहा था, जिसे निजीकरण की ओर ले जाने का काम हो रहा है। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं

प्रधानमंत्री जी से मिलें और प्रधानमंत्री जी से मिलने के पहले कम से कम गृह मंत्री जी से जरूर मिलें और उन्हें बतायें कि यह वही बस्तर का नगरनार है, जहां पर हमारे भोले-भाले लोग मारे जाते हैं। नक्सलियों की गोली का शिकार होते हैं। उनकी तरक्की के लिए हमने यह किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर का क्या ट्रेंड है? बस्तर का ट्रेंड यह है कि वहां के ठेकेदार, वहां के व्यापारी, वहां के जो बड़े-बड़े काम करने वाले लोग हैं, वे नक्सलियों को लेवी देते हैं। बिलासपुर में एक ठेकेदार पकड़ाया है जो वहां बस्तर में प्रधानमंत्री रोड का ठेका लेता था। वह जेल के अंदर है। तेंदूपत्ता वाले लोग पैसा देते हैं। माइनिंग वाले जो ढुलाई करते हैं, वे पैसा देते हैं। यह एक छोटे से दिल वाला उद्योगपति यहां आयेगा तो क्या नक्सलियों से टकरा सकता है? क्या वह नक्सलियों की बात को नहीं मानेगा? सरकार के अफसर सरकारी अफसर होते हैं। हम उनमें सौ खामियां निकाल सकते हैं। लेकिन वह राजतंत्र में राज्य सरकार के लिए प्रदेश सरकार या दिल्ली की सरकार के लिए वफादार होते हैं। उन्हें किसी काम को करने में डर लगेगा, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी नौकरी बाकी रहती है, लेकिन प्राइवेट उद्योग के लोग तो लाइजनिंग का एक विभाग ही रखते हैं। वह लाइजनर है, बोले कहां का इस विभाग का। कहां का, इस उद्योगपति का। तो इन लाइजनर लोगों से बस्तर में और अराजकता फैलेगी। एन.एम.डी.सी. ने एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया। पिछले 25 साल से वहां पर वे लोहा निकाल रहे हैं। हमारी धरती चीरते हैं। हमारी धरती की छाती से लोहा निकालते हैं। जापान भेजते हैं। विशाखापट्टनम भेजते हैं। आंध्रा भेजते हैं और हिन्दुस्तान के दूसरे स्टील प्लांट में लोहा भेजते हैं। फिर क्या कारण है कि हमारी धरती पर एक लोहा का कारखाना नहीं खोल सकता और अगर वह खुल रहा है तो उसे नजर लगा रहे हैं। अगर वह खुल रहा है तो उसे बेचने की साजिश हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत निंदनीय है। जघन्य अपराध है, मैं यह कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कारखाना तो बिकने नहीं दिया जायेगा। इस कारखाने को किसी प्राइवेट उद्योगपति को देने नहीं दिया जायेगा उसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, यह पूरा समृद्ध सदन आपके साथ है, ऐसा मैं मानता हूं ।

समय :
6:00 बजे

मैं आपके साथ हूं, यह मैं मानता हूं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर के बेरोजगारों को वहां नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे एन.एम.डी.सी. वालों से पूछिए । जिस दिन यह कारखाना बनेगा, उस दिन कितने चपरासी की जरूरत होगी, कितने गेट कीपर की जरूरत होगी, कितने वॉच मैन की जरूरत होगी, कितने आई.टी.आई. के ट्रेड में जो फीटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, पेंटर हैं, दुनिया भर के लोगों की क्या-क्या जरूरत होगी, यह सबको पता करके वहां पर आई.टी.आई. का एक ट्रेनिंग सेन्टर नगरनार के ठीक सामने में खोल दिया

जाना चाहिए और नगरनार के बाहर जितनी जमीनें हैं, उस सबका अधिग्रहण आप खुद कर लीजिए । जो जमीनें अभी नहीं दी गयी हों, उसका अधिग्रहण आपके पास होना चाहिए । वह कारखाना खुलेगा, उसके सामने में अनेक दुकानें होंगी, 10 किलोमीटर का एरिया गुलज़ार होगा, छोटे मोटे व्यापार होंगे । कोई अंडा बेचेगा, कोई भजिया बेचेगा, कोई टाईपराईटर चलायेगा, कोई ट्रक चलायेगा, कोई आटो चलायेगा, कोई टैम्पों चलायेगा, ट्रांसपोटेशन के लिए कोई मोटर का एजेंट बनेगा, ऐसा करके एक दिन में उद्योग होता है ? हमारे बस्तर के लोगों को उद्योग चाहिए । माने क्या कोई जादू की छड़ी है कि एक दिन में उद्योग खुल जाएगा, एक दिन में सबको रोजगार मिल जाएगा ? ऐसे ही प्रयासों से रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा, तब बस्तर शांत होगा और बस्तर इतना समृद्ध है कि वहां पर अगर हम सिर्फ टूरिस्ट को ही बढ़ावा देंगे तो वहां के लोगों को करोड़ों रूपए मिलेंगे और उनकी जिन्दगी में खुशहाली आ सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां बेचारों का क्या बुरा हाल है ? आंध्रा से अमोनिया आती है, ट्रक के ट्रक रास्ते से गायब हो जाती है । अब वह ट्रक का ट्रक जब गायब होता है तो क्यों होता है ? क्योंकि वह अंदर जाता है । अमोनिया में सिर्फ 5 लीटर डीजल मारने से वह बम बन जाता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह विनिवेश नहीं होना चाहिए । पूरे देश में जहां भी विनिवेश हो रहा है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है । रेल का विनिवेश हो जाये, हवाई अड्डे का विनिवेश हो जाये, पोर्ट का हो जाये । बस्तर को छोड़िए, बस्तर संवेदनशील मसला है, संवेदनशील क्षेत्र है । बस्तर के लोग तलवार की धार में चल रहे हैं । यदि एक दांव उल्टा पड़ेगा तो जो अभी तक वहां सामान्य स्थिति होने की ओर बढ़ रहे हैं, वह फिर से आग में जलने लगेगा और आग में जलाने का काम कोई भी सरकार हो, उसे नहीं करना चाहिए । इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और केन्द्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि विनिवेश की जो भी नीति हो, उसे वे पालन करें, लेकिन हमारे बस्तर के इस गौरवशाली प्लांट को मत छेड़ो । मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर किसी उद्योगपति को वहां स्टील प्लांट खोलना है तो उसको भी जगह दे दीजिए, उसको भी प्लांट खुलवा दीजिए । न केवल स्टील का, बल्कि और कोई प्लास्टिक का कारखाना खोलना चाहे, कोई और कारखाना खोलना चाहे, कोई आटोमोबाईल्स का कारखाना खोलना चाहे, दुनिया भर के उद्योग लाकर आप वहां लगा दीजिए, वहीं के लोगों को फायदा होगा और हमारा बस्तर, जिसके नाम से बाहर के लोग डरते हैं, जब किसी को छत्तीसगढ़ को इन्वाईट करो तो बोलते हैं कि अरे बाप से बस्तर, वहां तो नक्सली हैं । अब उनको कौन बताए कि बस्तर के एक किनारे में नक्सली हैं, सब जगह नहीं हैं । तो बस्तर का नाम खुबसूरत बस्तर, सुन्दर बस्तर, बस्तर के लोग अच्छे हैं, लेकिन बस्तर के नाम से भय से लोग याद करते हैं, उसको दूर करना है और यह कलंक मिटाकर वहां के लोगों को रोजगार दिलाना है । वहां पर हमारा इतना बड़ा प्लांट स्थापित हो रहा है, उसकी स्थापना की राह में कोई भी रोड़े न आये, उसके लिए हम मांग करते हैं । इस प्रकार के निवेश

को जो निजीकरण है, उसको रोका जाना चाहिए । उसको दिल्ली की सरकार चलाए। प्रदेश की सरकार कहां धंधा करेगी ? पहले राज्य परिवहन का मोटर गाड़ी चलता था, उसको बंद कर दिए।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धर्मजीत भैया, वही बात बगल वाले को समझाईए । वे बात को समझते नहीं हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सब समझ रहे हैं । मैं कह रहा हूं और 20 हजार करोड़ का प्लांट लेकर उसको चलाने के लिए 10 हजार करोड़ लगेगा । अभी 30 हजार करोड़ है कहां ? इसलिए आपके माध्यम से दिल्ली की सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसका निजीकरण मत करिए । एन.एम.डी.सी. को इसको चलाने दीजिए, एन.एम.डी.सी. को वहां के लोगों के जीवन के उद्धार के काम करने के लिए कई योजनाएं हैं, जिसको पूरा करने का काम करिए । कोल इंडिया में लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, परन्तु वे आज भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं । कोयले के अधिकारी लोग चकाचक मजे में बैठे हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आपने उनका बंगला देखा है, कभी गए हैं ? कोल इंडिया के अधिकारियों के बंगले जाईए, उनके यहां मक्खी भी नहीं बैठती । एक कचरा भी नहीं दिखता । सब मॉल कहां से आया है? माल गरीब लोगों की जमीन से आया है इसलिए वही होगा। इसलिए मैं इस अंदेशे को भांप रहा हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं। कृपा करके केन्द्र की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के नगरनार का निजीकरण मत करे, एन.एम.डी.सी खुद चलाये और अच्छे से चलाये, सारा चीज तो उनको मिल ही रहा है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजमन बेंजाम (चित्रकोट) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण का फैसला निरस्त करने का जो शासकीय संकल्प आया है उसके संबंध में, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब नगरनार स्टील प्लांट की नींव रखी जा रही थी, उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री स्व. अजीत जोगी जी थे और वहां के हमारे बस्तर टाईगर कहे जाने वाले माननीय स्व. श्री महेन्द्र कर्मा जी उद्योग मंत्री थे। ये नगरनार का स्टील प्लांट माननीय श्री महेन्द्र कर्मा जी के अथक प्रयास से नगरनार के किसानों को समझा कर वहां के स्थानीय लोगों को समझाकर जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की गयी है, वह उनकी मेहनत है और उनकी दृढ़ संकल्प इच्छा के कारण वहां हुआ है। अगर ये नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण होता है, आप बस्तर का इतिहास उठाकर देख लीजिये, 10 फरवरी, 1910 को वहां पर भूमकाल हुआ था, ये बस्तर की बेहद नाराजगी वाला मुद्दा है, वहां के लोग बेहद नाराज हैं। अगर ये स्टील प्लांट विनिवेशीकरण होगा तो दोबारा बस्तर में भूमकाल होगा। वहां शहीद वीर गुंडाधूर के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ने के लिये जो भूमकाल हुआ था तो अभी इस विनिवेशीकरण को लेकर वहां के आदिवासी इसका पूरा विरोध करेंगे और वहां दोबारा भूमकाल उत्पन्न होगा । वहां के किसानों ने जिस उद्देश्य से हमारे आदिवासी लोगों की जमीन का वहां जितना अधिग्रहण हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोगों की जमीन है। वहां के आदिवासियों ने स्टील प्लांट

एन.एम.डी.सी. द्वारा निर्माण किया जा रहा था, उसको विनिवेशीकरण करने की जरूरत नहीं है, वहां के स्थानीय जनता का पैसा लगा हुआ है। एन.एम.डी.सी. द्वारा ब्याज की राशि के पैसे से उसको बनाया जा रहा है। वहां विनिवेशीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक यू। बेंजाम जी।

श्री अनूप नाग (अंतागढ़) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के बैलाडीला एन.एम.डी.सी और नगरनार उद्योग के निजीकरण के संबंध में जो संकल्प लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। ये नगरनार इस्पात और बैलाडीला एन.एम.डी.सी के स्थापना में हमारे बस्तर के लोगों ने बहुत कुछ खोया है और जब आज कुछ पाने का दिन आया है तो केन्द्र सरकार उसको निजीकरण करने जा रही है जिसके चलते हमारा बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार, आदिवासी समाज, अन्य समाज काफी आक्रोशित हैं। मैं बताना चाहता हूं कि करीब 15 दिन पूर्व अभी नगरनार में समूचे बस्तर ही नहीं, प्रदेश और देश के श्रमिक संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन, बेरोजगार संगठन और श्रमिक वर्ग भारी तादाद में नगरनार इस्पात के मैदान में इकट्ठा हुए थे। मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिला था। बहुत आक्रोश देखने सुनने को मिला। वहां पर नारा लगा रहे थे, मर जायेंगे, मिट जायेंगे, मगर नगरनार को निजीकरण होने नहीं देंगे। मुझे बैलाडीला गोलीकांड याद आ रहा था । आगे चलकर कहीं ऐसी वीभत्स घटना न घट जाये। इसलिए केन्द्र सरकार का यह जो निर्णय है, उसे वापस ले। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने, कहने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आप दोनों सदस्यों को बधाई दीजिये, मेरे ख्याल से यह मेडन स्पीच है। मैं तो पहले और नहीं सुना था। दोनों सदस्यों को बधाई दो।

श्री अनूप नाग :- आप तो मौका ही नहीं देते।

श्री राजमन बेंजाम :- आप बोलने के लिए मौका नहीं देते। इसलिए हम लोग बोल नहीं पाते हैं।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 3 साल के बाद पुन: इस शासकीय संकल्प आया और सदन में चर्चा हो रही है। यह बस्तर संभाग और बस्तर जिले के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इस संस्था की स्थापना के पहले देश में भा.ज.पा की सरकार, अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार थी और प्रदेश में कांग्रेस की जोगी जी की सरकार थी। भूमि अधिग्रहण करना बहुत ही कठिन समय था। मैं उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष था। हम लोग कई लोगों को जेल में डाले, कई लोग घायल हुए और कई लोग शहीद भी हुए। उस समय लोगों को आशा थी, हम लोग समझाये भी थे कि अगर यह इस्पात संयंत्र स्थापित होगा तो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी कई लोगों को आदर्श पुनर्वास नीति के तहत नौकरी भी नहीं दे पाये हैं और न ही उनको जमीन दे

पाये हैं। इस तरह कई प्रकार की चीजें हैं, उनके एवज में अभी यह सब प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुआ और निजीकरण की बात आई। जिसके कारण बस्तर संभाग के हमारे सभी समाज प्रमुख, सभी बेरोजगार, सभी साथी लोग काफी आक्रोशित हैं। अगर ऐसी स्थिति आयेगी तो बस्तर जिले के लिए, जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य लोग बैलाडीला काण्ड, भूमकाल काण्ड की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो ऐसी स्थिति न आये, उसके पहले जो विनिवेश होने वाला है, सभी विपक्ष के साथी और हमारे सदन के सभी हमारे पार्टी के साथी लोगों से निवेदन है कि सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसी आशा के साथ आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरनार निजीकरण के लिए शासकीय संकल्प माननीय रविन्द्र चौबे जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसक समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस विषय में माननीय सर्वश्री अजय चन्द्राकर, मोहन मरकाम जी, शिवरतन शर्मा जी, संतराम नेताम जी, सौरभ सिंह जी, धर्मजीत जी, राजमन बेंजाम जी, अनूप नाग जी और लखेश्वर बघेल जी ने इसमें भाग लिया। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। नगरनार के मामले में भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, पी.सी.ई.ए. है, नवम्बर, 2016 में एन.एम.डी.सी. के नगरनार स्टील प्लाण्ट की 51 प्रतिशत शेयर निजी कम्पनी को बेचने के लिए सहमति दी। दुर्भाग्यजनक बात है कि 2016 के फैसले के बाद ततकलीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने 2017 में एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था। उसमें यह लिखा कि यदि इसको निजी हाथों में सौंपा जायेगा तो नक्सली गतिविधियों को काबू करना मुश्किल हो जायेगा। जब रविन्द्र चौबे जी बोल रहे थे तो आप उसके बारे में आपत्ति ले रहे थे, उस बात पर आपत्ति ले रहे थे। सन् 2017 में आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन.एम.डी.सी. को खदान लीज इस शर्त पर दी गई थी कि नगरनार स्टील प्लांट लगाया जाए। यदि आप कह रहे हैं कि वर्ष 2016 की चिट्ठी के आधार पर आज आप काल्पनिक बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वर्ष 2020 में अभी डिमर्जर का निर्णय लिया और डिसइन्वेस्टमेंट सितंबर, 2021 तक पूर्ण कर लेना है यह भी फैसला हुआ है। तो डिमर्जर हो गया, डिमर्जर किसका हुआ? क्योंकि संयंत्र और खदान दोनों एक ही एन.एम.डी.सी. के द्वारा संचालित थे इसलिए उससे इसको अलग किया गया। अब संयंत्र को अलग यूनिट मान लिया गया और अब इसके हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ये उन्होंने कहा है। माननीय मोहन मरकाम जी ने शासकीय भूमि के बारे में जानकारी दी। चौबे जी ने जानकारी दी कि 634 एकड़ जमीन शासकीय रही है और 1506 एकड़ निजी भूमि है और आदिवासियों ने इस शर्त पर जमीन दी थी कि यहां सार्वजनिक उपक्रम लगे। उपाध्यक्ष महोदय, निवेश कार्य के लिए भारत सरकार के जो विधि सलाहकार हैं जो अंतरण सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा भी बार-बार इसमें आपत्ति दर्ज की गई कि इस संयंत्र को नहीं बेचा जाना चाहिए। माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं माननीय अजय चंद्राकर जी जो बात कह रहे

थे कि आपकी सरकार ने इसकी शुरूआत की। आपने बिल्कुल सही कहा कि श्री पी.वी. नरसिंहाराव जी जब प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे तब इसकी शुरूआत हुई। लेकिन शुरूआत किस चीज के लिए की तो जो सिक यूनिट हैं, जिनकी लगातार पांच साल तक बैलेंश सीट घाटे में चल रही है और उसके बाद सी.ए.जी. की रिपोर्ट आने के बाद उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना है। जो बीमार यूनिट है, जो घाटे में चल रही है उसको बेचने की बात थी। लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने सारे लाभ देने वाले जिसमें बाल्को भी शामिल है यदि उसका स्क्रेब भी बेच देते तो वह साढ़े पांच सौ करोड़ रूपये का होता। आपने होटल बेच दिया, आपने बहुत सारी चीजें बेच दी और हुआ क्या कि आपके शासनकाल में तो एक अलग विभाग डिसइन्वेस्टमेंट विभाग ही खोल दिया गया जिसके मंत्री सोरी जी थे। अभी-अभी राजस्थान के कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया कि जो सैकड़ों करोड़ के होटल थे उसको 52 या 72 करोड़ में बेच दिया तो क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो परिसंपत्ति है उसे बेचने का काम आप कर रहे हैं। ओ.एन.जी.सी. कौन सा घाटे में चल रहा है? आपके रेलवे स्टेशन कौन से घाटे में चल रहा है? एयरपोर्ट कौन सा घाटे में चल रहा है? वह घाटे-फायदे की बात तो छोड़ दीजिए नगरनार जो कि बना ही नहीं है उसे बेचने की आपकी तैयारी हो गई है इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात दूसरी नहीं हो सकती। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के बारे में अभी शिवरतन शर्मा जी बोल रहे थे, अजय जी ने भी उसका उल्लेख किया। मैंने पिछले दिनों इसी सत्र में कहा था कि ये लोग कोवेस से प्रभावित लोग हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो वह सच लगने लगता है। बी.एस.एन.एल. कब बिका? यह बिका 13 फरवरी, 2002 को तब प्रधानमंत्री कौन थे? तब प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपका पहला असत्य पकड़ा गया। दूसरा आपने एम.टी.एन.एल. के बारे में कहा यह निवेश हुआ ही नहीं। वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने इसका खण्डन किया है, आप पता कर लें तो इस सदन में प्रकार की बातें नहीं कहना चाहिए। जो बातें असत्य हों (शेम-शेम की आवाज)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जब आप डिसइंवेस्टमेंट का फैसला ले लिये हैं डिमर्जर कर दिये हैं तो फिर एन.एम.डी.सी. पाईप लाईन क्यों बिछा रहा है? एन.एम.डी.सी. के खदान से आपके प्लांट तक के आयरन ओर पाईप से आए, आप अभी 1400 करोड़ रूपये इनवेस्टमेंट कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ? जब आपको बेचना ही है तो यह इनवेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं ? ताकि आप उनको पका-पकाया फल दे दें और जिसके बारे में बात हो रही है। अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही आपने टाटा के बारे में बात कही। टाटा की जमीन वापस की गई। आपने टाटा के लिए जमीन ली थी और वर्ष 2016 में उन्होंने लिखकर दे दिया कि मुझे नहीं लगाना है। वह जमीन आप लैण्ड पुल में रख रहे थे। आप किस धोखे में लिये थे, आप क्या बोलकर लिये थे कि टाटा का प्लांट लगेगा और वह जमीन उसी के कब्जे में है। वह धान तो नहीं बेच पा रहे थे, सोसायटी में लोन नहीं ले पा रहे थे तो फिर उस जमीन का लाभ क्या ? आपको मै बताऊं कि वह जमीन वापस भी की है वह

सोसायटी से लोन भी ले रहे हैं और उसका धान भी समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी मिल रहा है। उसी प्रकार से अभी भी यह जो जमीन है । आपने किसलिए ली, सार्वजनिक उपक्रम के लिए ली। आप निजी हाथ में कैसे सौंप सकते हैं ?आप कैसे बेच सकते हैं ? पेसा कानून के बारे में अलग बात है वह भी एक किस्सा है और इन 2 वर्षों में हमने वहां के रहने वाले आदिवासी, परम्परागत रूप से निवासी सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह जमीन वापस करने की बात हो, चाहे तेन्दूपत्ता का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो, चाहे व्यक्तिगत पट्टे देने की बात हो, चाहे सामुदायिक दावे के पट्टे देने की बात हो। चाहे लघु वनोपज जो सात खरीदते थे उसको 58 करके खरीदने, वैल्युएडिशन करने की बात हो। ऐसे चाहे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो। लगातार हमारी कोशिश है कि हम वहां के लोगों का विश्वास जीते और उसका परिणाम है कि आज अब नक्सली पाकेट में सिमट गये हैं। आप कह रहे थे कि डिसइंवेस्टमेंट। आज दोनों बैट्समेन वह रन बचा रहे थे, विकेट बचा रहे थे।

श्री मोहन मरकाम :- हीट विकेट हो रहे थे।

श्री भूपेश बघेल :- न इधर बोल पाये, न उधर बोल पाये। न इधर के रहे, न उधर के रहे। पिछले सत्र में जो बात कभी बहुजन समाज पार्टी वालों को पूछते थे। आज माननीय अजय जी और शिवरतन शर्मा जी की हालत है कि हम किधर जायें ? डिसइंवेस्टमेंट के पक्ष में है या डिसइंवेस्टमेंट के विरोध में है। ये बोल नहीं पा रहे हैं। कि छत्तीसगढ़, बस्तर के आदिवासियों के साथ खड़े हैं कि वह भारत सरकार के साथ खड़े हैं। ये बोल नहीं पा रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- इनकी दयनीय हालत है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं। हमने इसलिए निवेदन किया कि इस प्लांट को छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदने का प्रस्ताव दे।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, यदि आपका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो आप सर्वसम्मति से पास कर लेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम बात करने के लिए आपके साथ चलेंगे। आप स्वीकार कीजिए। प्रस्ताव पारित कीजिए। हम बात करने के लिए आपके साथ चलेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- आप चलेंगे नहीं। यहां आप सर्वसम्मति से प्रस्ताव करेंगे या नहीं करेंगे। यह पहले बताईये। माननीय नेता जी, आप बताईये। जो जोगी जी ने बात कही, आपके नेता जी से पूछ रहा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं। उस दिन तो बोले थे कि हम लोग सर्वसम्मति से करेंगे। इसी शर्त पर इसको तीन दिन बढ़ाया गया था।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सही बात तो यह है कि अभी यह नहीं आया है। वह दे रहे हैं, बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं। आप पुरानी बात बोल रहे हैं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय नेता जी, अब निकलने के लिए आप घूमा-फिराकर बात मत करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :-यदि उसके बाद में आपको आगाह किये हैं कि सरकार प्रस्ताव लेकर आए। आप प्रस्ताव लेकर आईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप हां या न में जवाब दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम उसमें विचार करेंगे। आप प्रस्ताव लेकर आईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, कहां विचार करेंगे। समय निकल जाएगा। आप हां या न में जवाब दीजिए।

श्री अमरजीत भगत:- उस दिन आप लोग बोले थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, कुछ हिम्मत दिखाईये। हां या न में जवाब दीजिए।

श्री अमरजीत भगत:- उस दिन आप लोग बोले थे। इस सदन में कोई बात बोलते हैं तो उस पर कायम रहना चाहिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप छत्तीसगढ़ के हैं या नहीं ?

श्री भूपेश बघेल :- अब अजय जी, आपने शुरूआत की कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने इस सदन में प्रस्ताव किया था कि यदि बालकों को disinvestment कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी, यह प्रस्ताव करके भेज दीजिए और हम साथ देंगे। अब आपके नेता जी क्या बोल रहे हैं? अजय जी और शिवरतन शर्मा जी आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भला नहीं होना है। जब तक जो दूसरे नंबर के हैं, वह जब तक हैं, आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना अच्छा परफारमेन्स दिखा दीजिए, आपका वहां नंबर नहीं बढ़ेगा। वह वहीं के वहीं रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर के आदिवासियों की भावना, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार की भावना, हम सबकी भावना है कि नगरनार disinvestment नहीं होना चाहिए, निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जिस प्रकार से अजय चन्द्राकर जी, शिवरतन शर्मा जी ने कहा, उसको स्वीकार करता हूं कि इसको छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। अब आप समर्थन करिये, इसको सर्वसम्मति से पारित करिये। भारत सरकार disinvestment कर रही है, केन्द्रीय मंत्री से बात की है। अभी मैं गृहमंत्री जी से मिलने गया था। नक्सली मुद्दों की बात हुई, तब भी मैंने कहा था आप disinvestment मत करिये, ये नुकसान होगा। जहां नगरनार है, उससे 5 किलोमीटर के अंदर में ही नक्सलियों का गढ़ है, उसको यहां आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उसको मत करिये। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव

आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस प्रकार से बालको खरीदने का प्रस्ताव दिया था, उसी प्रकार के प्रस्ताव यदि वर्तमान सरकार करती है तो हम समर्थन करेंगे। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अन्य दल के नेताओं से मांग करता हूं कि वे समर्थन करें। आप तो पहले ही समर्थन कर चुके हैं। हॉ छत्तीसगढ़ सरकार इसको खरीदेगी। आप सहमत हैं तो निश्चित रूप से हम लोग खरीदने को तैयार हैं। सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, बस्तर के आदिवासियों की भावनाओं का है। हम निश्चित रूप से खुले मन से इस बात को स्वीकार करते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- इसमें क्या बोलेंगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मोहन जी, आप बोल रहे हैं कि क्या बोलेंगे ? अभी तो यह है कि disinvestment कब आ रहा है, क्या आ रहा है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता जी, आप हॉ या ना बोलिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको बता रहा हू। हां या ना की क्या बात है ? जब हमारे अजय चन्द्राकर जी ने प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि अभी तो ये आया नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां नहीं आया है, आ गया तभी तो कह रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी कुछ नहीं आया है। प्रस्ताव कब करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद में कहा है कि मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव करें और मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव कर रहे हैं तो हॉ, हम बोल रहे हैं कि हम जायेंगे और इस बात को दिल्ली में करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अभी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप प्रस्ताव की भाषा संशोधित रूप से प्रस्तुत कर लीजिए। यदि disinvestment होता है तो उस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी, यह प्रस्ताव सुधार कर प्रस्तुत कर दीजिए। हम सर्वसम्मत से समर्थन कर देंगे। प्रस्ताव की भाषा बदली जा सकती है।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल। disinvestment मत किया जाये, भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे, हम चला लेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- नये स्वरूप में प्रस्ताव प्रस्तुत हो। विधिवत रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो तैयार हैं। आप प्रस्ताव की भाषा बदल दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप नये स्वरूप में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- भारत सरकार हमको दे दे, हम उस प्लाण्ट को चला लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सहमत हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बबा, तोला तो कुछ आवत नई, तैं काबर जबरदस्ती खड़े हो जाथस।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौबे जी, यह गंभीर बात है। मैं आपसे विनती करता हूं कि यह गंभीर बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया एक व्यक्ति बोलें।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय प्रक्रिया में संकल्प को सर्वसम्मत करने के लिए सदन ने कई बार शब्दावली को बदला। आप यह कह दीजिए कि- " disinvestment होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसको खरीदेगा।" आप अभी एक लाईन का प्रस्ताव कर दीजिए, हम सर्वसम्मत से पास कर देते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हमने तो आग्रह किया कि **भारत सरकार द्वारा विनिवेश न किया जावे । विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने को सहमत है ।** इसको डिसइंवेस्टमेंट मत करे, एन.एम.डी.सी. चलाये लेकिन सदन इस बात से सहमत हुआ है कि डिसइंवेस्टमेंट की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार लेने के लिये तैयार है, उस संयंत्र को निजी हाथों में नहीं बिकने देना है । हम छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे हुए लोग उसको चलायेंगे । (मेजों की थपथपाहट) हम इस बात से सहमत हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोगों का क्या कहना है ?

श्री अजय चंद्राकर :- इसी भाषा पर सर्वसम्मत । जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको प्रस्ताव मान लिया जाये और सर्वसम्मत कर दिया जाये ।

लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- डिसइंवेस्टमेंट आप कह रहे हैं कि होना चाहिए ?

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद अब तो ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- नहीं, आपने कहा न भाषा भर को । अगर कहें तो मैं बैठ जाउंगा ? चलिये हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन और घोषणा के बाद जिन शब्दों को आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका डिसइंवेस्टमेंट नहीं होना चाहिए । यदि होता है तो छत्तीसगढ़ सरकार चलाने के लिये तैयार है, हम उसको करेंगे, इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को...।

श्री अजय चंद्राकर :- चलाने के लिये, खरीदने के लिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमने कहा । हो गया, खरीदने के लिये । हमने कहा, इन शब्दों के साथ यह प्रस्ताव मैं आपसे चाहूंगा कि सर्वसम्मति से इसको मंजूरी दें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला-बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश की स्थिति में नगरनार इस्पात संयंत्र को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदा जायेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें सर्वसम्मत नहीं हैं । हमने कहा, आप नया पढ़वा लीजिए । वह तो पुराना ही पढ़ रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- एक ही बात को क्यों कह रहे हैं?

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छा, पुराने में कहां लिखा था कि छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी करके, देखिये, ऐसा नहीं है । हर शब्द आपका ? आपकी भावनाओं का सम्मान ।

श्री अजय चंद्राकर :- हम मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उसमें सहमत हैं और सर्वसम्मत हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- चलिये, उसी में सर्वसम्मति ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो उसको आप आसंदी से पढ़वाईये न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- शब्दों में उसको आप कर लीजिएगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने जो आखिरी में बोला उसको पढ़वा दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- टंकण त्रुटि मत हो । (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- टंकण त्रुटि नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमने देखा है 10,000 करोड़ का टंकण त्रुटि इधर से हुआ था तब देखा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा सुनिए तो साहब, जब सर्वसम्मति की स्थिति बन रही है । डिसइंवेस्टमेंट न हो और होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी यह पढ़वा दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- स्पष्ट पढ़ा गया है कि यदि सार्वजनिक उपक्रम को यदि व्यक्तिगत उसमें सौंपा जाता है तो उस बीच राज्य सरकार...।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो मिनट सुन लीजिए न, बहुत सरल भाषा में है । एक जो केंद्र सरकार निजीकरण करने वाली है उसको न करे और अगर मजबूरी में कर ही रहा है, जोर-जबर्दस्ती करेगा तब हम छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से उसको लेने के लिये तैयार हैं । बात खत्म कर दीजिये, यही है न ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- बात कर लिये रहते तो झंझटे नइ होतिस ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम केंद्र से अनुरोध करते हैं कि इसका निजीकरण न किया जाये, अगर निजीकरण किया जाता है तो छत्तीसगढ़ सरकार इसको खरीदने के लिये तैयार है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला-बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जावे । विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने को सहमत है ।

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक, 2020 पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा प्रयुक्त शब्द [XX] को मैं विलोपित करता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन ने जो प्रस्ताव पास किया कि यदि डिस्इन्वेस्टमेंट होता है तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे लेने के लिए तैयार है, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं (मेजो की थपथपाहट) ।

समय :

6:35 बजे

वक्तव्य

आत्महत्या के संबंध में

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीया सदस्य श्रीमती इंदू बंजारे जी द्वारा संजय खरे के सुसाइड नोट के विषय में जो उल्लेख किया गया था । प्रारंभिक प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि राजकुमार, गोविंदा एवं उनकी मां, उनका लड़का ग्राम भुइगांव एवं सहायक उपनिरीक्षक ताम्रकार पुलिस थाना के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं । इसकी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उस सहायक उप निरीक्षक हरनारायण ताम्रकार को निलंबित करने की घोषणा करते हैं और एफ.आई.आर. करके सबकी जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- धन्यवाद् मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस समय बात हुई थी कि निलंबित करने के साथ उसके ऊपर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा की घोषणा थी । अभी एफ.आई.आर. कहा गया है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- एफ.आई.आर. करने का आदेश ही तो कहा है, और मैंने क्या कहा है ?

प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम (सभापति, विशेषाधिकार समिति) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के उपनियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत

विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020, दिनांक 19.08.2020.

माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/2020, दिनांक 23.10.2020

माननीय सदस्य, श्री धनेन्द्र साहू द्वारा भी कुंभनदास आड़िया एवं श्री अमरीश कुमार आड़िया के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 24/2020, दिनांक 10.11.2020 माननीय अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है ।

नियम 167(1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री मोहम्मद अकबर, विधि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 25/2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 को विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

समय :
6.40 बजे

अध्यक्षीय व्यवस्था

संसदीय सचिवों की स्थिति के संबंध में

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को संसदीय सचिव के संबंध में पूर्व में आसंदी द्वारा दी गई व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पुन: वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया था।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय विधि मंत्री ने अपनी बात रखी। विधि मंत्री ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संसदीय सचिव के संबंध में सदन को विस्तार से जानकारी देते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। मेरे मत में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अत: अब मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आपका आसंदी से निर्देश जारी हो गया, लेकिन अभी भी संसदीय सचिव को लेकर भ्रम की स्थिति है। उन्हें बोलने के लिए खड़ा किया गया और बाद में फिर उन्हें बैठाया गया। अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही किसी को मालूम है। इसलिए इसमें लिखित में उसी को आदेश जारी कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय नेता जी, व्यवस्था आ चुकी है, अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं। मैंने तो पहले ही कहा कि आसंदी ने निर्देश जारी कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि अभी भी वे भ्रम की स्थिति में हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, विधि मंत्री जी ये स्थिति ला पढ़ चुके हे, ओखर कॉपी यहां से ले ले।

श्री धरमलाल कौशिक :- भ्रम की स्थिति यह है कि आपने खड़ा कराया और उसके बाद बैठा दिया कि आप तो बोलो मत। अभी भी हमारे संसदीय सचिव में, अधिकारियों में, विधायकों में सभी में भ्रम की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, समापन उद्बोधन है। आप बैठिएगा।

समय:
6.42 बजे

सत्र समापन

उपाध्यक्ष महोदय का उद्बोधन

उपाध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा का यह सत्र 21 दिसम्बर से 30 दिसम्बर के मध्य आहूत था। किन्तु आज उसका समापन हो रहा है।

इस सत्र के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सदन में नेता माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय श्री केशव चन्द्रा जी एवं पक्ष प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप अवगत हैं कि माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय, कोविड संक्रमित होने के कारण इस सत्र में उपस्थित नहीं हो पाये किन्तु उनकी अनुपस्थिति में उनके ही मार्गदर्शन में

मैंने यथा संभव सदन के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रयास किया, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति और आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

यह सत्र भी पूर्व सत्रों की तरह कोविड से प्रभावित रहा। सुरक्षा के तमाम उपायों को अपनाते हुए हम सबने अपने संसदीय दायित्वों को पूरा किया। मेरा यह विश्वास है कि हमारे इस सामूहिक प्रयास से छत्तीसगढ़ राज्य को और बेहतर दिशा मिलेगी।

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सदन में उच्च संसदीय मूल्यों को सुदृढ़ता प्रदान की है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इस सत्र में दिनांक 23 दिसम्बर को शासकीय संकल्प के पारण की प्रक्रिया के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा संकल्प के संबंध में उनके आग्रह को स्वीकार किया। निश्चित ही उनकी सहृदयता से सदन का सम्मान बढ़ा है।

जहां वर्ष 2020 कोविड की कटु स्मृतियों के लिए याद रखा जायेगा, वहीं छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए यह उपलब्धि का विषय है कि वर्ष 2020 में इस विधान सभा के कुल पांच सत्र आहूत हुए और यह संसदीय मूल्यों क प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के कार्य में संलग्न डॉक्टर, चिकित्सा स्टॉफ, शासन प्रशासन एवं स्वयंसंवी संस्थाओं और संगठनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित हुए कार्यों के संबंध में संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र की कुल 5 बैठकों में लगभग 21 घंटे चर्चा हुई। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 505 एवं अतारांकित प्रश्नों की 456 इस प्रकार कुल 961 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 22 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। स्थगन की कुल 117 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से एक विषय से संबंधित 29 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् ग्राह्य की गयी तथा एक विषय से संबंधित 16 सूचनाओं पर ग्राह्यता की चर्चा उपरांत उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई तथा एक विषय से संबंधित 44 सूचनायें ध्यानाकर्षण के रूप में परिवर्तित की गईं तथा 28 सूचनायें अग्राह्य की गयीं। ध्यानाकर्षण की कुल 252 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 67 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 28 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित की गईं। शून्यकाल की 52 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 35 सूचनाएं ग्राह्य और 17 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। नियम 139 के अधीन 2 सूचनायें प्राप्त हुईं एवं ग्राह्य की गईं। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 7 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी चर्चा उपरांत पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर 4 घंटे, 18 मिनट चर्चा हुई ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया । मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

इस अवसर पर मैं राज्य शासन के नव नियुक्त मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन को भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा, इसके साथ ही शासन के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी । मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परम्परा रही है, तदनुसार आगामी बजट सत्र फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है ।

आने वाले नये वर्ष की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से यह सादर आह्वान करता हूं कि आईए, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें । धन्यवाद ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2020 अब जाने को है । जब 2020 की शुरूआत हुई तब हम लोगों ने कहा था कि 20-20 जैसा बीतेगा, लेकिन कोरोना महामारी ने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया । हम सब वैश्विक महामारी की चपेट में आये, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई, देश और प्रदेश भी इसकी चपेट में आई । इस दौरान बजट सत्र भी हुआ, फिर पावस सत्र हुआ, विशेष सत्र हुआ और अभी शीतकालीन सत्र भी हुआ है । इस कोविड में हमारे बहुत सारे विधायक, मंत्री, अधिकारी और तो और विधान सभा अध्यक्ष भी इसकी चपेट में आये । तब ही बहुत सारे साथियों के मन में शंकाएं थीं कि सत्र कैसे चलेगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन हम सबकी प्रतिबद्धता सदन के प्रति रही है, लोकतंत्र के प्रति रही है और सदन चला । उपाध्यक्ष महोदय, जब आप इस आसंदी पर बैठे, तब भी कुछ लोगों के मन में शंकाएं थीं कि सदन किस ढंग से संचालित होगा, लेकिन जिस हिसाब से आपने निर्बाध गति से इस सत्र को संचालित किया है, ऐसा नहीं लगता कि आप कभी इस आसंदी में लगातार बैठे हों, लेकिन लंबे समय से विधान सभा के सदस्य होने के नाते आपका जो अनुभव है, उसका लाभ इस सदन को मिला और आपने बहुत अच्छे से सदन को संचालित किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं (मेजों की थपथपाहट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्र छोटा जरूर रहा है, लेकिन इसमें सारे विषय आये । विपक्ष के साथियों ने नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी के नेतृत्व में स्थगन भी लाये, ग्राह्यता पर चर्चा हुई । यह बात अलग है कि चौबे जी ने ट्रेजरी बेंच से कहा कि हम स्थगन स्वीकार करते हैं, इस पर तत्काल चर्चा होनी

चाहिए, लेकिन उसमें पलायन कर गए, लेकिन स्थगन भी ग्राह्य हुआ और ग्राह्यता पर चर्चा भी की गई और बहुत सारे ध्यानाकर्षण भी लगे । प्रश्न जो आपका हथियार है, उसका भी जबरदस्त प्रयोग हमारे सभी साथियों ने, विपक्ष के साथियों ने, सत्ता पक्ष के साथियों ने और साथ ही हमारे जोगी कांग्रेस के और बसपा के लोगों ने भी इसका भरपूर प्रयोग किया है । प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, स्थगन, याचिका के माध्यम से शासन को अवगत भी कराया, ध्यानाकर्षित भी किया । मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आप प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में अपने दायित्वों का निवर्हन किया, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। माननीय अजय जी को, मैं बधाई भी देता हूं, अति विशिष्ट ज्ञानी, घनघोर ज्ञानी, ये जलेबी जैसे मीठे नहीं हैं, ये मीठे ही हैं, वह समझने का फेर है कि आप समझते हैं कि घुमावदार है, जलेबी क्या-क्या बोलते रहते हैं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है जिसके बारे में उल्लेख शिवरतन जी ने कहा कि आज एंग्री यंग मेन के रूप में आप आये हैं। प्रथम दिन भी आपने इस प्रकार से कहा। मैं फिर से इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोले या सदन के नेता बोले तब भी सारे सदन ध्यान से सुनते भी हैं और उस समय कोई टोका-टाकी नहीं होती। ये लोग तो इस फ्लोर के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, चाहे शिवरतन जी, अजय जी, बृजमोहन जी हों। सारे लोग मंझे हुए खिलाड़ी हैं लेकिन जब ट्रेजरी बेंच से और वह भी इतने सीनियर चाहे अकबर जी हों, चाहे चौबे जी हों, जब बोलने खड़े हों तो बोलने तो दिया जाये। जब आप लगातार बोलने ही नहीं दे रहे थे, तब मुझे उस समय खड़ा होना पड़ा। यदि आप उस समय भी माननीय अकबर जी को बोलने देते, उनकी बात पूरी हो जाती, उसके बाद आप कहते तो मैं बीच में खड़ा नहीं होता लेकिन यदि इस प्रकार से बाधित होगा तो खड़ा होना लाजिमी है, कोई माननीय सदस्य इसे अन्यथा ले रहे हैं तो उसके लिये मैं खेद व्यक्त करता हूं। साथ ही धर्मजीत जी ने अपनी भूमिका और देवव्रत जी ने आसंदी में भी तालिका में आकर भी अपनी बात बहुत दमदारी से उन्होंने रखा भी है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता चंद्रा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे भी लगातार किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे विधानसभा सचिवालय को कि विपरीत परिस्थिति में भी कहीं कोई कमी नहीं आने दी और जैसे पहले चलता रहा है उसी प्रकार से चलता रहा, कोई कमी हम लोगों को महसूस नहीं हुई। इसलिए विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव गंगराड़े जी सहित उनके जितने सहयोगी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं, हमारे मार्शल लोगों को, जो हमारे चिट्ठी पत्री इधर से उधर पहुंचाने का काम लगातार करते रहे, उनको भी धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे अमिताभ जैन जी को, जो सी.एस. के रूप में उनका प्रथम सत्र था। लेकिन उनके बहुत सारे सहयोगी कोविड से प्रभावित हुए, अभी हमारे बहुत सारे ए.सी.एस. सेक्रेटरी कुछ लोग प्रभावित हुए लेकिन यहां संचालन में विधानसभा में जानकारी देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। इसलिए मंत्रालय के, सचिवालय के सभी अधिकारियों को भी मैं

बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं, हमारे आदरणीय पत्रकार साथी, कोई ये कोविड के चलते भी जो physical distancing का पालन करते हुए पिछले सत्र में तो आना ही नहीं होता था लेकिन आपने व्यवस्था दी कि इधर भी बैठें उधर भी बैठें तो हम लोगों को जो दर्शक दीर्घा की कमी खलती थी, वह पत्रकारों को इधर बैठा दिये हैं तो कम से कम वह दूरी भी कमी हो गयी और हमारे पत्रकार साथी भी तत्परता के साथ सभी चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, सब लोगों ने प्रमुखता से यहां के कार्यवाही के बारे में प्रदेश की जनता को जानकारी दी, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, अपनी वाणी विराम देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उसके पहले आज नगरनार वाले मामले में इतना बड़ा फैसला हुआ है, इसके लिये पूरे सदन को समवेत रूप से मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि छत्तीसगढ़ के हित के लिये हम सब एक हैं। हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, हमारी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिये, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिये हम सब एक हैं और इस फ्लोर का उपयोग हम सब छत्तीसगढ़ की उन्नति और विकास के लिये करते हैं, इसके लिये मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नाम का उल्लेख हुआ, मैं किसी गलत उद्देश्य से नहीं खड़ा हुआ हूं, कोई उत्तर प्रति उत्तर के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के नेता के तौर पर प्रथम दिन की घटना के लिये खेद व्यक्त जब किया तो उसका एक कारक मैं था, मुझे उसके लिये बोलना जरूरी हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं । हमेशा संसदीय लोकतन्त्र में नेहरू जी या अटल जी इसलिए याद किए जाते हैं, क्योंकि वे उदार रहे हैं। उनके एक-एक शब्दों ने प्रतिमान स्थापित किया है, उनकी एक-एक शब्द शैली , एक-एक स्टेप ने लेजिसलेशन में प्रतिमान स्थापित किया है। मधुलिमये जी, तारकेश्वरी सिन्हा जी जो थीं, इन लोगों ने अपने चरित्र से संसदीय इतिहास में एक अलग स्थान बनाया है। मेरे कारण से व्यवधान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कानून मंत्री जी को, किन्हीं भी कारणों से उन्हें दु:ख पहुंचा हो तो मैं व्यक्तिगत तौर से खेद व्यक्त करता हूं। यह सदन अपनी परम्पराओं के कारण जाना जाता है। इसमें जो परस्पर सहयोग दिखता है, देश के अन्य विधानसभाओं में दुर्लभ है। हम सदन की परम्परायें जितनी मजबूत करेंगे, हम जितने एक दूसरे के प्रति आग्रही होंगे, आलोचना का स्तर या उनकी सदभावना का स्तर, ट्रेजरी बेंच की उदारता का स्तर जितना उन्नत होगा, शायद छत्तीसगढ़ उतना उन्नत होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं किसी भी अर्थो में कहा हूं, मैं खेद व्यक्त करा हूं। अभी आप शिवरतन जी का भी उल्लेख कर रहे , मैं उनकी ओर से भी खेद व्यक्त कर देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं व्यक्त करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी, जी, आप भी व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि मैं घनघोर ज्ञानी-अज्ञानी, उसका जिस भी अर्थों में उपयोग करें, मैं बिलकुल भी नहीं हूं। मैं मेरे ख्याल से पूर सदन में सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं कि ऐसे लोगों से लेजिसलेशन सीखता हूं। आप मानेंगे नहीं, मैं उस दिन भी बोल रहा था, मैं कोल एण्ड शकधर को उसी दिन पढ़ा कि शासकीय संकल्प में क्या है, जिसके लिए मैंने उदारता कही। तो जो भी परिस्थितियां होती हैं, मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूं। जितने भी नये सदस्य आये हैं, ये इतने ज्ञानी लोग हैं, इधर भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हैं, तो मेरा वह भाव है कि रोज सीखता हूं। यदि मेरी वह शैली, अभिव्यक्ति की शैली से किसी को दुःख लगता है तो मैं उसके लिए भी खेद व्यक्त करते हुए, इस सफल संचालन के लिए जितने भी अवयव हैं, आप समेत, सचिव साहब समेत, सुरक्षा के लोगों से लेकर, कलेक्टर से लेकर एस.पी तक, मुख्य सचिव से लेकर, संसदीय कार्यमंत्री, सदन के नेता से लेकर हमारे नेता, विपक्ष के नेता, पत्रकार साथी, सारे अवयव को चूंकि खड़ा हो गया हूं, सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया। वास्तव में जब बोलता हूं तो मेरा भाव कभी किसी को अपमानित का नहीं रहता है। बोलने की मेरी अपनी शैली है। मैं जब पहली बार विधायक बना तो माननीय सत्यनारायण जी शर्मा और माननीय रविन्द्र चौबे जी को संसदीय कार्यमंत्री के रूप में, वहां मध्यप्रदेश में शर्मा जी को यहां आदरणीय रविन्द्र चौबे जी को काम करते हुए देखा। वे सदन पूरे समय बैठकर हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अगर मेरी किसी बात से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का समापन है। हम लोग इस अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। दोनों तरफ से खेद भी व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में जब हम कोरोना की बात करेंगे तो हम अभी वैश्विक महामारी कोरोना से उबरे नहीं हैं। लोग अभी भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं और प्रदेश, देश इसको लेकर चिंतित भी है। ऐसे समय में हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी भी कोरोना से प्रभावित होने के कारण उनको आसंदी से अनुपस्थित रहना पड़ा है। निश्चित रूप से उनकी अनुपस्थित हम सबको महसूस भी हो रहा है। हम लोग उनके अनुभव का जो लाभ उठाते थे, अभी उससे वंचित रहे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हों। अभी जो भी कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, हम उनके भी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से सत्र में महत्वपूर्ण विषयों के साथ द्वितीय अनुपूरक भी पारित किया गया। साथ ही 7 विधेयक भी पारित किये गये और आज शासकीय संकल्प भी पारित किया गया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस विधानसभा में आप आसंदी पर विराजमान हुए और निर्बाध गति से इस सत्र को चलाने के लिए सभी सदस्यों का माननीय हमारे सदन के माननीय नेता जो कई

बार ऐसे अवसर आये कि जब प्रतिपक्ष ने उनसे जो मांग की तो उसे भी उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और स्वीकार करके इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने में उनका अमूल्य योगदान रहा। साथ ही हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी की भूमिका एक सेतू के रूप में रही है। जहां भी व्यवधान/अवरोध उत्पन्न हो तो सदन की कार्यवाही को आगे ले जाने में एक सेतू के रूप में उनकी भूमिका रही है। वह हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि हमारा सत्र शांतिपूर्ण ढ़ंग से चले और यदि व्यवधान आया है तो उसका निराकरण भी होना चाहिए। इस दौरान हमारे अधिकारी मुख्य सचिव और डी.जी.पी. साहब की भी भूमिका रही है इसके साथ ही अधिकारियों की भूमिका रही है कि इस प्रश्नोत्तरी में समय पर जवाब मिल सके, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हमारे विधानसभा के प्रमुख सचिव एवं उनका सचिवालय जो कि पक्ष, प्रतिपक्ष को जानकारी उपलब्ध कराना और जानकारी उपलब्ध कराकर सदन के संचालन में सहयोग करना इसके साथ ही साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यह सत्र हमारा शांतिपूर्ण ढंग से निकल गया, आने-जाने और बाकी की शांति व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समय खासकर कोविड के समय हमारे पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इस सदन की कार्यवाही को जनता के बीच पहुंचाना, पक्ष विपक्ष की जो भी बातें आई है जनता उससे परिचित हो इसके लिए हमारे पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ हमारे मार्शल तथा और भी जो अधिकारी कर्मचारी लगे रहे, हमारे आसंदी में उपाध्यक्ष महोदय आपको सहयोग देने के लिए सभापति तालिका के जो सदस्य बैठकर सदन का संचालन किए हैं मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वह समय समय पर आपको सहयोग किये हैं और सदन के संचालन में उनकी भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ हमारे भाई धर्मजीत सिंह जी जो कि वरिष्ठ विधायक हैं और वरिष्ठता के नाते भी उनकी भूमिका एक प्रखर वक्ता के रूप में सबने उनको देखा है और वह समय परिस्थिति के अनुसार बात भी करते हैं कि कहां क्या बोलना चाहिए। मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही हमारे केशव चंद्रा जी जो कि अभी यहां पर नहीं हैं लेकिन बराबर उनकी उपस्थिति और उनकी भूमिका और लगातार उनकी सक्रियता हम सब लोगों ने देखा है। जहां तक अजय चंद्राकर जी की बात आई तो भाई वह विद्वान हैं तो विद्वान हैं और वह आप सब लोगों के सामने कोई छिपाने की बात नहीं है वह उनसे झलकता भी है। कई बार तो हम लोग भी उनको सुनते रहते हैं कि वह क्या बोलने वाले हैं। वह घनघोर नहीं है लेकिन वास्तविक में विधायी कार्यों में और खास करके संस्कृति के बारे में और कई बातों का जब उल्लेख करेंगे तो उनकी विद्वता दिखती है। उसको लोग स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने लायक भी है। मैं यदि कहूं तो अतिसंयोक्ति नहीं है, खास करके हमारे जो नये सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं चाहे वह पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों दोनों तरफ से हमारे जो अच्छे वक्ता हैं उनसे जब अच्छी बातें आती हैं तो निश्चित रूप से उसका अनुकरण करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है और सीखने की

कोई उम्र भी नहीं होती है। स्वाभाविक रूप से कहीं पर टेंस में आना, मुख्यमंत्री जी तो हमारे सदन के नेता हैं और यदि कोई बात आ गई तो निश्चित रूप से उसमें कोई उत्तेजित होने की आवश्यकता भी नहीं है और आज उन्होंने एक संदेश भी दिया कि मेरी तरफ से यदि कोई गलती हुई, एक्चुअल में गलती किसी की तरफ से नहीं है। ये संयोग होता है कि किसी समय में कोई बात आ जाती है और उसके कारण हमें खड़ा होना पड़ता है। जहां तक भागने की बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई बार आसंदी में रहा हूँ और उस समय प्रतिपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिया जाता था, मैं स्वीकार कर लेता था और स्वीकार करने के बाद में उसमें चर्चा करना नहीं चाहते थे। ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कोई भागना नहीं चाहता। वह स्थगन इसीलिए लगाते हैं कि हम उसका डटकर, प्रश्नों का जवाब देंगे, प्रदेश के मुद्दे को उठाएंगे। यह पहली बार ऐसा अवसर नहीं आया। कई बार ऐसा अवसर आया है। आज आप उधर बैठे हैं हम लोग इधर बैठे हुए हैं। केवल इतना ही अंतर है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं।

श्री भूपेश बघेल :- नेता जी, आप स्थिति स्वीकार कर लिये। यह अच्छी बात है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी आप क्या बोले? हम भागने को स्वीकार नहीं किये हैं। हम लोगों ने चर्चा की जिस प्रदेश में खुशहाली की बात करें और किसान आत्महत्या करे और उस किसान के परिवार में कोई बात करने भी न जाये तो हम मांग करेंगे या नहीं करेंगे? हमने आपके जवाब से अंसतुष्ट होकर वॉक आउट किया और दूसरी बार नये स्वरूप में चर्चा की तो उसमें भागने की जरूरत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। पता नहीं, इस विधान सभा में क्या हो गया है? एक तो हम मांग करते हैं कि लंबा सत्र चलाये। पिछली बार 2-3 दिन का हुआ। इस बार जब 10 दिन की बात आयी, 7 दिवस होगा तो हम लोगों ने एक बार भी नहीं कहा और मुझे लग रहा था कि इस बार शांति के साथ में आपके आंसदी में बैठने के बाद में जिस प्रकार से आबाद गति से चला है तो मुझे लगा कि 7 दिन का सत्र चलायेंगे और आप 7 दिन सत्र चलाते तो बहुत अच्छा होता। हमारे कई प्रश्न अनुत्तरित रह गये। अभी हम नियम 139 के अधीन लोक महत्व का विषय लगाये थे उस पर चर्चा नहीं हुई। आप अभी जो विधेयक जो पेश किये थे उसमें जल्दबाजी में चर्चा हुई। नहीं तो आप 7 दिन तक चलाते तो आपकी समयावधि भी बढ़ती और भी सदस्यों को चर्चा करने का अवसर होता। इसलिए मैं पुन: एक बार कहना चाहूंगा कि हर बार यह घटाने की प्रथा को समाप्त किया जाये। बल्कि इस विधान सभा में यह भी करे कि निर्धारित अवधि दिये हैं उससे भी एकाध दिन बढ़ाकर चर्चा करायें तो हम उस पम्परा को कायम करें। अभी तो घटाने की परंपरा चल रही है। वास्तविक में लोकतंत्र में हम जब हाऊस में बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो मंत्री जी को भी जानकारी में नहीं रहती और प्रश्न के माध्यम से किसी भी सूचना के माध्यम से वह जानकारी आती है और जानकारी आने के बाद में उस पर

चर्चा होती है, सुधार होता है तो सत्र के दिवस कम करने के बजाए, बढ़ाने की परम्परा हमको कायम करनी चाहिए। अंत में पुन: एक बार माननीय उपाध्यक्ष जी हम लोगों ने आपको आश्वस्त किया था कि आप आसंदी पर बैठेंगे सदन को चलाने में जितना आपको सत्तापक्ष के लोग सहयोग करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे और आपके बैठने के बाद में बिल्कुल यह नहीं लगा कि आप पहली बार बैठ रहे हैं। बल्कि ऐसा लगा कि आप जिस प्रकार से सदन को चलाना चाहिए। आप मध्यप्रदेश की विधान सभा, यहां की विधान सभा में सदस्य के रूप में जो काम किये हैं, आपका अनुभव काम आया और देखने का अवसर भी मिला। आप सदन को बहुत अच्छा चलाये हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। हम लोगों को आपने पर्याप्त समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद् भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं सभी सदस्यों को चाहे वह ट्रेजरी बेंच के हो, हमारे मंत्री लोग हों, हमारे नये सदस्य हों और बाकी इधर के हैं मैं सबको धन्यवाद् देते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता जी बोल रहे थे कि उपाध्यक्ष जी ने ऐसे सदन को चलाया, जैसे पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विधान सभा के उपाध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय को कोरोना प्रभावित होने के कारण आपको यह सौभाग्य मिला कि आप इस सत्र का संचालन किये। आपने बहुत बखूबी संचालन किया। आपने बेहतरीन तरीके से चलाया और यह लगा ही नहीं कि आप कोई पहली बार विधान सभा का संचालन करने जा रहे हैं। आपका अनुभव पुराना है। आपकी झिझक खत्म हो गई। आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस से विधान सभा का संचालन किया। उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे कोरोना के कारण क्वारनटाईन है उनकी भी कमी महसूस हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस सत्र में हम लोग उनके चेम्बर में चाय पीने से वंचित रह गये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से यहां अपनी उपस्थिति दी और उन्होंने सदन में इतना लंबा समय दिया कि उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं 25 तारीख को अटल बिहारी बाजपेयी जी के भाषण की एक क्लिप देख रहा था। उसमें उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था- "निंदक नियरे राखिये, ऑगन कुटी छबाय"। यह तो डेमोक्रेसी है कि आप वहां बैठे हैं, हम यहां हैं। हम आपकी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, गलतियां बतायेंगे। आपका दिल बड़ा है, आपको उसको सहना पड़ेगा। इसलिए जब आप बैठते हैं, सुनते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप गुस्से में थोड़ा सा भी खड़े हो जायेंगे तो हम लोगों को तकलीफ हो जाती है। इसलिए आप हम लोगों के ऊपर कृपा करिये, हँसते रहा करिये। बोलने को मिला, नहीं मिला, कोई मतलब नहीं है, वह तो ठीक है, आपका खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप खड़े होंगे तो आपको पूरा सदन सुनेगा। हम लोग चाहते हैं कि आपकी एक नजर उधर रहे तो एक नजर हम लोगों की तरफ भी रहे। आपने बहुत

बढ़िया भाषण दिया। मैं आपके भाषण की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर रहा हूं। आपने जो अनुपूरक बजट में आंकड़ों सहित बोला, यह निश्चित रूप से आपकी तैयारी को दिखाता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया। हमारे मोहम्मद अकबर साहब भी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं। वह बहुत कम खड़े होते हैं। वह ठीक टाइम में खड़े होकर दो बात बोलकर चुप बैठ जाते हैं। वह बिल्कुल ज्यादा खड़े नहीं होते हैं। पर उनको जितना बोलना रहता है, बहुत प्रभावी तरीके से बोलकर बैठ जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी तो हमारे गुरूजी हैं। इन्हीं से हम लोग सब सीखे हैं। आपने बहुत अच्छा संसदीय कार्य मंत्री बनाया है कि इनके ज्ञान से, इनके प्रभाव से, इनके व्यक्तित्व से हम लोग भी ज्यादा बात नहीं कर पाते। वह जैसा बोलते हैं हम लोग भी हां में हां मिलाते रहते हैं। चाहे रास्ता कितना भी घुमावदार हो, एक तरफ खाईं हों, एक तरफ कुंआ हो तब भी हम उनके भरोसे में चल देते हैं। सदन का संचालन भी इसीलिए इतने बेहतरीन, खूबसूरत ढंग से होता है। माननीय मंत्री जी आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने कोविड की जो ज्वलंत समस्या अभी हमारे प्रदेश में है, आपने सरकार का बहुत ही सशक्त पक्ष रखा और लोगों को आश्वस्त किया। आपकी इस मेहनत की हम लोग तारीफ भी कर रहे हैं। आप लोगों ने कोविड के नाम से व्यवस्था करने में बहुत ही प्रयास किया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में आज थोड़ी सी राहत की स्थिति है। बाकी मंत्री तो अपने समय-समय पर बोले हैं। अमरजीत भगत जी, आपके खड़े होने से पूरा विपक्ष डिरेल हो जाता है तो थोड़ा आपकी कृपा हम लोगों के ऊपर भी बनी रहे। डॉ. शिवकुमार डहरिया एवं अमरजीत भगत जी, अगर ये दोनों बोलें तो मजा भी नहीं आता है। बृहस्पत सिंह जी आपको भी प्रणाम कर देता हूं। आप भी जब बोलते हैं तो मजा आता है। मैं तो एक बार कुछ बोल भी दिया था, पर मेरी ऐसी भावना नहीं है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप बलरामपुर से आते हैं, वहां ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आपका यहां बोलना वाजिब भी है, ठीक है। मोहन मरकाम साहब आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, हर बात में पक्ष रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ये लगा कि हमारी जितनी महिला बहनें चुनकर आई हैं, उधर से भी, इधर से भी, हमारी तरफ से भी उनको अवसर कुछ कम मिला। हमारी रेणु भाभी ने एक दिन पोलावरम का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन जो सामान्य चर्चा होती है, उसमें भी हमारी बहनों को बोलना चाहिए, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, उनकी भी झिझक खत्म होनी चाहिए। इस बात का आप लोग भी अपने दल की तरफ से ख्याल रखेंगे और हम लोग भी अपने दल की तरफ से ख्याल रखेंगे। हमारी दो-दो बहनें उधर पीछे बैठी हैं, भाभी जी बैठी हैं, हमारे पास तीन महिला सदस्य तो हैं ही, बाकी तो सब उधर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी पूरी तरह तैयारी से आते हैं, पूरा बोलते हैं, हम लोग उनको सुनते हैं। उनका ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। वह विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉ. रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, ननकीराम जी और सबसे ज्यादा मैं अजय चन्द्राकर जी को सुनता हूं। आपने

बिल्कुल ठीक कहा, अतिज्ञानी, विद्वान। वह बहुत ही अच्छे ज्ञानी हैं, पढ़ते हैं। वह जो पढते हैं, वह उनकी आवाज में, बात में पता चल जाता है। हम सबको उनसे सीखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति सीख करके इस सदन में नहीं आता है। एक दूसरे को देख करके ही सीखता है। जब पहली बार हम लोग भी आये थे तो हम लोग बैठे-बैठे चौबे जी को सुनते थे। 2003, 2008 तक सुनते थे। जब आप बोलते हैं तो आपका अनुभव बोलता है, आप थोड़ी बोलते हैं । आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस बोलता है तो धीरे से हमारे नये लोग भी सीखेंगे, बोलेंगे तो सदन, मैं यह कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ का विधान सभा भवन और विधानसभा की कार्यवाही, विधानसभा की गरिमा, हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा में अगर उसको मेरिट लिस्ट में नंबर दिया जायेगा तो सर्वोच्च है । (मेजों की थपथपाहट) वह इसलिए कि यहां पर कोई कटुता नहीं है, यहां पर कोई दुर्भावना नहीं है, यहां पर कोई द्वेष नहीं है, यहां पर कोई किसी को नीचा दिखाने को नहीं बोलता, यहां पर अगर कोई प्रश्न उठाये जाते हैं तो किसी को अपमानित करने के लिये नहीं उठाये जाते और जो भी आसंदी व्यवस्था देती है उसे हम सरआंखों पर लेते हैं क्योंकि प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर से ही यहां जो चर्चा होती है वही पूरे देश और प्रदेश की जनता तक संदेश जाता है और लोगों को यहां के हमारे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रमुख सचिव महोदय श्री गंगराड़े साहब और पूरे सब जितने उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वे सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं । रात-रात को उनका फॉर्म आता है हम लोगों के यहां प्रश्न आता है, संशोधन आता है, हमारे घर तक पहुंचाकर देते हैं तभी तो हम लोग जान पाते हैं इसलिए शिकायत भी नहीं कर सकते कि आपकी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पायी है । कभी-कभार एकाध इंसीडेंस में कोई बात हुई हो तो मैं नहीं कह सकता लेकिन रात को भी लोग लेकर के हमारे पास पहुंचते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारी दीर्घा में भी तारीफ करूंगा कि इस सत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहां उपस्थित थे । चीफ सेक्रेटरी जैन साहब, एसीएस श्री सुब्रह साहू साहब और भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहां पर फुल टाईम दिया । मुझे यहां पर अच्छे से दिखाई देता है न, इधर से थोड़ा कम दिखाई देता है लेकिन मैं तो देखता रहता हूं कि वहां पर पूरा बेंच भरा हुआ है । हमारे पत्रकार साथी पहले दूर थे, आपने बड़ी कृपा की कि उनको नजदीक ला दिया, अब कोरोना होना ही होगा तो कौन रोक लेगा साहब ? हम तो बहुत बच-बचकर रहे, हम ही खुद कोरोना पीड़ित हो गए थे, होना होगा तो होगा लेकिन आपकी सलाह मान रहे हैं, रखे हैं, अभी बाहर निकलकर पहनेंगे । अभी यहां अब क्या पहनें ? मैं तो देखता हूं तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि यहां कोई कोरोना पीड़ित होगा, ऐसा लगता है कि यहां पर सब कोरोना प्रूफ लोग आ गए हैं तो डर नहीं लगता लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इस कोरोना ने पूरे प्रदेश के विकास कार्यों को ठप किया, इस कोरोना ने विकास की रफ्तार को कम किया, इस कोरोना ने अविश्वास की भावना पैदा की, इस कोरोना ने अपने लोगों को बिछुड़ने से मजबूर

किया यह मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि 05 दिनों के सत्र में हमने 03 दिन केवल श्रद्धांजलि दी है । 03 दिन श्रद्धांजलि देनी पड़ी है, यह दिसंबर का महीना बड़ा घातक है । बिदा हो गया, अच्छा हुआ, आपने समाप्त कर दिया । अब अगला सत्र जब आये तो ईश्वर साफ-सुथरा रखे, कोरोना से मुक्त हो और हम सब फिर से बैठें, हम आपके बारे में बोलते रहेंगे, आप हमें जवाब देते रहेंगे और हम सब मिलकर इस प्रदेश की सेवा करने का काम करेंगे, लोगों की जरूरत उन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और इस अवसर पर हमारे पत्रकार साथियों को, पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सिपाहियों को, जितने ड्राईवर और आपके सहायक हैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि सबके सहयोग से ही यह सदन अच्छे से संपन्न हुआ, गरिमामय तरीके से हुआ, अच्छी चर्चा हुई । नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया भाषण दिया और हमारे सभी मंत्रियों ने अपने विभाग की जानकारी बहुत अच्छे तरीक से दी । अभी जैसे माननीय गृहमंत्री जी ने तत्काल आकर श्रीमती इंदू बंजारे जी के एक गंभीर मसले को आपने यहां पर जवाब दिया, यही तो खूबसूरती है । यह थोड़ी हम कह रहे थे कि गृहमंत्री जी मार डाले हैं, इस प्रकार की घटना हुई है, ऐसी जानकारी मिली, आपने जवाब दिया, यही तो इस सदन की खूबसूरती है । मैं माननीय अजय चंद्राकर जी और श्री शिवतरन शर्मा जी को भी बहुत बधाई दूंगा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना खेद प्रकट किया है इस खेद प्रकट करने से कहीं पर भी आप छोटे नहीं होंगे, आपका कद बहुत उंचा होगा । अगर जीवन में कभी किसी से कोई गलती हो तो उसको माफी मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं एक घटना बताना चाहता हूं कि इस सदन में एक-बार मैं भी यहीं बैठा था, श्री बृजमोहन जी के बारे में भी मैंने कुछ बहुत गलत टिप्पणी कर दी थी, हांलाकि वह विलोपित भी नहीं हुआ था । मैं रात को गया, मैं सो नहीं सका कि मैंने गलत बात क्यों कही और दूसरे दिन आकर के मैं स्वयं खड़े होकर के अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर के उस मामले में माफी मांगा और उस शब्द को विलोपित करने के लिये कहा तो ऐसा हम करेंगे क्योंकि यहां पर हम कोई दुश्मन नहीं हैं। जनादेश आपको मिला है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, हमें यहां बैठने का जनादेश मिला है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । जब हम सब अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर आगे जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता । छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे । इसी के लिए हम सब आपको बधाई देते हैं उपाध्यक्ष महोदय आपने बहुत बेहतरीन संचालन किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष के लिए भी बहुत आभार, संसदीय कार्यमंत्री जी के लिए आभार आपने पूरे सदन को सौम्य, शिष्ट और सरल तरीके से चलने के लिए मार्ग प्रशस्त किया । बहुत बहुत धन्यवाद् ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा । माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

समय :

7:21 बजे

<u>राष्ट्रगान</u>

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई ।)

उपाध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित ।

(7 बजकर 22 मिनट पर विधान सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं